SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 8, वर्ष 2025
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 8, वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		**v**
कार्यकारी सारांश		**vii**
अध्याय I: परिचय		
योजना के बारे में	1.1	1
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं	1.1.1	2
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन की स्थिति	1.1.2	3
संगठनात्मक संरचना	1.2	3
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.3	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	7
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.5	7
प्रारंभिक एवं समापन बैठक तथा राज्य सरकार के उत्तर	1.6	8
प्रतिवेदन की संरचना	1.7	8
अभिस्वीकृति	1.8	9
अध्याय II: लाभार्थियों की पहचान एवं चयन		
लाभार्थियों की पहचान एवं चयन	2.1	13
स्थायी प्रतीक्षा-सूची तैयार करना	2.1.1	13
स्थायी प्रतीक्षा-सूची का अद्यतनीकरण	2.1.2	15
अकुशल श्रम का लाभ प्रदान न किया जाना	2.2	18
दिव्यांगजन का आच्छादन	2.3	19
स्थायी प्रतीक्षा-सूची में स्वतः समावेशन के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थिति	2.4	20
अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन		
निधि प्रबंधन	3.1	24
निधि प्रवाह	3.1.1	24
कार्यक्रम निधि	3.1.2	24
राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश निर्गत करने में विलंब	3.2	25
लाभार्थियों को पहली किश्त अवमुक्त करने में विलंब	3.3	26
लाभार्थियों को किश्त का भुगतान न करना	3.4	27
प्रशासनिक निधि	3.5	28

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान लंबित रहना	3.6	31
अपात्र व्यक्तियों को आवास स्वीकृति के सापेक्ष वसूली लंबित रहना	3.7	32
बैंकों द्वारा भुगतान अस्वीकार किया जाना	3.8	34
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सहायता राशि उद्दिष्ट लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं किया जाना	3.9	35
अध्याय IV: योजना का क्रियान्वयन		
योजना की भौतिक प्रगति	4.1	40
वार्षिक कार्य योजना तैयार करना	4.2	42
भूमिहीन लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति	4.3	43
वार्षिक चयन-सूची को तैयार एवं प्रसारित करना	4.4	45
आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना	4.5	46
डेमो आवासों का निर्माण नहीं होना	4.5.1	47
आवास के लिए पहचानी गयी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के विकल्प प्रदान करना	4.5.2	49
आवासों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता	4.5.3	55
ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण में विलम्ब	4.5.3.1	55
लाभार्थी के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री को मैप किया जाना	4.5.3.2	57
लाभार्थी सहायता सेवाएं	4.6	58
वृद्ध एवं अशक्त लाभार्थियों को सहायता	4.6.1	58
आवासों के निर्माण के लिए ऋण की सुविधा	4.6.2	59
अधिरोहित बेमेल प्रकरणों का सत्यापन नहीं होना	4.7	60
आँकड़ों में विसंगतियों का सुधार किये बिना आवास स्वीकृत किया जाना	4.8	61
जियोटैग नहीं होने के कारण लाभार्थियों को आवासों के आवंटन में विलम्ब	4.9	63
आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम	4.10	63
'पूर्ण' सूचित आवास का संयुक्त भौतिक सत्यापन में 'अपूर्ण' पाया जाना	4.10.1	64

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी विवरण अंकित नहीं होना	4.10.2	66
आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस/पत्थर से निर्मित होना	4.10.3	67
छत की ढलाई एवं आवास पूर्ण होने की स्थिति के लिए एक समान चित्र का उपयोग	4.10.4	68
आवासों का उपयोग नहीं किया जाना	4.10.5	69
भोजन पकाने एवं स्नान के लिए स्थान सुनिश्चित किये बिना आवास	4.10.6	70
अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	4.11	70
अभिसरण की स्थिति	4.11.1	71
अकुशल मजदूरी प्रदान करने के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण	4.11.2	72
जल निकास की सुविधा	4.11.3	73
अभिसरण के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियाँ	4.12	75
अध्याय V: योजना की निगरानी		
कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	5.1	77
कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन	5.1.1	78
जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा आवासों का निरीक्षण	5.1.2	80
राज्य एवं जनपद स्तर पर समितियों का गठन	5.2	81
सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन	5.3	82
आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण की प्रगति की निगरानी	5.4	84

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.1	चयनित जनपदों, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों की सूची	89
2.1	नमूना जाँच किए गए जनपदों में 'जॉब कार्ड पूर्व से उपलब्ध' होने के कारण आवाससॉफ्ट से बाहर रखे गये लाभार्थियों का विवरण	92
2.2	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में दिव्यांग व्यक्तियों को स्वीकृत आवास का विवरण	93
3.1	राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश निर्गत करने में विलंब	94
3.2	लाभार्थियों को प्रथम किश्त निर्गत करने में विलंब	95
3.3	राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधि के कम उपभोग के कारण केन्द्रांश कम अवमुक्त किया जाना	96
3.4	वर्ष 2017-23 की अवधि में उपलब्ध प्रशासनिक निधि के सापेक्ष जनपदवार व्यय	97
3.5	गतिविधियाँ जिनपर नमूना जाँच किए गए जनपदों द्वारा वर्ष 2017-23 की अवधि में व्यय किया गया	98
3.6	लाभार्थियों की किश्तों का विवरण जो अन्य व्यक्तियों के खातों में हस्तांतरित हो गयी थीं	99
4.1	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों में निर्मित डेमो आवासों का विवरण	100
4.2	आँकड़ों में विसंगति वाले स्वीकृत आवासों से संबंधित लाभार्थियों का विवरण	101
4.3	संयुक्त भौतिक सत्यापन का परिणाम	102
4.4	नमूना जाँच किए गए जनपदों में सूचित की गयी अभिसरण की स्थिति	104
4.5	नमूना जाँच किए गए जनपदों में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के संबंध में संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण	105
5.1	विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के कार्य एवं उत्तरदायित्व	107

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि को आच्छादित करते हुये उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे प्रकरण हैं जो वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आये, परन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; तथा वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से संबन्धित प्रकरणों को भी, जहाँ ऐसा किया जाना आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए एवं वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के भारत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इंदिरा आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठन (नवंबर 2016) किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों एवं समस्त आवासहीन परिवारों को वर्ष 2022 तक, बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का आवास प्रदान करना था। इसकी समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मार्च 2024 तक 36.15 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान, आवास निर्माण की प्रगति से जुड़ी हुई तीन किश्तों में किया जाना था। आवासीय इकाई की सहायता लागत को भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया था।

'उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2017 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था; निधियों का आवंटन एवं निर्गमन पर्याप्त एवं समयबद्ध तरीके से किया गया था; भौतिक लक्ष्यों की समय पर एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया था; बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया गया था; योजना की निगरानी एवं मूल्याँकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (सितंबर 2024) एवं अप्रैल 2025 तक प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ की वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य में स्वीकृत 34.71 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में से, 34.18 लाख (98.47 प्रतिशत) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण मार्च 2024 तक पूर्ण कर राज्य द्वारा उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की गयी थी। तथापि, योजना के क्रियान्वयन में कमियाँ देखी गयीं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना- 2011 के आधार पर, परिभाषित आवास अभाव मानदंडों का उपयोग करते हुए तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य ने 14.47 लाख लाभार्थियों के साथ अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची प्रकाशित (मई 2016) की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने जुलाई 2017 में, राज्य सरकार को उन परिवारों की पहचान करने की सलाह दी, जो निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता के पात्र होने के बावजूद स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर रह गए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध (मार्च 2024) कराए गए आवासप्लस सर्वेक्षण आँकड़ों के सारांश में ऐसे परिवारों की संख्या 33.64 लाख सूचित थी, जिनमें से केवल 22.29 लाख लाभार्थियों को ही स्थायी प्रतीक्षा-सूची में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया। सर्वेक्षण में लाभार्थियों की पहचान के पश्चात उनमें से एक बड़े हिस्से को स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर रखा जाना, या तो सर्वेक्षण में अशुद्धियों का संकेत था या फिर एकत्रित आँकड़ों में विसंगतियों के कारण, पात्र परिवारों को बाहर रखा गया था। राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकार किया (अक्टूबर 2023) गया था कि कई पात्र लाभार्थी त्रुटिवश स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर हो गए थे।

राज्य सरकार के द्वारा, वर्ष 2017-23 की अवधि में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उपलब्ध कुल ₹ 40,231 करोड़ की धनराशि में से, ₹ 37,984 करोड़ (उपलब्ध कार्यक्रम निधि का 94.41 प्रतिशत) की धनराशि आवासों के निर्माण के लिए एवं ₹ 157 करोड़ (प्रशासनिक निधि का 40 प्रतिशत) की धनराशि प्रशासनिक व्ययों के लिए उपभोग की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधि के कम उपभोग के परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-23 की अवधि में, ₹ 357.29 करोड़ का केन्द्रांश, कम निर्गत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार से प्राप्त कार्यक्रम निधि के केन्द्रांश को राज्य नोडल खाते में हस्तांतरित करने में भी 74 से 105 दिनों का विलम्ब किया गया था। 79 प्रतिशत लाभार्थियों की प्रथम किश्त निर्गत किये जाने में, निर्धारित सात कार्य दिवसों से अधिक का विलम्ब हुआ। अगस्त 2024 तक, 11,031 लाभार्थियों (पूर्ण किये गए आवासों का 0.38 प्रतिशत) के प्रकरणों में ₹ 20.18 करोड़ की सहायता धनराशि निर्गत किया जाना अवशेष था, जबकि उनके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका था। लाभार्थियों के सत्यापन में यथोचित सावधानी न बरतने के कारण, नमूना-जाँच किए गए जनपदों में, 1,838 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 9.52 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी थी, जिनमें से ₹ 2.62 करोड़ की धनराशि सितंबर 2024 तक वसूल नहीं की जा सकी थी। संदिग्ध साइबर अपराध के कारण, 159 लाभार्थियों

के प्रकरण में, वर्ष 2017-20 की अवधि में देय किश्त की धनराशि (₹ 86.20 लाख), उद्दिष्ट लाभार्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के खातों में हस्तांतरित हो गयी थी, परन्तु प्रकरण अनिर्णीत (अक्टूबर 2024) था। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के द्वारा वर्ष 2018-23 की अवधि में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 50,771 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को, ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान अक्टूबर 2024 तक लंबित था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-23 के दौरान स्वीकृत 34.71 लाख आवासों में से, 20,215 (0.58 प्रतिशत) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास मार्च 2025 तक अपूर्ण थे, जबकि स्वीकृति की तिथि से उनके पूर्ण होने की 12 माह की निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी थी तथा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 134.51 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी थी। भूमिहीन लाभार्थी के प्रकरण में, राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि लाभार्थी को शासकीय भूमि से अथवा सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य भूमि से, आवास हेतु भूमि प्रदान की जाए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा, राज्य में पहचाने गए एवं स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किये गए भूमिहीन लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए जनपदों में बैंकरों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित करके, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थियों को बैंक ऋण सुविधा प्रदान करने के प्रयास अस्पष्ट थे।

गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक आवासों के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जलवायु परिस्थितियों, आपदा जोखिम कारकों, स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक कौशल पर आधारित आवास प्रतिकृतियों का एक संग्रह (पहल) प्रकाशित (नवंबर 2016) किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों (दिसंबर 2017) के अनुसार, यथासंभव 'पहल' की डिजाईन के आधार पर, जनपदों के प्रत्येक विकास खंड में डेमो हाउस का निर्माण किया जाना था। तथापि, सितंबर 2024 तक केवल 49 प्रतिशत विकास खण्डों में ही डेमो हाउस का निर्माण किया गया था, जबकि, राज्य सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वार्षिक कार्य योजना 2018-19 के अनुसार, इसे सितंबर 2018 तक सभी विकास खण्डों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। अग्रेतर, डेमो हाउस का निर्माण, संबंधित क्षेत्रों के लिए सुझायी गयी डिज़ाइनों के अनुसार नहीं किया गया था, जिससे डेमो हाउस के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा। इस प्रकार, लाभार्थियों को डेमो हाउस का प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री

आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास को विभाग द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पूर्ण हो चुके 2,079 आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, सूचित किये गए 2,079 पूर्ण आवासों में से, 77 आवास (3.70 प्रतिशत) अपूर्ण पाये गये। अग्रेतर, 74 प्रतिशत आवासों की दीवारों पर प्लास्टर नहीं था; 54 प्रतिशत आवासों में स्वच्छ भोजन पकाने के लिए विशेष स्थान नहीं था; 58 प्रतिशत आवासों में स्नान करने का विशेष स्थान नहीं था; 44 प्रतिशत आवासों में उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप जलभराव एवं रहने की स्थिति अस्वाथ्यकारी थी, तथा 82 प्रतिशत आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह अंकित नहीं था।

विद्यमान योजनाओं के साथ अभिसरण कर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है जैसे, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या किसी अन्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत् संयोजन, खाना पकाने के लिए, स्वच्छ एवं अधिक कुशल ईंधन हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी संयोजन। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 2,079 पूर्ण हो चुके आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय (29 प्रतिशत), रसोई गैस संयोजन (39 प्रतिशत), विद्युत संयोजन (30 प्रतिशत) तथा पाइप पेयजल संयोजन (89 प्रतिशत) जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में कमी पाई गयी थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। जनपद एवं विकास खंड स्तर के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की व्यवस्था की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था, तथापि, राज्य के 75 जनपदों में से, केवल पाँच जनपदों में ही कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्माण के दौरान, वांछित स्तर तक आवासों के निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किए गए थे। वर्ष 2017-23 की

अवधि में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखापरीक्षा में उल्लिखित अधिकांश आपत्तियाँ (53 प्रतिशत), एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अनिस्तारित थी।

कुछ प्रमुख अनुशंसायें

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- *ऐसे सभी पात्र लाभार्थी जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची से त्रुटिवश हटा दिया गया था, उन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जाए।*
- *राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश का हस्तांतरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।*
- *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में सम्मिलित सभी गतिविधियों पर प्रशासनिक निधियों का उपभोग किया जाए।*
- *लाभार्थियों के सत्यापन में उचित सावधानी बरती जाए ताकि अपात्र लाभार्थियों को सहायता राशि निर्गत करने से बचा जा सके।*
- *संदिग्ध साइबर अपराध के प्रकरणों में सम्मिलित धनराशि की वसूली एवं उद्दिष्ट लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान किया जाए।*
- *20,215 अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए सक्रिय अनुश्रवण किया जाए।*
- *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ पर्याप्त और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि आवासों में शौचालय, रसोई गैस संयोजन, विद्युत संयोजन, पाइप द्वारा पेयजल संयोजन जैसी सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।*
- *योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण में सुधार हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण के दौरान निरीक्षण किया जाए।*
- *दिशानिर्देशों में निर्धारित आवधिकता के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की जाए तथा सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।*
- *योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की शीघ्र स्थापना की जाए।*

अध्याय I

परिचय

अध्याय I

परिचय

निष्पादन लेखापरीक्षा के इस अध्याय में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बारे में संक्षिप्त परिचय, उत्तर प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना और राज्य में इसके क्रियान्वयन की स्थिति के अतिरिक्त लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली का विवरण दिया गया है।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 से लागू किया गया था एवं मार्च 2024 तक 36.15 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य राज्य को आवंटित किया गया था।
- वर्ष 2016-23 की अवधि में, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 34.71 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से मार्च 2024 तक 34.18 लाख आवासों का निर्माण किया गया था।

1.1 योजना के बारे में

ग्रामीण आवासों की कमी को दूर करना तथा विशेष रूप से गरीबों के लिए आवास की गुणवत्ता में सुधार करना, गरीबी उन्मूलन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने और वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इंदिरा आवास योजना[1] को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पुनर्गठित (नवंबर 2016) किया गया था। प्रधानमंत्री

[1] इंदिरा आवास योजना को वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया था और इसे 01 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना बनाया गया था। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन में सहायता करना था। इस कार्यक्रम को जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था और आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए फ्रेमवर्क में जैसा कि बताया गया है, इंदिरा आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा किया है, हालाँकि वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समवर्ती मूल्याँकन और निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ कमियों की पहचान की गई थी। इन कमियों में जैसे आवास की कमी का आकलन न करना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, आवास की निम्न गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी, लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं लेना और निगरानी के लिए अशक्त तंत्र, योजना के परिणामों एवं प्रभाव को सीमित कर रहे थे।

आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी आवासहीन परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का आवास प्रदान करना था। जिसकी समय-सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

1.1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं

- आवासों की कमी और अन्य सामाजिक अभाव मापदंडों[2] पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 में प्रदर्शित आँकड़ों का ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभार्थियों की पहचान एवं चयन किया जाना।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत न्यूनतम इकाई (आवास) के आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर कर दिया गया था, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक विशेष स्थान भी सम्मिलित था।
- मैदानी इलाकों में ₹ 70,000 (इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत) से बढाकर ₹ 1.20 लाख एवं पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों व एकीकृत कार्य योजना जनपदों में ₹ 75,000 (इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत) से बढाकर ₹1.30 लाख की मौद्रिक सहायता बढ़ाई गई।
- मैदानी क्षेत्रों में आवासीय इकाई की सहायता लागत को भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 के अनुपात में साझा किया जाना था।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के लिए सहायता (₹ 12,000) का प्रावधान था।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता राशि के अतिरिक्त आवास के निर्माण के लिए 90 मानव दिवसों[3] की अकुशल श्रमिक मजदूरी का प्रावधान था।
- स्थानीय सामग्रियों, उपयुक्त डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग कर लाभार्थियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण किये जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना था। लाभार्थी के पास सीमेंट कंक्रीट के आवास के मानक डिजाईन के अतिरिक्त संरचनात्मक रूप से मजबूत, सौंदर्य,

---

[2] सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 में अभाव के मापदंड: (i) केवल एक कमरा, कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले परिवार, (ii) 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न होना, (iii) महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है (iv) विकलांग सदस्य वाले परिवार और कोई हृष्ट पुष्ट वयस्क सदस्य न होना (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार (vi) ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क न होना एवं (vii) ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक सामायिक श्रम की आय से हो।

[3] दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना जनपदों में 95 मानव दिवस

सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त आवास के डिजाइनों का एक व्यापक विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध कराया जाना था।

- मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, विद्युत, खाना पकाने के लिए स्वच्छ एवं कुशल ईंधन आदि प्रदान करने के लिए अन्य शासकीय योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाना।

1.1.2 उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन की स्थिति

वर्ष 2016-17 में योजना की प्रारंभ होने के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को राज्य के समस्त 75 जनपदों में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य में मार्च 2024 तक 36.15 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि में राज्य में 34.71 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 34.18 लाख आवास पूर्ण (मार्च 2024) हो गये थे। वर्ष 2016-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की तुलना में मार्च 2024 तक निर्मित आवासों की संख्या ***चार्ट 1.1*** में प्रदर्शित है।

चार्ट 1.1: मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों का निर्माण

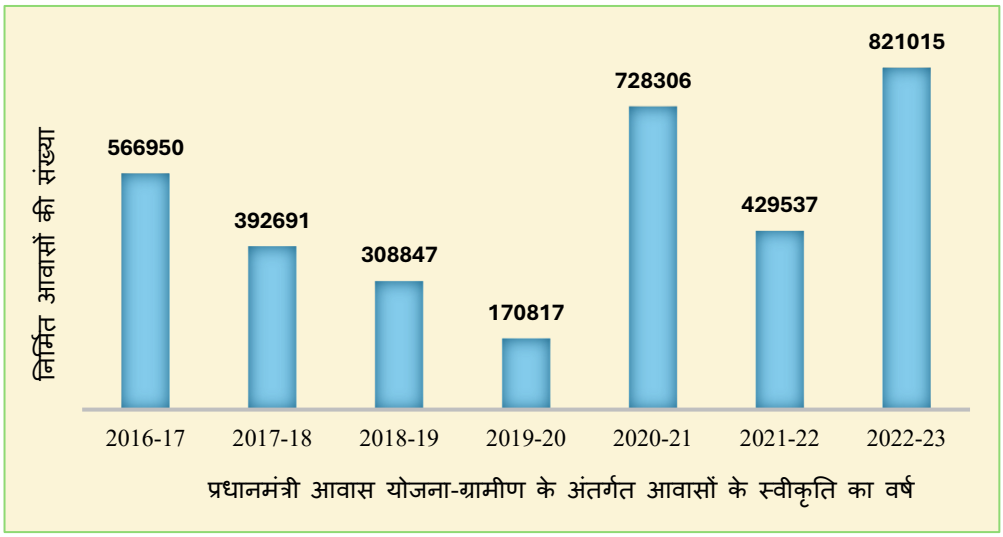

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

1.2 संगठनात्मक संरचना

उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया था। राज्य स्तर पर आयुक्त ग्राम्य विकास, जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और विकास खंड

स्तर पर खंड विकास अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। राज्य में ग्राम्य विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना ***चार्ट 1.2*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.2 ग्राम्य विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना

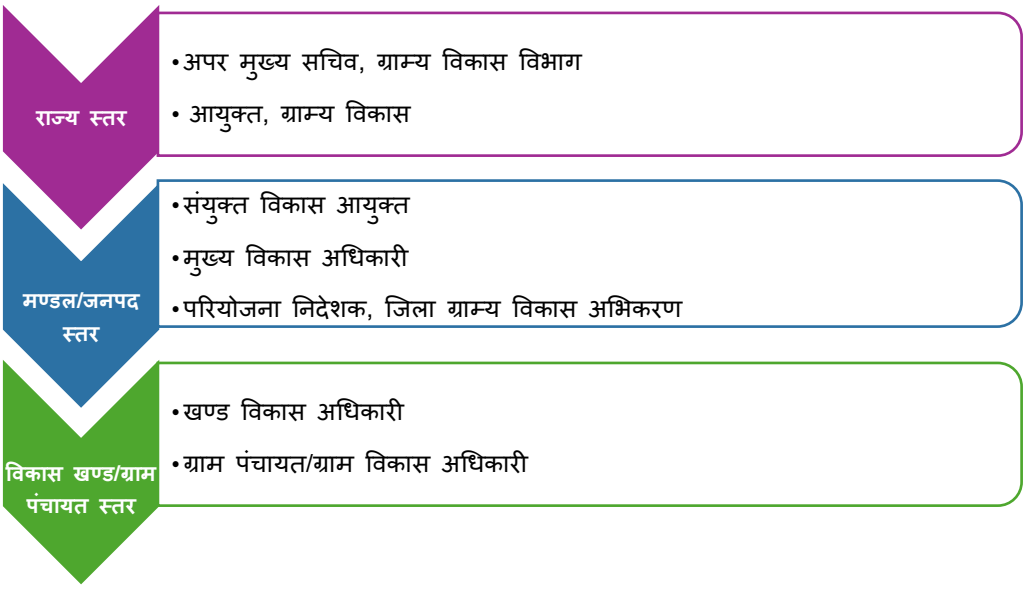

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के अंतर्गत, क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के कार्यों को करने के लिए राज्य को एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित करना था। उत्तर प्रदेश में, राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था एवं जनपद तथा विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा मात्र पाँच जनपदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जैसा कि अध्याय-V के प्रस्तर 5.1 में चर्चा की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया एवं विभिन्न चरणों को ***तालिका 1.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति के विभिन्न चरण

	चरण	स्तर/प्राधिकार
लाभार्थियों की पहचान एवं चयन	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 से या इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए किये गये सर्वेक्षण से पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना	भारत सरकार
	सूची के अंतर्गत लाभार्थियों की प्राथमिकता निर्धारित करना	
	राज्य के लिए के लिये लक्ष्य निर्धारित	

	चरण	स्तर/प्राधिकार
	राज्य के लक्ष्यों को जनपदवार/विकास खंडवार एवं ग्राम पंचायतवार वितरित किया जाना	राज्य स्तर[4] (आयुक्त ग्राम्य विकास)
	ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूची का सत्यापन किया जाना	ग्राम सभा/पंचायत
	सत्यापन के उपरान्त, सूची को व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाना	
	सूची में, सम्मिलित करने/हटाने/क्रम में परिवर्तन के लिए लाभार्थियों से शिकायत प्राप्त करना	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी), विकास खंड (खण्ड विकास अधिकारी) एवं जनपद (परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
	शिकायतों के समाधान के बाद स्थायी प्रतीक्षा-सूची को अंतिम रूप देना	जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
आवासों की स्वीकृति एवं लाभार्थियों को आवासीय इकाई की सहायता राशि निर्गत करना	अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची को बनाया जाना	जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
	वार्षिक चयन-सूची से आवाससॉफ्ट[5] पर लाभार्थी का पंजीकरण किया जाना	विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और लाभार्थी बैंक खाते का विवरण लिया जाना	
	बैंक द्वारा सत्यापन के लिए लाभार्थी के खाते को फ्रीज करना	
	बैंक से प्राप्त लाभार्थी के विवरण[6] को सत्यापित करना	
	स्वीकृति आदेश के लिए प्रस्ताव तैयार करना[7]	
	स्वीकृति आदेश तैयार किया जाना (प्रत्येक लाभार्थी के लिए स्वीकृति	जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (परियोजना

4 वर्ष 2020-21 अर्थात आवासप्लस सर्वेक्षण (2018-19) की स्थायी प्रतीक्षा-सूची लागू होने के उपरान्त से जनपदों, विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

5 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवाससॉफ्ट ई-गवर्नेंस की सुविधा के लिए एक वेब-आधारित लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच है।

6 सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से।

7 राज्य सरकार ने अवगत कराया (अप्रैल 2025) कि वर्तमान में, यह चरण प्रक्रियाधीन नहीं था। पंजीकरण, बैंक खाते को फ्रीज करने एवं लाभार्थी को जियोटैग करने के उपरांत, लाभार्थी का नाम स्वीकृति के लिए आवाससॉफ्ट के जनपद लॉगिन में स्वतः प्रदर्शित होता है।

	चरण	स्तर/प्राधिकार
	आदेश एक अलग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आईडी एवं क्यूआर कोड के साथ आवाससॉफ्ट में व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है)	निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)
	प्रथम किश्त के भुगतान के लिए आदेश पत्रक तैयार करना	विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	लाभार्थी को प्रथम किश्त निर्गत करने के लिए निधि अंतरण आदेश तैयार किया जाना	
	आगामी किश्त निर्गत करने से पूर्व वांछित स्तर तक आवास का निर्माण पूर्ण होने का निरीक्षण और जियोटैग किये गए चित्र को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाना	ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी
	आगामी किश्तों के भुगतान के लिए आदेश पत्रक तैयार किया जाना	विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	लाभार्थी को आगामी किश्त निर्गत करने के लिए निधि अंतरण आदेश तैयार किया जाना	
	अंतिम किश्त निर्गत करने से पूर्व वांछित स्तर तक आवास का निर्माण पूर्ण होने का निरीक्षण एवं जियोटैग किये गए चित्र को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाना	ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी
	अंतिम किश्त के भुगतान के लिए आदेश पत्रक तैयार किया जाना	विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (खण्ड विकास अधिकारी)
	लाभार्थी को अंतिम किश्त निर्गत करने के लिए निधि अंतरण आदेश तैयार किया जाना	

(स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश)

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं उनका चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था;

- निधियों का आवंटन एवं वितरण पर्याप्त तथा समयबद्ध तरीके से किया गया एवं इसका उपभोग भी मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- भौतिक लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना को प्रभावी ढंग से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार कार्यान्वित किया गया;
- मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में था;
- योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन मे था।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित प्रलेखों से प्राप्त किए गए थे:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क (नवंबर 2016)।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए निर्देश, परिपत्र एवं आदेश।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखा परीक्षा मे राज्य स्तर पर, वर्ष 2017-23 की अवधि से संबंधित कार्यालय प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग एवं आयुक्त ग्राम्य विकास के अभिलेखों की जाँच की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों[8] का प्रतिनिधित्व करते हुए पीपीएसडब्ल्यूओआर साँख्यिकीय नमूना पद्धति[9] अपनाकर 19 जनपदों[10]*(25* प्रतिशत) का चयन नमूना जाँच के लिए किया गया था। इसके पश्चात, प्रत्येक नमूना जाँच हेतु चयनित जनपद में 30 प्रतिशत या अधिकतम तीन विकास खंडो के खंड विकास कार्यालयों का चयन किया गया एवं पीपीएसडब्ल्यूओआर पद्धति[11] को लागू करके प्रत्येक नमूना विकास खंडो के अंतर्गत 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों या अधिकतम

[8] पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र। जनपद स्तर पर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अभिलेखों की जाँच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय में की गई थी।

[9] प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए अनुपात में संभावना विधि; जनपदों के चयन के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत किया गया व्यय को आधार के रूप में लिया गया था।

[10] जनपद स्तर पर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अभिलेखों की जाँच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय में की गई थी।

[11] विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों के चयन के लिए, संबंधित विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों की संख्या को आधार के रूप में लिया गया था।

पाँच ग्राम पंचायतों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित जनपदों, विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों की सूची ***परिशिष्ट 1.1*** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नमूना ग्राम पंचायत में यथाक्रम यादृच्छिक नमूना पद्धति[12] का उपयोग करके आठ लाभार्थियों का चयन उनके निर्मित आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए किया गया। इस प्रकार निष्पादन लेखापरीक्षा में 19 जनपदों[13], 56 विकास खंडो, 280 ग्राम पंचायतों एवं 2,178[14] लाभार्थियों के नमूनों को सम्मिलित किया गया।

1.6 प्रारंभिक एवं समापन बैठक तथा राज्य सरकार के उत्तर

राज्य सरकार के साथ एक प्रारंभिक बैठक 21 अगस्त 2023 को आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा कार्य सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 के मध्य सम्पादित किया गया। मसौदा प्रतिवेदन जुलाई 2024 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2024 में मसौदा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा 10 अक्टूबर 2024 को एक समापन बैठक आयोजित की गयी। राज्य सरकार/आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अतिरिक्त उत्तर/सूचना भी उपलब्ध (अप्रैल 2025) कराया गया । राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथास्थान सम्मिलित किया गया है।

1.7 प्रतिवेदन की संरचना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है:

अध्याय I: परिचय

अध्याय II: लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन

अध्याय IV: योजना का क्रियान्वयन

अध्याय V: योजना की निगरानी

---

[12] प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक लाभार्थी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य का चयन, यदि नमूना ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो, किया गया था ।

[13] जौनपुर, महराजगंज, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, झांसी, महोबा, सीतापुर, बहराइच, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, हरदोई, बांदा, हमीरपुर, उन्नाव एवं संभल।

[14] 249 ग्राम पंचायतों में आठ लाभार्थी उपलब्ध थे और 31 ग्राम पंचायतों में आठ से कम लाभार्थी उपलब्ध थे। इस प्रकार संयुक्त भौतिक सत्यापन में 280 ग्राम पंचायतों के कुल 2,178 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया।

अध्याय-I सामान्य प्रकृति का है जो लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली के साथ-साथ योजना का संक्षिप्त परिचय और राज्य में इसके क्रियान्वयन की स्थिति को दर्शाता है। अन्य चार अध्यायों (अध्याय-II से V) में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

1.8 अभिस्वीकृति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन में ग्राम्य विकास विभाग, आयुक्त ग्राम्य विकास, नमूना चयनित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के परियोजना निदेशक, विकास खंडो के खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

अध्याय II

लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

अध्याय II

लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

यह अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों जिन्हें लाभ प्रदान किया जाना था, उनकी पहचान एवं चयन प्रक्रिया के बारे में विश्लेषण करता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं उनका चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आँकड़ों के आधार पर राज्य में 14.47 लाख लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा-सूची मई 2016 में प्रकाशित की गई थी। तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण में, 43.89 लाख पात्र लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर पाए गए थे।
- राज्य में, आवासप्लस सर्वेक्षण 2018-19 में 33.64 लाख पात्र लाभार्थियों की पहचान की गयी थी, परन्तु उन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। तथापि, इन पहचाने गए लाभार्थियों में से बाद में मात्र 22.29 लाख लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किया गया। आवासप्लस सर्वेक्षण के पश्चात अधिकांश परिवारों का स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर रहना, या तो त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण या सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आँकड़ों में विसंगति का संकेत था।
- नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में 18,783 पात्र लाभार्थियों जो यद्यपि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित थे, को अभी तक योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका, क्योंकि "जॉब कार्ड पूर्व से उपलब्ध है" का कारण इंगित करते हुए उन्हें आवाससॉफ्ट से बाहर कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.1 में प्रावधान था कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के समग्र समूह में, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में उल्लिखित बहिर्वेशन प्रक्रिया[15] को छोड़कर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आँकड़ों के अनुसार

[15] चरण -1: पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले तथा दो से अधिक कमरों वाले आवास में रहने वाले परिवारों का बहिर्वेशन। चरण-2: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध 13 मापदंडों में से किसी एक को भी पूरा करने वाले परिवारों का स्वत: बहिर्वेशन।

शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले आवास में रहने वाले समस्त परिवार एवं आवासहीन परिवार सम्मिलित होंगे। लाभार्थियों के समग्र समूह से, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य के लिए प्राथमिकता के सिद्धांतों[16] को पूरा करने वाली अलग-अलग प्राथमिकता सूची तैयार की जानी थी। ऐसी सूचियों को ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रसारित किया जाना था। सत्यापन के पश्चात, सूचियों को कम से कम सात दिनों की अवधि के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना था। उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गलत तरीके से हटाये जाने या क्रम में बदलाव के संबंध में शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए पंद्रह दिनों की अवधि प्रदान की गयी थी। सक्षम प्राधिकारी अर्थात् खंड विकास अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किसी भी अधिकारी को शिकायतों की जाँच करनी थी तथा राज्य द्वारा गठित अपीलीय समिति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। अपीलीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत के समस्त प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात, प्रत्येक परिवार के लिए एक अलग क्रम के साथ प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायतवार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची प्रकाशित, व्यापक रूप से विज्ञापित एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी। लाभार्थी परिवार के चयन की प्रक्रिया को ***चार्ट 2.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया

(स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क)

[16] प्राथमिकता के सिद्धांत - सर्वप्रथम (1) आश्रयविहीन परिवार (2) बेसहारा/भीख माँग कर जीवनयापन करने वाले (3) हाथ से मैला ढोने वाले (4) आदिम जनजातीय समूह (5) वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर के स्वत: समावेशन के पश्चात परिवारों को आवासविहीनता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी थी एवं उसके पश्चात् क्रमश शून्य, एक और दो कमरे वाले को प्राथमिकता प्रदान की जानी थी।

2.1 लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

लेखापरीक्षा द्वारा स्थायी प्रतीक्षा-सूची तैयार किये जाने एवं तत्पश्चात स्थायी प्रतीक्षा-सूची के अद्यतन किये जाने के दौरान भी लाभार्थियों के पहचान और चयन की प्रक्रिया में कमियाँ पायी गयीं, जिस पर उत्तरवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

2.1.1 स्थायी प्रतीक्षा-सूची तैयार करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनुमोदन एवं वर्ष 2016-17 से इसके क्रियान्वयन के बारे में सूचित (अप्रैल 2016) किया तथा इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों की यथाशीघ्र पहचान की जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2016 तक ग्राम सभा द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची भी प्रदान की थी। निर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता सूचियों की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, यदि नाम को गलत तथ्यों के आधार पर सम्मिलित किया गया हो तो ग्राम सभा उस नाम को हटा सकती थी और यदि ग्राम सभा के पास पर्याप्त आधार है तो वह कारण दर्ज करते हुए प्राथमिकता सूची में परिवर्तन कर सकती थी। ग्राम सभा, सूची में जोड़े जाने वाले नामों के बारे में अपने अभिमत को दर्ज कर सकती थी एवं इसे अपने संकल्प के साथ खंड विकास अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी शासकीय पदाधिकारी को प्रेषित कर सकती थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश निर्गत (अप्रैल 2016) किए तथा मई 2016 के अंत तक अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में 14.47 लाख लाभार्थियों के साथ अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची मई 2016 में प्रकाशित की गयी थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए 18 जनपदों से एकत्र की गई सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आँकड़ों के आधार पर सिस्टम द्वारा तैयार की गई लाभार्थी सूची की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, ऐसे परिवारों की सूची तैयार नहीं की गई थी जो सिस्टम द्वारा सृजित प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं थे, परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र थे। नमूना जाँच किये गए एक जनपद[17] में, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सूचित (दिसंबर 2023) किया गया कि सूचियाँ विकास खंड

[17] संभल

स्तर पर तैयार की गयी थी, किन्तु जनपद के नमूना जाँच किये गए तीन विकास खंडो द्वारा यह सूचित (दिसंबर 2023) किया गया कि ऐसी सूची तैयार नही की गयी थी। इस प्रकार नमूना जाँच किये गए जनपदों में ऐसे छूटे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.4.4[18] के अनुपालन में, आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान करने के लिए निर्देश (मई 2017) निर्गत किए गए थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मापदंडों को पूरा करते हो और योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र थे, परन्तु सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आधार पर लाभार्थियों की सूची से छूट गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में, राज्य में ऐसे 43.89 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया अप्रैल 2016 में ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूची के सत्यापन के दौरान पूर्ण की जा सकती थी जिससे उनकी पहचान अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची के प्रकाशन से पूर्व की जा सके।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि ऐसे पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवासप्लस सर्वेक्षण (2018) के दौरान स्थायी प्रतीक्षा-सूची में नाम जोड़ने का विकल्प प्रदान किया, जिसमें ग्राम सभा द्वारा सिस्टम द्वारा सृजित की गयी सूची के सत्यापन के दौरान और सर्वेक्षण में पाए गए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया था। आगे यह भी बताया गया कि चूंकि ग्राम सभा के समक्ष सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सिस्टम सृजित सूची को रखने के दौरान, भारत सरकार द्वारा नाम जोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए ऐसे पात्र लाभार्थियों जिन्हें सिस्टम सृजित सूची से बाहर रखा गया था, के नामों को जोड़कर स्थायी प्रतीक्षा-सूची के प्रकाशन का कोई औचित्य नहीं था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान, यह भी बताया गया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़े सार्वभौमिक थे जिसमें सभी पात्र लाभार्थी सम्मिलित थे तथा सामाजिक आर्थिक जाति

[18] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.4.4 में प्रावधान था कि प्राथमिकता सूची के सत्यापन के समय, ग्राम सभा को आगे की कार्यवाही के उद्देश्य से खंड विकास अधिकारी या राज्य द्वारा नामित किसी भी अधिकारी को निम्नलिखित सूचियों को अग्रेषित करना था: - (अ) ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता दिए गए पात्र परिवारों की सूची, (ब) हटाए गए परिवारों की सूची तथा (स) सिस्टम द्वारा सृजित प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं किए गए लेकिन अन्यथा पात्र पाए गए परिवारों की ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार तैयार की गयी सूची।

जनगणना-2011 के आधार तैयार स्थायी प्रतीक्षा-सूची में नाम सम्मिलित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि मई 2016 में अंतिम स्थाई प्रतीक्षा-सूची के प्रकाशन के पश्चात, मई 2017 में ऐसे छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें 43.89 लाख पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई थी। ग्राम सभा द्वारा सिस्टम सृजित सूची के सत्यापन के दौरान ऐसी सूची तैयार नहीं की गई थी। इसके अतरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों (अप्रैल 2016) के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि लाभार्थियों की सिस्टम सृजित सूची को ग्राम सभा द्वारा आगे भी सत्यापित किया जाना था और सत्यापन के समय ऐसे परिवारों की सूची ग्राम सभाओं द्वारा तैयार की जानी थी जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 की स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं थे।

2.1.2 स्थायी प्रतीक्षा-सूची का अद्यतनीकरण

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.6.1 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के प्रारंभिक वर्ष में स्थायी प्रतीक्षा-सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। तथापि, ग्राम सभा अथवा राज्य पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की निम्नतम इकाई द्वारा अनुमोदित दावेदार के अतिरिक्त अन्य दावेदार, सूची में सम्मिलित करने के लिए अपने दावे ग्राम सभा अथवा राज्य पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की निम्नतम इकाई द्वारा संकल्प पारित होने के दिन से छह माह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को उन परिवारों की पहचान करने का परामर्श (जुलाई 2017) दिया था, जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, यद्यपि वे निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसे परिवारों की पहचान के लिए मानदंड भी निर्धारित (जनवरी 2018) किए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों (जनवरी 2018) के अनुपालन में, आयुक्त ग्राम्य विकास ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को आवासप्लस एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण करने के निर्देश निर्गत (मई 2018) किए ताकि ऐसे छूटे हुए परिवारों की पहचान की जा सके। यह सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित किया गया तथा 22.29 लाख ऐसे

लाभार्थियों की आवासप्लस सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा-सूची सितंबर 2020 में प्रकाशित की गयी थी।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि सर्वेक्षण (2018-19) में राज्य के अंतर्गत 54.32 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की गई जो पात्र थे, परन्तु सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं थे। इन चिन्हित परिवारों में, वर्ष 2017-18 में पूर्व में पहचाने गए 43.89 लाख परिवार सम्मिलित थे जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.1 में की गयी है। तथापि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए आवासप्लस सर्वेक्षण आँकड़ों (मार्च 2024) के सारांश में ऐसे परिवारों की संख्या मात्र 33.64 लाख सूचित की गयी थी। आवासप्लस सर्वेक्षण सारांश विवरण के अग्रेतर विश्लेषण से पता चला कि मात्र 22.29 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार आवासप्लस सर्वेक्षण में पहचाने गए सभी छूटे हुए लाभार्थियों को अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जिसे ***चार्ट 2.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: आवासप्लस सर्वेक्षण आँकड़ो का सारांश

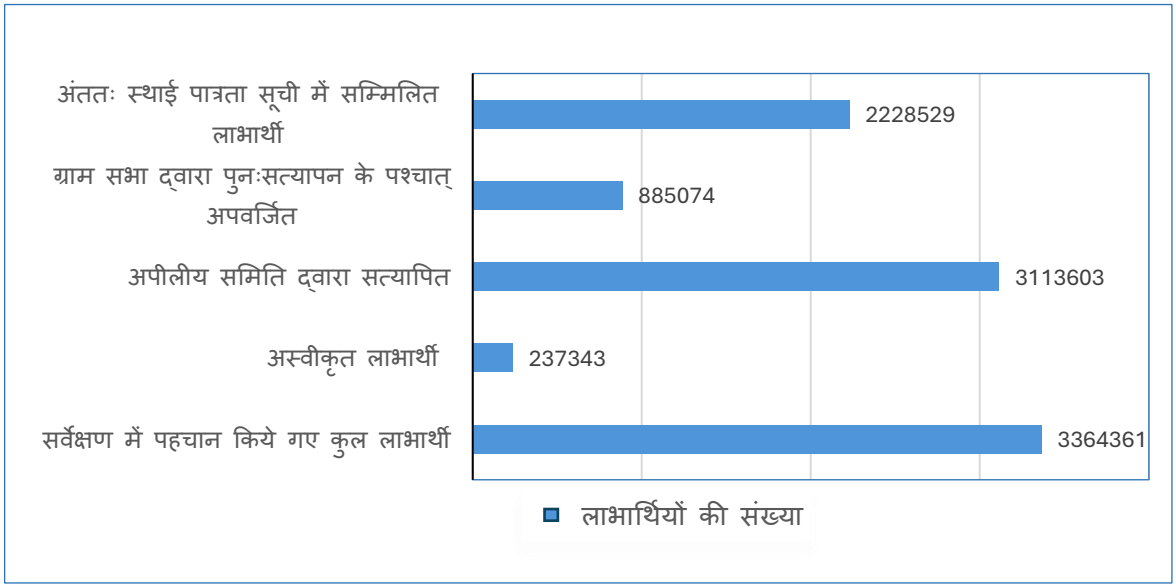

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

सर्वेक्षण में लाभार्थियों की पहचान के पश्चात अधिकांश लाभार्थियों का पात्रता- सूची से बाहर होना या तो त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण या सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आँकड़ों में अन्य विसंगतियों को इंगित करता था।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से तीन जनपदों[19] में, कुल 4,884 लाभार्थियों की पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत

[19] सुल्तानपुर, संभल और बांदा

पात्र लाभार्थियों के रूप में की गयी थी, परन्तु मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्थायी प्रतीक्षा-सूची में उन्हें सम्मिलित करने के लिए संबंधित जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी। शेष नमूना जाँच वाले जनपदों में से 14 जनपदों[20] ने ऐसे लाभार्थियों का आँकड़ा 'शून्य' सूचित किया, जबकि दो जनपदों[21] ने सूचित किया कि विकास खण्ड स्तर पर छूटे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार की गई थी, तथापि, ऐसे लाभार्थियों की संख्या या सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता-सूची से पात्र लाभार्थियों को बाहर किये जाने के प्रकरण को उठाया (जून 2023) गया था। इसके पश्चात आयुक्त ग्राम्य विकास ने भारत सरकार को सूचित (अक्टूबर 2023) किया कि ऐसे कई प्रकरण संज्ञान में थे जहाँ पात्र लाभार्थियों को विभिन्न कारणों[22] से त्रुटिवश रिमांड कर दिया गया या स्थायी प्रतीक्षा-सूची से निष्काषित कर दिया गया था एवं इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी। तदनुसार, आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि वह राज्य सरकार को मास्टर डेटा को सही करने का विकल्प प्रदान करे। इस प्रकार, सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आच्छादन के लिए स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि जिन पात्र लाभार्थियों को त्रुटिवश निष्काषित/रिमांड कर दिया गया था, उन्हें वर्ष 2024 में किए जाने वाले नए सर्वेक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान अग्रेतर यह बताया गया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि सर्वेक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करना होगा जिससे न तो अपात्र लाभार्थियों को सम्मिलित किया जा सके और न ही पात्र लाभार्थियों की उपेक्षा या उन्हें बाहर किया जा सके।

नमूना जाँच किए गए जनपदों में छूटे हुए लाभार्थियों के संदर्भ में, राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2018-19 में आवासप्लस सर्वेक्षण के पश्चात, भारत सरकार

---

20 अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बदायूं, बाराबंकी, हरदोई, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, महोबा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर एवं उन्नाव

21 सीतापुर और बहराइच

22 डुप्लीकेट जॉब कार्ड, जॉब कार्ड पूर्व से उपलब्ध होना, आवासप्लस स्थायी प्रतीक्षा-सूची में पूर्व से उपलब्ध एक ही जॉब कार्ड नंबर वाला परिवार एवं डुप्लीकेट आधार कार्ड।

द्वारा आवाससॉफ्ट पर नाम जोड़ने का विकल्प बंद कर दिया गया था, जिसके कारण नए पात्र लाभार्थियों के नाम नहीं जोड़े जा सके। आगे यह भी बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में पुनः विकल्प उपलब्ध कराने के पश्चात इन नए पात्र लाभार्थियों के नाम स्थायी प्रतीक्षा-सूची में जोड़े जाएंगे।

उत्तर से स्पष्ट था कि आवासप्लस सर्वेक्षण (2018-19) सभी पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने एवं मात्र अपात्र लोगों को निष्काषित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अधिकांश पहचाने गए लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर कर दिया गया था। अग्रेतर, छूटे हुए लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित करने के प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के निर्देशों[23] के अनुसार भारत सरकार के समक्ष उठाया जाना चाहिए था।

2.2 अकुशल श्रम का लाभ प्रदान न किया जाना

योजना के प्रस्तर 5.1.2 के प्रावधान के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के दौरान 90 मानव दिवसों[24] तक अकुशल श्रम का लाभ प्रदान किया जाना था। इसका लाभ लाभार्थी स्वयं उठा सकता था, तथा ऐसे प्रकरण में जहाँ लाभार्थी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अपने 100 मानव श्रमदिवस पूर्ण कर लिए थे, या यदि लाभार्थी वृद्ध/दिव्यांग है एवं कुछ कारणों से स्वयं काम करने में असमर्थ है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य के इच्छुक किसी अन्य श्रमिक द्वारा श्रम का योगदान किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में, 18,783 पात्र लाभार्थी जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किया गया था, उन्हें 'जॉब कार्ड पूर्व से उपलब्ध है' का कारण दर्शाते हुए आवाससॉफ्ट से निष्काषित किए जाने के कारण योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था। जनपदवार विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है। ये लाभार्थी अन्यथा पात्र थे, लेकिन उन्हें योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत नहीं किए गए थे क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्गत उनके जॉब कार्ड का उपयोग पूर्व में ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत किया जा चुका था। यह प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान (मार्च 2021) में था एवं ग्रामीण

---

[23] क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.6.2 में प्रावधान था कि अपीलीय समिति की अनुशंसा के अनुसार समग्र समूह में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित परिवारों की सूची ग्राम पंचायत एवं समुदायवार तैयार की जा सकती है। इन परिवारों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित करने का निर्णय केन्द्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।

[24] दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना जनपदों में 95 मानवदिवस

विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की गई थी। परन्तु, इन लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के स्थान पर, यह निर्णय लिया गया कि ऐसे लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची से रिमांड[25] कर दिया जाये। इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों के स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित 18,783 पात्र लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाना शेष था। अग्रेतर, पूरे राज्य में, उपरोक्त आधार पर आवाससॉफ्ट से निष्काषित किये गए ऐसे प्रकरणों की संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि ऐसे सभी लाभार्थी जो 'डुप्लीकेट जॉब कार्ड, जॉब कार्ड पूर्व से उपलब्ध है, एक ही जॉब कार्ड नंबर वाला परिवार' जैसे कारणों से छूट गए थे, उन्हें वर्ष 2024 में होने वाले आवासप्लस सर्वेक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया गया कि ऐसे प्रकरण जिन्हें तकनीकी कारण से बाहर कर दिया गया था, उनके लिए वर्तमान सर्वेक्षण में राहत प्रदान की गयी थी क्योंकि वर्तमान सर्वेक्षण को लीगेसी डेटा से अलग (डीलिंक) कर दिया गया था ।

2.3 दिव्यांगजन का आच्छादन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.4.6 के अनुसार राज्य को जहाँ तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना था कि राज्य स्तर पर तीन प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजनों में से हों, जिसे बाद में, 'नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995' के अनुसार मार्च 2018 से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत कर दिया गया था।

जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-23 की अवधि में योजना के अंतर्गत स्वीकृत 28.99 लाख आवासों में से मात्र 1,248 आवास (0.04 प्रतिशत) दिव्यांगजन श्रेणी के लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए थे। अग्रेतर, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि इन जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 12.75 लाख आवासों (2017-23) के सापेक्ष दिव्यांगजन श्रेणी के लाभार्थियों को मात्र 253 आवास (0.02 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए थे ***(परिशिष्ट 2.2)***।

[25] रिमांड किया जाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारी के निर्देश पर ग्राम सभा द्वारा परिवार की पात्रता का पुनर्सत्यापन किया जाता है जिससे अपात्र परिवारों को लाभार्थियों की सूची से बाहर किया/हटाया जा सके।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 की स्थायी प्रतीक्षा-सूची वर्ष 2019-20 में संतृप्त हो गयी थी और आवासप्लस की स्थायी प्रतीक्षा-सूची वर्ष 2024-25 तक संतृप्त हो जाएगी। इस स्थिति में स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित सभी दिव्यांगजन लाभार्थियों को अन्य लाभार्थियों के साथ आवास स्वीकृत किए जा रहे है। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) में यह भी बताया गया कि स्थाई प्रतीक्षा-सूची में लाभार्थियों के नाम के साथ दिव्यांगजन श्रेणी को चिह्नित न करने के कारण डेटा कैप्चर नहीं किया जा सका था। आगे यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वेक्षण में दिव्यांगजन श्रेणी को ठीक से चिह्नित नहीं किया गया था एवं संभवतः इसी कारण से वह छूट गए हों। राज्य सरकार ने आगे बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु किए जाने वाले सर्वेक्षण में ऐसे सभी लाभार्थियों को सम्मिलित कर लिया जाए।

उत्तर से स्पष्ट था कि सर्वेक्षण में कमी के कारण स्थाई प्रतीक्षा-सूची या बाद के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सर्वेक्षण में दिव्यांगजन श्रेणी को ठीक से चिह्नित नहीं किया गया था, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.4.6 के अनुसार राज्य में दिव्यांगजनों के आच्छादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.4 स्थाई प्रतीक्षा-सूची में स्वत: समावेशन के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थिति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.2.2 में प्रावधान था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिभाषित 'अनिवार्य समावेशन' के मानदंडों[26] को पूर्ण करने वाले परिवारों को और अधिक प्रोन्नत किया जाएगा। स्वत: समावेशित किए गए परिवारों को प्राथमिकता समूह के अंतर्गत अन्य परिवारों की तुलना में कम रैंक नहीं दी जायेगी। दो उपसमूहों अर्थात, वे परिवार जो स्वत: रूप से सम्मिलित हैं एवं अन्य, के बीच पारस्परिक प्राथमिकता, उनके सकल अपवर्जन के अंको के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आश्रय विहीन परिवारों, निराश्रित/भिक्षा पर रहने वाले, सिर पर मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूहों, कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के रूप में मापदंडों को पूरा करने वाले लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची में स्वत: समावेशन के संबंध में आँकड़े राज्य स्तर पर और

[26] जैसा कि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुलग्नक-1 में विस्तार से बताया गया था, स्वत: समावेशन के लिए मापदंड, बिना आश्रय वाले परिवार, भिक्षा पर रहने वाले निराश्रित, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर थे।

नमूना जाँच किए गए 17 जनपदों[27] में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों के लाभार्थियों को सम्मिलित करने की स्थिति को ज्ञात नहीं किया जा सका, जो क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में उनके लिए विशेष प्रावधान को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि स्थायी प्रतीक्षा-सूची में स्वत: समावेशन के लिए पात्र लाभार्थियों का आँकड़ा आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध नहीं था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल में ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं था एवं ऐसे लाभार्थियों की स्थिति उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

सारांश में, ग्राम सभा द्वारा सिस्टम सृजित प्राथमिकता सूची के सत्यापन के दौरान, उन लाभार्थियों जो पात्र थे लेकिन सिस्टम सृजित प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं थे, के पहचान की प्रक्रिया सम्पादित नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए प्रकाशित प्रारंभिक स्थायी प्रतीक्षा-सूची में ऐसे पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके पश्चात, ऐसे लाभार्थियों को सम्मिलित करने हेतु किया गया आवासप्लस सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इस सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए अधिकांश परिवारों को निष्काषित या रिमांड कर दिया गया था तथा आवासप्लस सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन लाभार्थियों को प्राथमिकता का लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि दिव्यांगजन लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा-सूची में चिह्नित नहीं किया गया था। इस प्रकार, स्थाई प्रतीक्षा-सूची तैयार किये जाने में कमियों के कारण सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका और कई पात्र लाभार्थी अभी भी स्थाई प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किए जाने की प्रतीक्षा में थे।

अनुशंसा

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसे सभी पात्र लाभार्थी जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची से त्रुटिवश हटा दिया गया था, उन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जाए।

[27] दो जनपदों बहराइच एवं उन्नाव द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

इस अध्याय में योजना के वित्तपोषण पर चर्चा की गई है जिसमे योजना के अंतर्गत निधियों के अवमुक्त एवं उपभोग किये जाने से संबंधित प्रकरण सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: निधियों का आवंटन एवं वितरण पर्याप्त तथा समयबद्ध तरीके से किया गया एवं इसका उपभोग भी मितव्ययितापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु उपलब्ध ₹ 39,835 करोड़ की कुल कार्यक्रम निधि में से राज्य सरकार द्वारा ₹ 37,984 करोड़ (95 प्रतिशत) का उपभोग किया गया।
- वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2019-20 की अवधि में केन्द्रीय अंश के राज्य नोडल खाते में विलम्ब से अंतरण के कारण, राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 16.56 करोड़ की देनदारी सृजित की गयी।
- वर्ष 2017-23 की अवधि में लाभार्थियों को पहली किश्त निर्गत करने के 79 प्रतिशत प्रकरणों में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त आवासों के पूर्ण होने के एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2024 तक 11,031 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता राशि ₹ 20.18 करोड़ हस्तांतरित नहीं की गयी थी।
- वर्ष 2017-23 की अवधि में 1,838 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 9.52 करोड़ की किश्तें अवमुक्त की गयी जिसमें से अक्टूबर 2024 तक ₹ 2.62 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।
- राज्य द्वारा वर्ष 2017-23 की अवधि में उपलब्ध प्रशासनिक निधियों का मात्र 7.71 से 50.16 प्रतिशत का ही उपभोग किया जा सका। प्रशासनिक निधियों के कम उपभोग के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-23 की अवधि में कुल ₹ 357.29 करोड़ का केन्द्रीय अंश कम अवमुक्त हुआ।
- वर्ष 2018-23 की अवधि से सम्बंधित ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के 50,771 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति, निधियों की उपलब्धता के उपरान्त भी भुगतान हेतु लंबित (अक्टूबर 2024) थी।

3.1 निधि प्रबंधन

3.1.1 निधि प्रवाह

योजना को केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्रमश: 60:40 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है। अवमुक्त निधि में कार्यक्रम निधि (नए आवासों के निर्माण हेतु) और प्रशासनिक निधि (प्रशासनिक व्यय[28] हेतु) सम्मिलित है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधानित है कि राज्य स्तर पर एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बचत बैंक खाते के रूप में राज्य नोडल खाते का रख-रखाव करना था। वार्षिक केन्द्रीय आबंटन की धनराशि के समतुल्य राज्यांश को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य नोडल खाते में साथ ही जमा किया जाना था।

3.1.2 कार्यक्रम निधि

वर्ष 2017-23 की अवधि में राज्य द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गयी कार्यक्रम निधियों का विवरण ***तालिका 3.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कार्यक्रम निधि की प्राप्ति एवं उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार का अंश	राज्यांश	ब्याज	अन्य प्राप्ति	योग	व्यय (*प्रतिशत में*)	अन्तिम अवशेष
2017-18	2736.02	4927.16	3547.75	34.82	0.00	11245.75	10413.03 (92.60)	832.72
2018-19	832.72	2655.37	1770.24	23.53	0.00	5281.86	4724.71 (89.45)	557.15
2019-20	557.15	1261.18	840.78	12.78	21.84	2693.73	2213.63 (82.18)	480.10
2020-21	480.10	4835.85	2556.92	18.25	1.58	7892.70	5771.94 (73.13)	2120.76
2021-22	2120.76	3685.17	2957.52	9.56	0.63	8773.64	7978.41 (90.94)	795.23
2022-23	795.23	4648.43	3265.19	24.73	0.07	8733.65	6882.38 (78.80)	1851.27
योग		**22013.16**	**14938.40**	**123.67**	**24.12**		**37984.10**	

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास, उ.प्र. द्वारा प्रदान की गई सूचना)

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-23 की अवधि में उपलब्ध कुल कार्यक्रम निधियों (₹ 39,835.37 करोड़[29]) में से विभाग द्वारा प्रधानमंत्री

[28] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.3.1 में प्रावधान है कि राज्य को अवमुक्त कार्यक्रम निधि के चार प्रतिशत (जिसे बाद में वर्ष 2019-20 से दो प्रतिशत तक संशोधित किया गया था) तक का उपभोग योजना के संचालन के लिए किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यय को केन्द्र और राज्यों द्वारा उसी अनुपात में साझा किया जाता है जो मुख्य कार्यक्रम व्यय पर लागू होता है।

[29] वर्ष 2017-18 का आरंभिक शेष (₹ 2,736.02 करोड़) + भारत सरकार का अंश (₹ 22,013.16 करोड़) + राज्यांश (₹ 14,938.40 करोड़) + ब्याज (₹ 123.67 करोड़) + अन्य प्राप्तियाँ (₹ 24.12 करोड़) = ₹ 39,835.37 करोड़।

आवास योजना-ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 37,984.10 करोड़ (95 *प्रतिशत*) का उपभोग किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि राज्य नोडल खाते में निधियों की उपलब्धता एवं एवं लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार, लाभार्थियों के खाते में किश्तों का हस्तांतरण करके आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया था ।

3.2 राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश निर्गत करने में विलंब

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 10.7 में प्रावधानित था कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधियों सहित आवंटित केंद्रीय निधियों को, आवंटन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर राज्य नोडल खाते में अंतरित किया जाना चाहिए जिसमें विफल रहने पर, राज्य नोडल खाते में हस्तांतरित नहीं की गयी केंद्रीय निधि की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज देय होगा। अगली किश्त निर्गत करते समय राज्य को दांडिक ब्याज जमा करने के संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसमें विफल रहने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तद्नुसार गणना की गयी राशि उसके केन्द्रीय अंश से काट ली जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2019-20 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (कार्यक्रम निधि एवं प्रशासनिक निधि) का केन्द्रांश, राज्य सरकार द्वारा राज्य नोडल खाते में 74 से 105 दिनों के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में प्रदर्शित है। केन्द्रीय अंश की विलम्ब से अवमुक्ति ने राज्य सरकार को ₹ 16.56 करोड़ के दांडिक ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाया। आयुक्त ग्राम्य विकास ने बताया (मार्च 2024) कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किश्तों में से कोई अर्थदण्ड नहीं काटा गया। अग्रेतर, यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 तक दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि केन्द्रांश को अवमुक्त करने में, प्रक्रियात्मक समय लगने एवं वित्त विभाग द्वारा तकनीकी कारणों से केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने की पुष्टि में विलम्ब या वित्तीय वर्ष के अंत में केन्द्रांश को अवमुक्त करने के कारण विलम्ब हुआ था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि

विलम्ब प्रक्रियात्मक था एवं भारत सरकार द्वारा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था।

3.3 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त करने में विलम्ब

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.4.1 में प्रावधान के अनुसार आवास निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह (सात कार्य दिवस) के अन्दर लाभार्थी को कार्यक्रम निधि में से प्रथम किश्त, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-23 की अवधि में, राज्य में केवल 21 प्रतिशत लाभार्थियों को ही सात कार्य दिवसों के अन्दर प्रथम किश्त प्राप्त हुई एवं पर्याप्त संख्या (79 प्रतिशत) में ऐसे लाभार्थी थे जिन्हें नियत समयावधि में प्रथम किश्त प्राप्त नहीं हो सकी, जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में प्रदर्शित है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रथम किश्त अवमुक्त करने में लिया गया समय

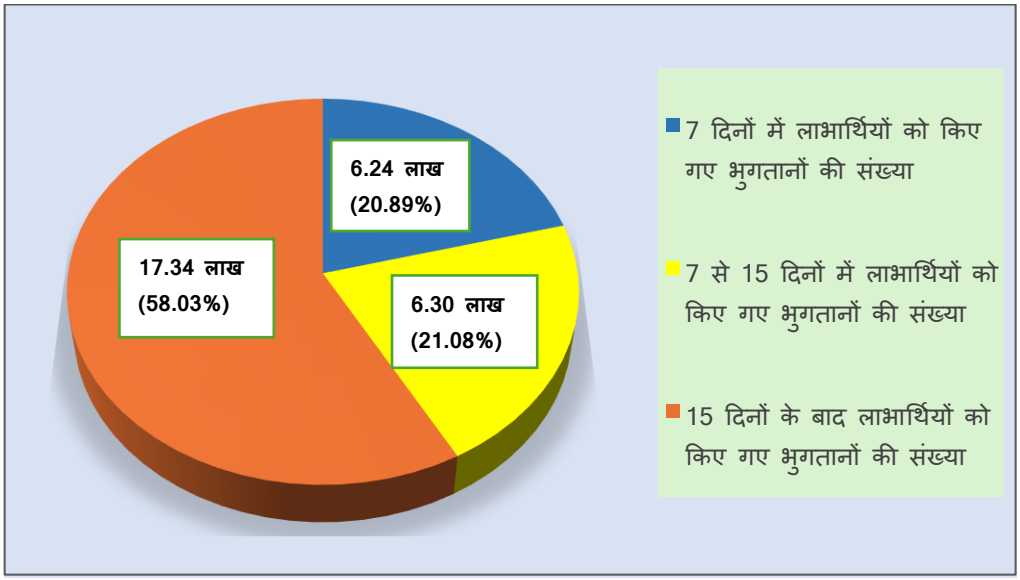

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रदान की गई सूचना)

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों के 2,178 लाभार्थियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह देखा गया कि 1,242 (57 प्रतिशत) लाभार्थियों के प्रकरणों में प्रथम किश्त अवमुक्त करने में 15 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ (**परिशिष्ट 3.2**)। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि प्रथम किश्त अवमुक्त करने के लिए क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रदान की गई समय-सीमा का विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर (सितंबर 2024) में बताया कि नियत अवधि में प्रथम किश्त अवमुक्त न करना तकनीकी कारणों जैसे खाते के सत्यापन में विलम्ब, आदेश पत्रक तैयार करने में समस्या, निधि हस्तांतरण आदेश की अस्वीकृति और ग्रामों/विकास खण्डों में सर्वर की कार्यप्रणाली में समस्या से था। राज्य सरकार ने आगे बताया कि सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)/बैंक से संवितरण की सूचना प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण आवाससॉफ्ट पर क्रेडिट रिपोर्ट दर्शाने में भी विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण किश्तों के संवितरण में इस प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही कर सकती है।

3.4 लाभार्थियों को किश्त का भुगतान न करना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, लाभार्थी को आवास के निर्माण के लिए आवासीय इकाई की सहायता राशि ₹ 1.20 लाख प्रदान की जानी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.7.2 में प्रावधान के अनुसार राज्य को प्रथम किश्त का भुगतान अनिवार्य रुप से आवास स्वीकृति के समय करना चाहिए तथा राज्य द्वारा शेष किश्तों को निर्माण के विभिन्न चरणों/स्तरों[30] से मैप करना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आयुक्त ग्राम्य विकास को तीन किश्तों में, ₹ 40,000 (आवास की स्वीकृति के समय), ₹ 70,000 (प्लिंथ स्तर तक निर्माण के पश्चात) और ₹ 10,000 (छत ढलाई स्तर[31] के पश्चात) लाभार्थी को आवासीय इकाई की सहायता राशि निर्गत करने हेतु निर्देशित (जून 2017) किया गया।

आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रदान की गई सूचना (मार्च 2024) के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अवधि में पूर्ण किए गए 20,009 आवासों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि ₹ 241.23 करोड़ में से ₹ 27.20 करोड़ अवमुक्त किया जाना लंबित था, जैसा कि ***तालिका 3.2*** में विवरण प्रदर्शित है।

---

30 दूसरी किश्त को या तो नींव या प्लिंथ स्तर और तीसरी किश्त को या तो विंडसिल/लिंटेल/रूफ कास्ट स्तर के साथ मैप किया जाना था।

31 नवंबर 2017 में, उ०प्र० शासन ने निर्देश दिया कि तीसरी किश्त आवास के पूर्ण होने के पश्चात्, यानी छत ढलाई एवं प्लास्टर के पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।

तालिका 3.2 पूर्ण आवासों के लिए अवमुक्त की जाने वाली लंबित राशि

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्ण किये गए आवासों की संख्या जिसके लिए लाभार्थी को आवासीय इकाई की सहायता राशि अवमुक्त किया जाना लंबित था	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	अवमुक्त किये जाने हेतु लंबित राशि
2017-18	1014	1224.80	976.98	247.82
2018-19	430	518.00	456.30	61.70
2019-20	673	812.30	722.80	89.50
2020-21	2266	2732.70	2407.24	325.46
2021-22	2357	2857.50	2505.98	351.52
2022-23	13269	15977.80	14333.80	1644.00
योग	**20009**	**24123.10**	**21403.10**	**2720.00**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

तालिका 3.2 से यह देखा जा सकता है कि 20,009 लाभार्थियों को उनके आवासों के पूरा होने के एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी ₹ 27.20 करोड़ की राशि अवमुक्त किया जाना शेष (मार्च 2024) था। आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर डेटा को अद्यतन न करने, राज्य नोडल खाते में पर्याप्त धन की अनुपलब्धता, सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की डेटा परिशोधन या तकनीकी समस्या या आवाससॉफ्ट की तकनीकी समस्या को भुगतान लंबित होने के कारणों के रूप में बताया (मार्च 2024) गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2024) कि यह एक सतत् प्रक्रिया थी और आवाससॉफ्ट पर प्राप्त सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की प्रतिक्रिया के आधार पर रिपोर्ट बदलती रहती है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि अगस्त 2024 तक 11,031 लाभार्थियों के सापेक्ष ₹ 20.18 करोड़ भुगतान हेतु लंबित थे।

राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने अपने आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया था, उन्हें समय पर भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

3.5 प्रशासनिक निधि

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.3.1 में प्रावधान था कि राज्य को अवमुक्त की गयी कार्यक्रम निधि के चार प्रतिशत तक का उपभोग योजना के संचालन के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष 2019-20 से इसे कम करके कार्यक्रम निधि के दो प्रतिशत तक कर दिया गया था, जिसमें से केंद्रीय स्तर पर कार्यक्रम निधि का 0.30 प्रतिशत बनाए रखा

जाना था एवं कार्यक्रम निधि का शेष 1.70 प्रतिशत राज्यों को प्रशासनिक निधि के रूप में निर्गत किया जाना था।

राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2017-23 की अवधि में प्राप्ति एवं व्यय की गयी प्रशासनिक निधियों का विवरण ***तालिका 3.3*** में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रशासनिक निधियों की प्राप्ति और उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश	ब्याज	विविध प्राप्तियाँ	कुल निधि	व्यय (कुल निधि के प्रतिशत में)	अंतिम अवशेष
2017-18	8.49	20.91	36.13	0.72	0.02	66.27	33.24 (50.16)	33.03
2018-19	33.03	0.00	0.00	1.32	0.00	34.35	2.65 (7.71)	31.70
2019-20	31.70	0.00	0.00	0.80	42.11	74.61	22.35 (29.96)	52.26
2020-21	52.26	0.00	0.00	0.00	0.57	52.83	24.71 (46.79)	28.12
2021-22	28.12	41.83	27.88	0.00	0.02	97.85	30.73 (31.41)	67.12
2022-23	67.12	128.59	85.73	0.00	0.18	281.62	43.12 (15.31)	238.50
योग		**191.33**	**149.74**	**2.84**	**42.90**		**156.80**	

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधियों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि ₹ 395.30[32] करोड़ में से राज्य द्वारा प्रशासनिक निधि का मात्र ₹ 156.80 करोड़ (40 प्रतिशत) उपभोग किया जा सका। वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधियों का वर्षवार उपभोग 7.71 से 50.16 प्रतिशत के बीच था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम निधि के निर्दिष्ट प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2017-23 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधियों के कम उपभोग के परिणामस्वरूप, केन्द्रांश ₹ 357.29 करोड़ कम अवमुक्त किया गया (***परिशिष्ट 3.3)***।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधान के अनुसार राज्य स्तर पर प्रशासनिक निधि का 0.5 प्रतिशत तक बनाये रखा जा सकता था और 3.5 प्रतिशत जनपदों में वितरित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधि के अंतर्गत, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिभाषित 13 मदों में से राज्य स्तर पर

[32] प्रारंभिक अवशेष ₹ 8.49 करोड़ +भारत सरकार अंश ₹ 191.33 करोड़ + राज्य अंश ₹ 149.74 करोड़ + ब्याज ₹ 2.84 करोड़ + विविध प्राप्ति ₹ 42.90 करोड़ = ₹ 395.30 करोड़

कार्यों/गतिविधियों[33] के मात्रा चार मदों पर ही व्यय किया गया था**,** जैसा कि ***तालिका 3.4*** में वर्णित है।

तालिका 3.4 प्रशासनिक निधि से किए गए व्यय का विवरण

क्रम सं॰	प्रशासनिक निधि के व्यय की मद	व्यय (₹ लाख में)						
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
(i)	आवाजाही, सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), संचार प्रणाली, कार्यालय के फुटकर खर्चों इत्यादि सहित योजना के क्रियान्वयन का सर्वेक्षण एवं निगरानी लागत	273.74	151.32	262.91	300.45	321.88	402.44	**1712.74**
(ii)	संविदा कार्मिकों को रखने सहित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना और इसके संचालन की लागत	14.31	14.27	7.28	8.01	5.54	18.36	**67.77**
(iii)	सामाजिक लेखापरीक्षा और सूचना शिक्षा एवं संचालन कार्यकलाप	27.84	3.69	1135.15	0.92	0.5	15.25	**1183.35**
(iv)	ज्ञानार्जन हेतु यात्राओं सहित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.67	92.56	241.29	304.89	187.52	260.13	**1087.06**
योग		**316.56**	**261.84**	**1646.63**	**614.27**	**515.44**	**696.18**	**4050.92**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नमूना जाँच किये गए जनपदों में वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रशासनिक निधियों का उपभोग 20 से 100 प्रतिशत तक रहा (***परिशिष्ट 3.4)***, जिसमें जनपद झांसी में सबसे कम एवं जनपद हमीरपुर में सबसे अधिक उपभोग किया गया था। जनपद हमीरपुर में सम्पूर्ण प्रशासनिक निधि (₹61.97 लाख) का उपभोग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में निर्धारित 13 में से केवल दो मदों[34] पर ही किया गया था। नमूना जाँच किए

[33] नौ अन्य मदों अर्थात, (i) लाभार्थियों को पर्यावास एवं आवासों के बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा उन्हें जागरूक करने वाले कार्यकलाप (ii) प्रदर्शन के लिए आवास टाइपोलॉजी का प्रोटोटाइप तैयार करना (iii) राजमिस्त्री के प्रशिक्षण एवं उन्हें प्रमाण-पत्र दिए जाने सम्बन्धी लागत, (iv) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) अर्थात एनआरएलएम अनुपालन करने वाले एसएचजी, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संगठनों का प्रशिक्षण (v) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को मानदेय और गैर-सरकारी संगठनों को सेवा प्रभारों का भुगतान (vi) वस्तुस्थिति ज्ञात करने तथा मूल्याँकन अध्ययन सहित अन्य अध्ययन कराना (vii) आवासों से सम्बंधित अभिनव प्रौद्योगिकियों और कार्यों को दर्शाने की लागत (viii) राज्य तकनीकी सहायता अभिकरण के रूप में आईआईटी/एनआईटी या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाएं लेने की लागत (ix) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी से सम्बंधित लागत पर कोई व्यय नहीं किया गया।

[34] पर्यवेक्षण की लागत, निगरानी कार्यालय और आकस्मिकताओं और सामाजिक लेखा परीक्षा

गए 16 जनपदों[35] द्वारा प्रशासनिक निधियों का उपभोग जिन मदों/कार्यकलापों में किया गया उनका विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि सभी स्तरों पर प्रशासनिक निधियों से व्यय आवश्यकता अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, धनराशि का निर्धारित प्रतिशत तक उपभोग न करने के कारण वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि में प्रशासनिक निधियों का केन्द्रांश प्राप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि वर्ष 2018-21 की अवधि में निधियों के उपभोग न करने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक निधियों के केन्द्रांश को कम निर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रशासनिक निधि का उपभोग करके की जाने वाली परिकल्पित कई गतिविधियों को नहीं किया गया था।

3.6 ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान लंबित रहना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.3.1 के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.3.1 के अनुसार प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लागत की अनुमति दी गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत (सितंबर 2017) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधि से निर्धारित मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सौंपी (नवंबर 2018) गयी थी । राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया था।

जैसा कि ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों में परिकल्पित था कि इन प्रशिक्षुओं को मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ (मार्च 2019) होने से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् मजदूरी

[35] जाँच किए गए तीन जिलों (सीतापुर, बहराइच और जौनपुर) द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

क्षतिपूर्ति की दर ₹ 213 प्रतिदिन इस शर्त के साथ तय की गयी (फरवरी 2023) कि मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद से किया जाएगा। आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा मजदूरी क्षतिपूर्ति की दर के अनुमोदन के बारे में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को सूचित (अप्रैल 2023) किया गया एवं प्रशिक्षुओं को इसके भुगतान के लिए राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को उत्तरदायी बनाया गया। इसके पश्चात् राज्य ग्राम्य विकास संस्थान ने 1,500 प्रशिक्षुओं को ₹ 1.44 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2024) किया गया। जबकि वर्ष 2018-23 की अवधि से संबंधित शेष 50,771 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान अक्टूबर 2024 तक लंबित था। इस प्रकार निधियों की उपलब्धता के उपरांत भी प्रशिक्षुओं को मजदूरी क्षतिपूर्ति के लाभ से वंचित रखा गया था।

राज्य सरकार ने समापन बैठक के दौरान उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि वह निकट भविष्य में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 28.70 करोड़ की लंबित मजदूरी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध थी।

3.7 अपात्र व्यक्तियों को आवास स्वीकृति के सापेक्ष वसूली लंबित रहना

नमूना जाँच किये गए 11 जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित 1,838 अपात्र व्यक्तियों को वर्ष 2017-23 की अवधि में आवास स्वीकृत किये गए थे। तथापि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अनुदान निर्गत करने के पश्चात् ये लाभार्थी विभिन्न कारणों जैसे पक्का आवास रखने वाले लाभार्थी, परिभाषित सीमा से अधिक भूमि, पहले से आवंटित आवास, लाभार्थियों द्वारा तथ्यों को छिपाया जाना आदि, से अयोग्य पाए गए। इन अपात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ₹ 9.52 करोड़ अवमुक्त किये गए थे, जैसा कि ***तालिका 3.5*** में वर्णित है।

तालिका 3.5: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों का विवरण

(₹ लाख में**)**

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गयी राशि	सितंबर 2024 तक अपात्र लाभार्थियों से वसूल की गई राशि	सितंबर 2024 तक वसूल की जाने वाली शेष राशि
1	आजमगढ़	193	77.20	24.40	52.80
2	बांदा	36	25.00	0.00	25.00
3	बाराबंकी	286	123.60	122.80	0.80

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गयी राशि	सितंबर 2024 तक अपात्र लाभार्थियों से वसूल की गई राशि	सितंबर 2024 तक वसूल की जाने वाली शेष राशि
4	बदायूं	51	24.74	24.74	0.00
5	हमीरपुर	67	47.50	28.30	19.20
6	लखीमपुर खीरी	430	194.80	182.20	12.60
7	महाराजगंज	237	140.30	140.30	0.00
8	मुरादाबाद	3	1.20	0.00	1.20
9	संभल	8	4.20	0.00	4.20
10	सुल्तानपुर	173	110.50	0.00	110.50
11	उन्नाव	354	202.70	167.40	35.30
योग		**1838**	**951.74**	**690.14**	**261.60**

(स्रोत: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 3.7 से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गए 11 जनपदों में अपात्र लाभार्थियों को अवमुक्त किए गए ₹ 9.52 करोड़ में से ₹ 6.90 करोड़ ही वसूल किए जा सके थे तथा सितंबर 2024 तक ₹ 2.62 करोड़ की राशि की वसूली लंबित थी। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक लाभार्थी के विधिवत सत्यापन के पश्चात् ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची तैयार की जाती है और केवल पात्र लाभार्थियों को ही सम्मिलित किया जाता है**,** इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा-सूची में अपात्र व्यक्तियों का सम्मिलित होना एवं उन्हें सहायता राशि निर्गत किया जाना यह संकेत करता था कि पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में यथोचित सावधानी सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्थायी प्रतीक्षा-सूची में पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने के निर्देश उपलब्ध है, तथापि, कुछ प्रकरणों में, लाभार्थी के पास पक्का मकान, किसान क्रेडिट कार्ड, मोटरसाइकिल, किसी दूसरे गाँव या स्थान में पक्का मकान, अतिरिक्त भूमि आदि के कारण त्रुटि की संभावना बनी रहती है। ऐसे प्रकरणों के संज्ञान में आने के पश्चात् वसूली की कार्यवाही की गयी थी। यह भी सूचित किया गया कि अपात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गयी थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान, यह सूचित किया गया कि ऐसे प्रकरणों में लंबित राशि की वसूली एवं अन्य कार्यवाही प्रगति पर थी।

3.8 बैंकों द्वारा भुगतान अस्वीकार किया जाना

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 13.4.2 (ई) में प्रावधान था कि प्रथम आदेश-पत्र तैयार करने से पहले आवाससॉफ्ट के विकास खण्ड के लॉग इन से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी के बैंक खाते को फ्रीज किया जाना चाहिए, फ्रीज किए गए सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, इसे विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा, जो यह पता करेगा कि खाताधारक का नाम आवाससॉफ्ट में दर्ज लाभार्थी के नाम से मेल खाता हो। लाभार्थी के बैंक खाते जो सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा एवं तत्पश्चात् विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए है, भुगतान के लिए आदेश-पत्रक में मात्र वही उल्लिखित होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 13.6.3 में प्रावधान था कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत समस्त किश्तों का भुगतान आवाससॉफ्ट पर सृजित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से किया जायेगा, जिसे सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा संसाधित किया जायेगा और लाभार्थी के खातों में निधि के अंतरण के लिए राज्य नोडल बैंकों को अग्रेषित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना (मार्च 2024) में पाया गया कि राज्य के 5,289 लाभार्थियों के प्रकरणों में, निधि अंतरण आदेश के माध्यम से उन्हें भुगतान की गई राशि को बैंक द्वारा इन कारणों, जैसे बैंक द्वारा एन.पी.सी.आई.[36] मैपर से आधार संख्या डी-सीड किये जाने के कारण ग्राहक को अपने बैंक से संपर्क करना, ऐसा कोई खाता न होना, खाता बंद होना, खाता संख्या को आधार संख्या से मैप नहीं किया जाना, अमान्य बैंक पहचानकारक, खाता बंद या स्थानान्तरित हो जाना, खाता अवरुद्ध या फ्रीज होना एवं खाता बंद हो जाना आदि, से अस्वीकार कर दिया गया था। बैंकों द्वारा ऐसे अस्वीकृत किये गए प्रकरणों का किश्तवार विवरण ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.6 बैंकों द्वारा अस्वीकृत भुगतान का विवरण

किश्त	अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की संख्या
पहली	1988
दूसरी	1065
तीसरी	2236
योग	**5289**

(स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वेबसाइट दिनांक 30 मार्च 2024 के अनुसार)

[36] भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एन.पी.सी.आई.)

जैसा कि तालिका 3.6 में दर्शाया गया है, बैंक द्वारा 5,289 मामलों में भुगतान अस्वीकार कर दिया गया था और आवास के निर्माण की सहायता राशि के भुगतान से लाभार्थी को वंचित कर दिया गया था। चूंकि लाभार्थी को स्वीकृति आदेश[37], बैंक खाते और लाभार्थी के विवरण के सत्यापन के पश्चात् निर्गत किया जाता है, इसलिए बैंकों द्वारा भुगतान अस्वीकृत किये जाने के प्रकरण, सत्यापन प्रक्रिया में शिथिलता की ओर संकेत करते थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में (सितंबर 2024) विभिन्न तकनीकी कारणों से ऐसे 4,506 प्रकरण लंबित थे। आगे यह भी बताया गया की यह एक सतत् प्रक्रिया थी और भविष्य में इसका पूर्ण समाधान कर लिया जाएगा।

3.9 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सहायता राशि उद्दिष्ट लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं किया जाना

आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा प्रदान की गई सूचना (मार्च 2024) के अनुसार, राज्य के 13 जनपदों में 189 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए निर्गत सहायता राशि (₹102.90 लाख) संदिग्ध साइबर अपराध के कारण लाभार्थियों के बैंक खातों के स्थान पर अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित हो गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में वर्णित है। अग्रेतर, जाँच से पता चला कि नमूना जाँच के सात जनपदों में 157 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता राशि अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा हो गई थी, जैसा कि ***तालिका 3.7*** में वर्णित है।

तालिका 3.7: लाभार्थियों से भिन्न बैंक खातों में किश्तों के हस्तांतरण के प्रकरण

जनपद	लाभार्थियों की संख्या (अन्य खाते में हस्तांतरित राशि)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
अम्बेडकर नगर	6 (₹ 2.40 लाख)	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उद्दिष्ट छः लाभार्थियों के लिए आवासीय इकाई की सहायता राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि संदिग्ध साइबर अपराध के कारण झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गयी थी। यद्यपि, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने आयुक्त ग्राम्य विकास को सूचित (जुलाई 2019) किया था लेकिन हस्तांतरित राशि अभी तक वसूल (सितंबर 2024) नहीं की जा सकी थी। आगे यह भी देखा गया कि छः में से तीन प्रकरणों में आवासों के पूर्ण होने की सूचना दी गई थी। तथापि, इन लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान लंबित था।

[37] क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.3.2

जनपद	लाभार्थियों की संख्या (अन्य खाते में हस्तांतरित राशि)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
बहराइच	105 (₹66.40 लाख)	विकास खण्ड मिहींपुरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उद्दिष्ट 105 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए आवासीय इकाई की सहायता राशि झारखंड राज्य में गढ़वा और पलामू जनपद (94 प्रकरणों), बिहार राज्य में जनपद औरंगाबाद (एक प्रकरण) और उत्तर प्रदेश में बहराइच, चंदौली एवं वाराणसी जनपदों (10 प्रकरणों) में संदिग्ध साइबर अपराध के कारण अन्य खातों में अंतरित हो गयी थी। इस प्रकरण में विकास खण्ड मिहींपुरवा के खंड विकास अधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी (जुलाई 2018) दर्ज करायी गयी थी, लेकिन मार्च 2024 तक राशि वसूल नहीं हो सकी थी। इन प्रकरणों में आवासीय इकाई की सहायता राशि का भुगतान न हो पाने के कारण इन 105 लाभार्थियों के आवास अधूरे थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विकास खण्ड बलहा में ऐसे दो और प्रकरण थे, तथापि अंतरित राशि का ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।
जौनपुर	4 (₹3.00 लाख)	चार लाभार्थियों के प्रकरण में आवासीय इकाई की सहायता राशि झारखंड राज्य में जनपद गढ़वा के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गयी थी। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास को जुलाई 2019 में सूचित किया गया था। इन लाभार्थियों के आवास अप्रैल 2024 तक अधूरे थे। यह राशि सितंबर 2024 तक वसूल नहीं हो सकी थी।
झांसी	2 (₹0.80 लाख)	आवासीय इकाई की सहायता राशि ओडिशा राज्य के जनपद बालासोर एवं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में हस्तांतरित हो गयी थी। आयुक्त ग्राम्य विकास को फरवरी 2024 में सूचित किया गया था, लेकिन राशि की वसूली (मार्च 2024) नहीं हो सकी थी एवं उद्दिष्ट लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
मुरादाबाद	8 (₹3.90 लाख)	सात लाभार्थियों की पहली किश्त एवं एक लाभार्थी के प्रकरण में दो किश्तों की धनराशि झारखंड राज्य के विभिन्न भारतीय स्टेट बैंक खातों में हस्तांतरित हो गई थी। उद्दिष्ट लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था एवं इन लाभार्थियों के आवास अधूरे रह गए थे और मार्च 2024 तक राशि की वसूली नहीं हुई थी। आगे सूचित किया गया कि ये सभी प्रकरण विकास खण्ड बनियाखेड़ा से सम्बंधित हैं जिसका विलय वर्तमान मे संभल जनपद में हो गया है। लेकिन, ऐसे लाभार्थियों के विषय में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, संभल एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई संभल जनपद की संदिग्ध साइबर अपराध से प्रभावित लाभार्थियों सूची में इन्हें सम्मिलित नहीं पाया गया।
संभल	25 (₹10.00 लाख)	उद्दिष्ट लाभार्थियों की पहली किश्त की राशि झारखंड राज्य के पलामू और गढ़वा जनपदों के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गई थी। ये लाभार्थी वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 से संबंधित थे। 24 प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज (जुलाई 2018) कराई गयी थी। तथापि, राशि वसूल नहीं हो सकी थी और लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक उनके लिए उद्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया जा सका था।
सीतापुर	7 (₹2.80 लाख)	उद्दिष्ट लाभार्थियों की पहली किश्त की राशि झारखंड राज्य के गढ़वा जनपद के खाते में हस्तांतरित हो गई थी। पाँच लाभार्थियों के आवास

जनपद	लाभार्थियों की संख्या (अन्य खाते में हस्तांतरित राशि)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		निर्माण पूर्ण होने की सूचना दी गई थी, यद्यपि धनराशि की वसूली एवं इन लाभार्थियों को किश्तों का भुगतान (सितंबर 2024) नहीं किया जा सका था।

आयुक्त ग्राम्य विकास ने अवगत कराया (अप्रैल 2024) कि राज्य में लाभार्थी के खाते के बजाय अन्य खातों में गलत तरीके से हस्तांतरित ₹ 102.90 लाख की राशि में से केवल ₹ 1.60 लाख की राशि ही वसूल की जा सकी थी एवं शेष ₹ 101.30 लाख अप्राप्य थे। अग्रेतर, यह भी सूचित किया गया कि पहली किश्त सभी 189 प्रकरणों में निर्गत की गई थी एवं 39 प्रकरणों में दूसरी/तीसरी किश्त जारी की गई थी। अप्रैल 2024 तक 189 लाभार्थियों में से 17 लाभार्थियों के आवास पूर्ण हो चुके थे एवं 172 आवास अपूर्ण थे।

39 प्रकरणों में दूसरी/तीसरी किश्तों का भी गलत हस्तांतरण, इन प्रकरणों में राशि जारी करने से पूर्व लाभार्थी के बैंक विवरण की सत्यापन प्रक्रिया में बरती गयी शिथिलता की ओर संकेत करता था। साथ ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता राशि के भुगतान से वंचित होना पड़ा एवं उनकी किश्तों के अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरण के कारण उनके आवास अपूर्ण रह गए थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि उन प्रकरणों जिनमें उद्दिष्ट लाभार्थियों की राशि दूसरे राज्य के अन्य खातों में हस्तांतरित हो गई थी, के जाँच के बाद, 159[38] प्रकरणों में साइबर अपराध की संभावना थी जिनमें ₹ 86.20 लाख की राशि सन्निहित थी। ये प्रकरण वर्ष 2017-20 की अवधि से संबंधित है और जनपदों द्वारा प्रारम्भ में ही प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी एवं हस्तांतरित राशि वापस करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ पत्राचार किया गया था। इस प्रकरण को वर्ष 2019 एवं 2020-21 में भारत सरकार के समक्ष भी उठाया गया था, तथापि इस संबंध में भारत सरकार के निर्देश प्रतीक्षित थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय समिति की आगामी बैठक में भी इस प्रकरण को उठाया जाएगा और प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आर्थिक अपराध का एक रूप होने के कारण मुख्य सचिव द्वारा इस प्रकरण को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2024) किया गया था।

[38] जौनपुर-4, संभल-25, वाराणसी-6, अंबेडकर नगर-6, बहराइच-95, फतेहपुर-01, ललितपुर-15 एवं सीतापुर-7

सारांश में, प्रशासनिक निधियों के कम उपभोग के परिणामस्वरूप केन्द्रीय अंश कम अवमुक्त हुआ। राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त कार्यक्रम निधि के केन्द्रीय अंश को राज्य नोडल खाते में हस्तांतरण में 74 से 105 दिनों तक विलंब किया, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक ब्याज के रूप में दायित्व का सृजन हुआ। वर्ष 2017-23 की अवधि में 79 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली किश्त निर्गत करने में विलम्ब हुआ**,** इसके अतिरिक्त 11,031 लाभार्थियों को उनके आवासों के पूर्ण होने के उपरांत भी ₹ 20.18 करोड़ का भुगतान लंबित था। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना शेष था। ऐसे अपात्र व्यक्तियों से ₹ 2.62 करोड़ की वसूली लंबित थी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये गए थे। संदिग्ध साइबर अपराध के प्रकरण भी पाए गए जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की किश्तें लाभार्थियों से भिन्न बैंक खातों में हस्तांतरित हो गयी थीं।

अनुशंसायें:

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

(2) राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश का हस्तांतरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में सम्मिलित सभी गतिविधियों पर प्रशासनिक निधियों का उपभोग किया जाए।

(4) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को लंबित मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाये।

(5) लाभार्थियों के सत्यापन में उचित सावधानी बरती जाए ताकि अपात्र लाभार्थियों को सहायता राशि निर्गत करने से बचा जा सके।

(6) संदिग्ध साइबर अपराध के प्रकरणों में सम्मिलित धनराशि की वसूली एवं उद्दिष्ट लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान किया जाए।

अध्याय IV

योजना का क्रियान्वयन

अध्याय IV

योजना का क्रियान्वयन

यह अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है जिसमें भौतिक प्रगति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अन्य विद्यमान योजनाओं के साथ अभिसरण कर अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित प्रकरण सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: भौतिक लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना को प्रभावी ढंग से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार कार्यान्वित किया गया तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में था।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- 20,215 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास, जो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 की अवधि में स्वीकृत किये गए थे, स्वीकृति की तिथि से 12 महीने की निर्धारित समय सीमा से अधिक पूरा होने तथा आवासीय इकाई की सहायता के रूप में ₹ 134.51 करोड़ निर्गत करने के पश्चात् भी मार्च 2025 तक अधूरे थे।
- राज्य सरकार ने भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों की स्वीकृति प्रदान करने की उपलब्धि में कोई कमी की सूचना नहीं दी थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए सात जनपदों की लेखापरीक्षा में ऐसे भूमिहीन लाभार्थियों के प्रकरण सामने आये जिन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई थी एवं आवास स्वीकृत नहीं किये गए थे।
- डेमो आवासों के निर्माण में भारत सरकार द्वारा सुझाये गए क्षेत्र-विशिष्ट आवास डिजाइनों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2024 तक राज्य के केवल 49 प्रतिशत विकास खण्डों में ही डेमो आवासों का निर्माण किया गया था।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 2,178 आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, आवाससॉफ्ट में 'पूर्ण' बताये गए आवास 'अधूरे' पाए गए, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी विवरण के बिना आवास, उपयोग में नहीं आने वाले आवास, भोजन पकाने और स्नान के लिए विशेष स्थान के बिना आवास आदि जैसे प्रकरण सामने आये।
- 2,079 पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान आवासों में पाइप पेयजल आपूर्ति कनेक्शन की उपलब्धता में 89 प्रतिशत, शौचालयों की उपलब्धता में 29 प्रतिशत, बिजली कनेक्शन की उपलब्धता में 30 प्रतिशत और रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता में 39 प्रतिशत की कमी देखी गई।

4.1 योजना की भौतिक प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.2.2 में प्रावधान था कि राज्य को निधियों का वार्षिक आवंटन एवं आवासों के भौतिक लक्ष्य, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पर आधारित होंगे। मंत्रालय से संवाद के पश्चात्, राज्य को जनपदवार तथा श्रेणी-वार लक्ष्यों को अंतिम रूप देना था और उसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड करना था। इसके अतिरिक्त, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.6.2 के अनुसार आवासों का निर्माण स्वीकृति की तिथि से 12 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, राज्य में वर्ष 2016-23 की अवधि में वर्षवार निर्माण के लक्ष्य, स्वीकृत आवास तथा मार्च 2024 तक इन आवासों को पूर्ण किये जाने की स्थिति ***तालिका 4.1*** में दी गई है।

तालिका 4.1 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों की भौतिक प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण हुए
2016-17	570875	570873	566950
2017-18	394383	394382	392691
2018-19	309590	309589	308847
2019-20	171555	171554	170817
2020-21	732513	732502	728306
2021-22	433251	433250	429537
2022-23	858498	858481	821015
योग	**3470665**	**3470631**	**3418163**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी सूचना)

जैसा कि ***तालिका 4.1*** में प्रदर्शित है, वर्ष 2016-23 के अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 34,70,631 आवासों में से 34,18,163 आवासों (98.49 *प्रतिशत*) का निर्माण पूर्ण किया गया था। तथापि, मार्च 2024 तक लाभार्थियों द्वारा धन का विचलन, लाभार्थियों का पलायन, भूमि विवाद, लाभार्थी की मृत्यु, *आदि जैसे* विभिन्न कारणों से 52,468 आवास अपूर्ण थे ।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि इन आवासों को पूर्ण करने के लिए जनपदों को निर्देश निर्गत किए गए थे तथा नियमित निगरानी भी की जा रही थी। राज्य सरकार ने आगे सूचित(मार्च 2025) किया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 की अवधि में स्वीकृत 34,70,631 आवासों के सापेक्ष वर्तमान में 20,215 आवास अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये 20,215 आवास मार्च 2025 तक अपूर्ण थे, जबकि इनके पूर्ण होने के लिए स्वीकृति की तारीख से महीने 12 की निर्धारित समय-सीमा से सात वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी थी जैसा कि ***चार्ट 4.1*** एवं ***चार्ट 4.2*** में प्रदर्शित है।

चार्ट 4.1 वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास जो मार्च 2025 तक अपूर्ण थे

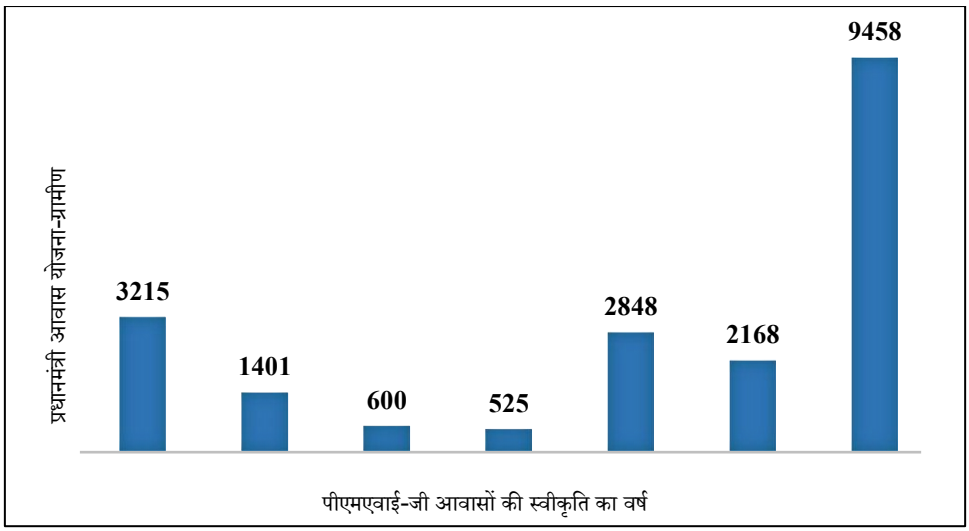

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

चार्ट 4.2: वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि में स्वीकृत आवासों के मार्च 2025 तक अपूर्ण होने के कारण

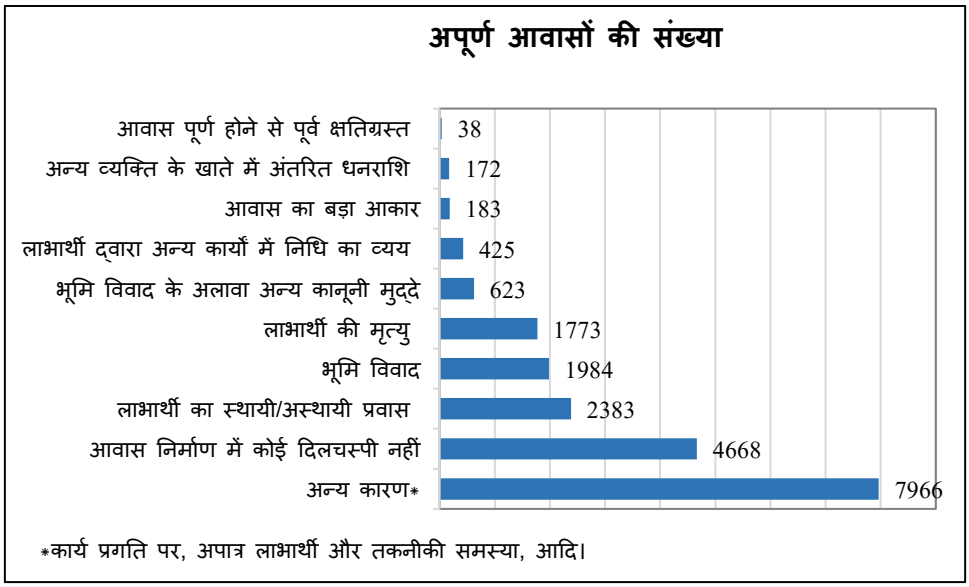

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार, अपूर्ण आवासों ने, न केवल योजना के उद्देश्य को विफल किया, वरन इन लाभार्थियों[39] को आवासों के निर्माण के लिए सहायता के रूप में निर्गत की गयी ₹ 134.51 करोड़ की राशि भी अलाभकारी रही। इसलिए, राज्य सरकार इन आवासों के निर्माण की व्यवहार्यता की जाँच कर सकती है तथा उन प्रकरणों मे लाभार्थियों को निर्गत की गई राशि की वसूली कर सकती है जहाँ आवास का निर्माण उचित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका।

4.2 वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.6.1. में प्रावधान था कि राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 3.6.2 में यह प्रावधान था कि राज्य की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता वाले परिवारों को संतृप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर प्रकाश डालते हुए जनपद-वार योजना समाविष्ट होनी चाहिए। जनपद-वार योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्माण सामग्री के स्रोत, लाभार्थी को ऋण की सुविधा, आवास के प्रकार के लिए विकास एवं प्रसार योजना, लाभार्थी संवेदीकरण कार्यशालाओं और विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से लाभार्थी को मिलने वाली सभी सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला जाना था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 8.3 में निहित प्रावधान के अनुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठकों में प्रस्तर 3.6.2 में उल्लिखित जनपद स्तरीय योजना की समीक्षा की जानी थी।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्ष 2018-23[40] (मार्च 2024) की वार्षिक कार्य योजना की प्रतियों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना[41] में क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित जनपद-वार योजना समविष्ट नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से, किसी भी जनपद में जनपद स्तरीय योजना तैयार नहीं की जा रही थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि वार्षिक कार्य योजना के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन प्रारूप में, जनपदों की अलग से वार्षिक कार्य योजना का विकल्प उपलब्ध नहीं था। आगे यह भी बताया गया कि वार्षिक कार्य योजना के ऑनलाइन प्रारूप में उपलब्ध बिंदुओं को जनपदों के परामर्श से

---

[39] 10,052 लाभार्थी x ₹ 40,000 (प्रथम किश्त) + 8,151 लाभार्थी x ₹ 1,10,000 (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) + 387 लाभार्थी x ₹ 1,20,000 (समस्त तीन किश्तें) = ₹ 134,51,30,000. 1,625 लाभार्थियों के प्रकरणों में कोई राशि निर्गत नहीं की गई थी।

[40] वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

[41] ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया ।

तैयार किया गया था। यह भी बताया गया कि जनपदों के परामर्श से अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने और नए वार्षिक लक्ष्य के अनुसार नए आवासों के निर्माण के लिए त्रैमासिक कार्य योजना तैयार की गई थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण के जनपद-वार लक्ष्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर तय किए जाते है, इसलिए जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजना संभव नहीं थी।

4.3 भूमिहीन लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.2.2 में प्रावधान था कि भूमिहीन लाभार्थी के प्रकरण में, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को शासकीय भूमि या सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य भूमि में से आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाए। क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क में यह भी प्रावधान था कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी प्रतीक्षा-सूची को अंतिम रूप देने के पश्चात् भूमिहीन लाभार्थी को भूमि उपलब्ध करा दिया जाए।

राज्य में चिन्हित एवं स्थाई प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित भूमिहीन लाभार्थियों की कुल संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध[42] नहीं करायी गयी। आयुक्त ग्राम्य विकास ने सूचित किया (मार्च 2024) कि विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने 2,207 परिवारों को भूमिहीन के रूप में चिन्हित किया और उन्हें भूमि उपलब्ध कराई गयी थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए छः जनपदों में 137 भूमिहीन लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जैसा कि ***तालिका 4.2*** में वर्णित है।

तालिका 4.2: नमूना जाँच किए गए जनपदों में भूमि आवंटित नहीं किये गए भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण

क्रम सं०	जनपद का नाम	भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई
1.	अम्बेडकर नगर	5
2.	आजमगढ़	7
3.	बहराइच	6
4.	बाराबंकी	11

[42] ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट (मई 2024) के अनुसार, राज्य की स्थाई प्रतीक्षा-सूची में 2,192 भूमिहीन लाभार्थी थे, जिनमें से 2,191 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान, राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में चिन्हित किये गए भूमिहीन लाभार्थियों के समग्र आँकड़े भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे।

5.	लखीमपुर खीरी	19
6.	सुल्तानपुर	89
योग		137

(स्रोत: संबंधित जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनपद बहराइच के महसी विकास खण्ड में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों को स्वीकृत किया गया था और छः भूमिहीन लाभार्थियों को पहली किश्तें निर्गत की गई थी, तथापि राज्य सरकार ने अभी तक इन लाभार्थियों को भूमि प्रदान नहीं की थी। इस प्रकार, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने और आवासों को स्वीकृत करने की उपलब्धि में कोई कमी नहीं बतायी गयी थी, नमूना जाँच किए गए जनपदों में पाया गया कि भूमिहीन लाभार्थी अभी भी भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि अंबेडकर नगर में लेखापरीक्षा के समय उपलब्ध पाँच भूमिहीन लाभार्थियों में से तीन को भूमि उपलब्ध कराई गई थी, एक लाभार्थी को अपात्र पाया गया था जबकि एक अन्य लाभार्थी की भूमि विवाद में थी। आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी के प्रकरणों में, 21 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई थी और शेष पाँच लाभार्थियों के प्रकरण में आवंटन प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त, सभी 11 भूमिहीन लाभार्थियों को बाराबंकी में भूमि आवंटित की गई थी। जनपद बहराइच के विकास खण्ड महसी के प्रकरण में, यह सूचित किया गया कि वर्तमान (अगस्त 2024) स्थिति के अनुसार, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी आवास में पट्टे पर भूमि की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा के समय सुल्तानपुर में, केवल 79 भूमिहीन लाभार्थी उपलब्ध थे, जिनको भूमि के पट्टे प्रदान कर दिए गए थे।

जनपद सुल्तानपुर के प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुल्तानपुर द्वारा प्रदान किये गए भूमिहीन लाभार्थियों (नवंबर 2023) की सूची में स्पष्ट रूप से 89 भूमिहीन लाभार्थी इंगित किये गये थे, एवं इस प्रकार, शेष 10 लाभार्थियों के प्रकरणों में कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

केस स्टडी

जनपद महाराजगंज में, जिलाधिकारी द्वारा (जुलाई 2020) उप-जिलाधिकारी, फरेंदा को ग्राम पंचायत मथुरानगर (वनग्राम भारीवैसी) की स्थाई प्रतीक्षा-सूची में 198 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन लाभार्थियों में से 164 लाभार्थी, जिन्हें सत्यापन के उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्र पाया गया था, को भूमि सितंबर 2023 में प्रदान की जा सकी। यद्यपि, इन लाभार्थियों को वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पंजीकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आवास स्वीकृत (मार्च 2024) नहीं किये जा सके क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की स्थाई प्रतीक्षा-सूची से संबंधित थे जो 2019-20 में पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेखापरीक्षा मे आगे पाया गया कि इन 164 भूमिहीन लाभार्थियों को पूर्व मे जनपद में भूमिहीन लाभार्थियों[43]के रूप मे वर्गीकृत एवं सूचित नहीं किया गया था जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बहुत पहले ही लाभान्वित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा (मार्च 2024) द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के पश्चात्, आयुक्त ग्राम्य विकास ने भारत सरकार से सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की स्थाई प्रतीक्षा-सूची के इन 164 पात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के लिए आवाससॉफ्ट खोलने का अनुरोध (अगस्त 2024) किया। राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि इनमें से 162 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास सितंबर 2024 में स्वीकृत कर दिए गए एवं शेष दो लाभार्थियों के संदर्भ में, राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि दोनों लाभार्थी अयोग्य पाए गए थे एवं उनके नाम को अग्रेतर सत्यापन हेतु रिमांड कर दिया गया था।

4.4 वार्षिक चयन-सूची को तैयार एवं प्रसारित करना

जैसा कि क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.7.1 में परिकल्पित था कि जब भारत सरकार द्वारा लक्ष्यों को सूचित कर दिया जाता है, तब राज्य, संबंधित जनपदों को श्रेणीवार लक्ष्य वितरित करेगा और आवाससॉफ्ट पर इसे दर्ज करेगा।, स्थाई प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची तैयार करने के लिए जनपद स्तरीय

[43] जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महाराजगंज द्वारा प्रदान की गई सूचना (मार्च 2024) के अनुसार, जनपद के लिए स्थाई प्रतीक्षा-सूची में केवल सात लाभार्थियों को ही भूमिहीन के रूप में टैग किया गया था एवं इन सात लाभार्थियों में से कोई भी क्षेत्र पंचायत फरेंदा से नहीं था।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई उत्तरदायी[44] थी, जिसे अनुमोदित स्थाई प्रतीक्षा-सूची में शीर्ष परिवारों से प्रारंभ कर उस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत को प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित लक्ष्य तक सीमित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 4.7.2 में यह प्रावधान किया गया था कि वार्षिक चयन-सूची का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 17 जनपदों[45] में, वर्ष 2017-23 की अवधि में वार्षिक चयन-सूची तैयार नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता के लिए स्वीकृतियाँ अंतिम स्थाई प्रतीक्षा-सूची के आधार पर निर्गत की गई थीं। वार्षिक चयन-सूची के अभाव में, लाभार्थियों को उस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत में प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित लक्ष्य से अवगत नहीं कराया जा सका। लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति उस सीमा तक अपारदर्शी रही।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवासों की स्वीकृति स्थाई प्रतीक्षा-सूची के आधार पर की गई थी, जिसे श्रेणीवार तैयार किया गया था और लाभार्थियों की प्राथमिकता आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित की गई थी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि स्थाई प्रतीक्षा-सूची का दीवार पर लेखन भी किया जा रहा था और इस प्रकार लाभार्थियों को उस क्रम के बारे में ज्ञात था जिससे उन्हें वार्षिक लक्ष्यों में से लाभ प्राप्त होना था। तथापि, वार्षिक चयन-सूची तैयार न करने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सूचित किया गया कि स्थाई प्रतीक्षा-सूची के आधार पर एवं प्रत्येक जनपद के लिए आवंटित लक्ष्य के अनुसार आवासों को स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा के विचार में लाभार्थियों के मध्य जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुसार वार्षिक चयन-सूची को तैयार करना एवं उसका प्रसार आवश्यक था।

4.5 आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.3 के अनुसार, स्वीकृति आदेश के साथ, लाभार्थी को आवास के लिये पहचानी गयी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के विकल्पों की सूची प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें आवास के डिजाइन की योजना, ले-आउट और विस्तृत लागत प्राक्कलन के विवरण सहित प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों

[44] कार्यान्वयन का फ्रेमवर्क का प्रस्तर 7.3.1.2

[45] जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उन्नाव एवं बहराइच के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

की सूची, विभिन्न डिजाइन टाइपोलॉजी के डेमो आवासों का स्थान, आसपास के सभी सामग्री आपूर्तिकर्ता के संपर्क विवरण भी सम्मिलित किये जा सकते हैं । ये उपाय गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे । लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया है:

4.5.1 डेमो आवासों का निर्माण नहीं होना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.1 में प्रावधान के अनुसार राज्यों को लाभार्थियों को उनके निवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवास के डिजाइनो के अनेक विकल्पों को उपलब्ध कराना चाहिए। टिकाऊ आधार पर गुणवत्तापूर्ण आवासों के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलवायु परिस्थितियों, आपदा जोखिम कारकों, स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक कौशल के आधार पर राज्य के भीतर प्रत्येक आवासीय क्षेत्र के लिए आवास प्रोटोटाइप विकसित किया। इन डिजाइनों को 'पहल' नामक एक संग्रह में प्रकाशित (नवंबर 2016) किया गया था । संग्रह के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य को छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र के लिए छह जोन-विशिष्ट आवास डिजाइन, प्रत्येक जोन के लिए एक, की अनुशंसा की गई थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ₹ 1.38 लाख से ₹ 1.60 लाख तक के निर्माण की अनुमानित प्रति इकाई लागत के साथ 'पहल' के छह जोन विशिष्ट आवास डिजाइनों (दिसंबर 2016) को अनुमोदित किया। इसके पश्चात, आयुक्त ग्राम्य विकास ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को (दिसंबर 2017) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित डिजाइनो (दिसंबर 2016) के आधार पर संभव सीमा तक जनपदों के प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल आवास के निर्माण के लिए निर्देशित किया । इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 के अनुसार, सभी विकास खण्डों में डेमो आवास का निर्माण सितंबर 2018 तक किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों[46] के 249 विकास खण्डों में से केवल 125 विकास खण्डों (50 प्रतिशत) में डेमो आवास का निर्माण किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है। दो जनपदों[47] के सभी विकास खण्डों में डेमो आवास निर्मित किये गए थे। जबकि, पाँच नमूना

[46] लेखापरीक्षा सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य सम्पादित की गई थी

[47] अम्बेडकर नगर एवं महोबा

जाँच किए गए जनपदों में कोई डेमो आवास नहीं बनाया गया था, इस प्रकार इन पाँच जनपदों[48] के 1.40 लाख लाभार्थी, जिन्हें वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास स्वीकृत किए गए थे, उन्हें इस क्षेत्र के लिए सुझाए गए आवास के उपयुक्त डिजाइन का अनुभव करने के अवसर से वंचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, राज्य के 826 विकास खण्डों में से मात्र 395 विकास खण्डों (48 प्रतिशत) में डेमो आवास का निर्माण किया गया था तथा 132 विकास खण्डों में मार्च 2024 तक यह निर्माणाधीन थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में निर्धारित पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी डेमो आवास का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में, 407 विकास खण्डों में डेमो आवास का निर्माण पूरा हो गया था तथा 144 विकास खण्डों में निर्माण कार्य प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त, 32 विकास खण्डों में डेमो आवास के निर्माण के लिए निर्देश (अगस्त 2024) निर्गत किए जा रहे थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कुछ विकास खण्डों में भूमि की अनुपलब्धता और पश्चिमी क्षेत्र में धन की कमी के कारण कुछ विकास खण्डों में डेमो आवास का निर्माण नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-23 की अवधि में 34.18 लाख आवासों का निर्माण 48 प्रतिशत विकास खण्डों में डेमो आवास के निर्माण के बिना पहले ही किया जा चुका था तथा वर्तमान मे स्थायी प्रतीक्षा-सूची के अनुसार केवल 0.60 लाख लाभार्थियों (मार्च 2024) को आच्छादित किया जाना शेष था। इस प्रकार, अधिकांश प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों का निर्माण लाभार्थियों को क्षेत्र के लिए उपयुक्त आवास के डिजाइनों से परिचित होने का अवसर दिए बिना किया गया था, जिसने डेमो आवास के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

[48] हमीरपुर, झांसी, बदायूं, महाराजगंज एवं मुरादाबाद

4.5.2 आवास के लिए पहचानी गयी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के विकल्प प्रदान करना

नमूना जाँच किए गए छ: जनपदों के छ: विकास खण्डों[49], जो संग्रह 'पहल' में निर्दिष्ट छह क्षेत्रों (ज़ोन) में थे, से संबंधित डेमो आवास के निर्माण के अभिलेखों की जाँच, से पता चला कि संबंधित क्षेत्रों के लिए सुझाए गए डिजाइन के अनुसार डेमो आवास का निर्माण नहीं किया गया था। इन विकास खण्डों में निर्मित डेमो आवास में न तो 'पहल' में निर्दिष्ट प्राक्कलनों एवं डिजाइन का पालन तथा न ही निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। इन नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों में से पाँच[50] के संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने बताया कि डेमो आवास का निर्माण लोकप्रिय और स्थानीय स्तर पर पसंद किय जाने वाले आवास के डिजाइन के अनुसार किया गया था। शेष एक[51] नमूना जाँच विकास खंड के प्रकरण में संबंधित खंड विकास अधिकारी ने बताया कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त प्राक्कलन एवं डिजाइन के अनुसार डेमो आवास का निर्माण किया गया था।

'पहल' में सुझाए गए छ: क्षेत्रों में डेमो आवास के लिए आवास के डिजाइन एवं इन विकास खण्डों में निर्मित डेमो आवास के चित्र के साथ अनुशंसित विशिष्टियों तथा डेमो आवास के निर्माण में उपयोग लायी गई विशिष्टियाँ नीचे विस्तृत रूप से वर्णित है:

डेमो आवास ज़ोन-ए (विकास खंड बिजुआ, जनपद लखीमपुर खीरी)

ज़ोन-ए के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद लखीमपुर खीरी (विकास खंड बिजुआ) में निर्मित डेमो आवास
ज़ोन ए भूकंपीय क्षेत्र की उच्चतम श्रेणी एवं वायु/चक्रवात के उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः, सुझाए गए डिजाइन में भूकंप प्रतिरोधी विशेषताओं को सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।	

[49] बिजुआ (लखीमपुर खीरी), असमौली (संभल), चरखारी (महोबा), अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), खुटहन (जौनपुर) एवं बेहटा (सीतापुर)

[50] बिजुआ (लखीमपुर खीरी), असमौली (संभल), चरखारी (महोबा), खुटहन (जौनपुर) एवं बेहटा (सीतापुर)

[51] अकबरपुर (अम्बेडकर नगर)

अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्रियाँ (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)
दीवार	रैट ट्रैप बांड ईंटों की दीवार के साथ 2 ईंटों की मोटाई का स्तंभ। • सभी कमरों के कोनों पर ईंटों की चिनाई में जड़े हुए रिएनफोर्स बार । • चौखट, लिंटेल और छत के स्तर पर भूकंपरोधी पट्टियाँ प्रदान की गई हैं।	सीमेंट और महीन रेत के गारे के साथ 1:4 अनुपात में M-150 श्रेणी की ईंटों का कार्य।
दीवार की फिनिश	• दीवार की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं।	सीमेंट और मोटे रेत, रेत के गारे आदि के साथ 1:4 अनुपात में 12 मिमी मोटा प्लास्टर।
छत की संरचना	छत के भार को सहारा देने के लिए छत के स्तर पर पूर्वनिर्मित रिएनफोर्सड कंक्रीट बीम।	सीमेंट और मोटे रेत, स्टोन ग्रिट आदि के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी का कार्य (लिंटेल और सनशेड) ।
छत का आवरण	प्रीकास्ट फेरो सीमेंट छत चैनल।	सीमेंट और मोटे रेत, पत्थर के गारे आदि के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी स्लैब का कार्य।

ज़ोन-बी में डेमो आवास (विकास खंड असमौली जनपद संभल)

ज़ोन-बी के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद संभल (विकास खंड- असमौली) में निर्मित डेमो आवास

चूंकि ज़ोन बी भूकंपीय क्षेत्र III में स्थित है और मिटटी के पश्चात सबसे आसानी से उपलब्ध सामग्री पत्थर है, अतः इस क्षेत्र के लिए सुझाए गए डिजाइन में निर्माण तकनीक में पत्थर और मिटटी के विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया गया है।

अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए बिलों के अनुसार)
दीवार	• खोखली इंटरलॉकिंग कंप्रेस्ड स्टैबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक की दीवार। • सभी कमरों के कोनों पर ईंटों की चिनाई में जड़े हुए रिएनफोर्स बार। • छत के स्तर पर भूकंपरोधी बैंड प्रदान किए गए हैं।	निर्माण के लिए एम-150 श्रेणी की ईंटें क्रय की गईं थीं। (*चूंकि निर्माण के लिए आपूर्ति की गई सामग्री का केवल बिल/वाउचर ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था और निर्माण के लिए स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए डेमो हाउस के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियों की तुलना नहीं की जा सकी।*)
दीवार की फिनिश	• दीवार की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं	बाहरी दीवारों में सीमेंट प्लास्टर, जैसा कि दिखाई दे रहा था।

ज़ोन-सी में डेमो आवास (विकास खंड चरखारी जनपद महोबा)

ज़ोन-सी के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद महोबा (विकास खंड- चरखारी) में निर्मित डेमो आवास

ज़ोन सी बुंदेलखंड भूकंपीय क्षेत्र II में स्थित है और इस क्षेत्र में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। क्षेत्र के अधिकांश भागों के लिए, प्रमुख प्राकृतिक भवन निर्माण सामग्री पत्थर है।

अवयव	**'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ**	**डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/ सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)**
नींव	• छोटे पत्थरों को एक साथ रखने और नींव में संरचनात्मक दरारों को रोकने के लिए नियमित अंतराल पर सीमेंट मोर्टार, बॉन्ड स्टोन और हुक लिंक के साथ रैंडम पत्थर के टुकड़ों की चिनाई प्रस्तावित थी ।	सीसी रोड स्लैब की नींव या आधार में सीमेंट, मोटी रेत, 40 मिमी जीएसबी के साथ 1:4:8 अनुपात में सीसी बिछाना
दीवार	• फ्लाई ऐश ईंटों से रैट ट्रैप बॉन्ड दीवार। • खुले स्थानों के ऊपर पत्थर के लिंटेल और ईंट के मेहराब। • दीवारों पर लगे पत्थर के ब्रैकेट पर टिका हुआ लॉफ्ट और छत का उभार।	4:1 के अनुपात में रेत और सीमेंट मोर्टार में M-150 श्रेणी के ईंटों से ईंटों का काम
दीवार की फिनिश	• दीवार की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं।	एक भाग सीमेंट और चार भाग बारीक रेत वाले सीमेंट मोर्टार से ईंटों के काम पर 12 मिमी मोटाई का प्लास्टर
छत की संरचना	छत के भार को सहन करने के लिए छत के स्तर पर प्रीफैब्रिकेटेड रिइन्फोर्सड कंक्रीट बीम। एमसीआर टाइल छत के लिए बांस का फ्रेमवर्क।	सीमेंट रेत और 20 मिमी ग्रिट के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी
छत का आवरण	प्रीकास्ट फेरोसीमेंट छत चैनल।	सीमेंट रेत और 20 मिमी ग्रिट के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी

ज़ोन डी में डेमो आवास (विकास खंड अकबरपुर जनपद अंबेडकरनगर)

ज़ोन-डी के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद अंबेडकर नगर (विकास खंड-अकबरपुर) में निर्मित डेमो आवास

चूंकि ज़ोन डी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र V और चक्रवात के उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति को रोकने के लिए सभी सुरक्षा विशेषताओं को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है।

अवयव	**'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ**	**डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)**
नींव	• सुपरस्ट्रक्चर में 2-ईंट की मोटाई वाले स्तम्भ के नीचे सीमेंट मोर्टार के साथ ईंट पेडेस्टल की नींव। • प्लिंथ स्तर तक पकी हुई मिट्टी की ईंटों और सीमेंट मोर्टार से स्ट्रिप फुटिंग।	कंक्रीट और 1.25 एफएम की 40 मिमी गेज ब्रिक बैलास्ट फाइन सैंड के साथ सीमेंट 1:4:8 के अनुपात में
प्लिंथ	• 650 मिमी ऊँचाई पर 150 मिमी मोटी रिइनफोर्स्ड आर.सी.सी. प्लिंथ बीम।	नींव एवं प्लिंथ में एम-150 ब्रिकवर्क, सीमेंट और 1.25 एफएम मोर्टार फाइन सैंड के साथ 1:6
दीवार	• रैट ट्रैप बॉन्डेड ईंट की दीवार के साथ 2 ईंट की मोटाई का स्तम्भ। • सभी कमरों के कोनों में ईंट की मेसनरी में रीइन्फोर्सिंग छड़ो का समावेश। • सिल स्तर और लिंटल स्तर पर 75 मिमी मोटी भूकंपीय बैंड्स बांस की रिइनफोर्समेंट के साथ।	सुपर स्ट्रक्चर में एम-150 ब्रिकवर्क, सीमेंट और 1.25 एफएम मोर्टार फाइन सैंड के साथ 1:6 के अनुपात में
दीवार की फिनिश	• दीवार फिनिश की आवश्यकता नहीं।	दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट और फाइन सैंड के मोर्टार से 12 मिमी मोटाई का प्लास्टर
छत की संरचना	•100 मिमी व्यास वाले बांस का पर्लिन्स के रूप में और 50 मिमी व्यास वाले बांस का बैटरन्स के रूप में उपयोग कर बांस का फ्रेमवर्क ।	आरसीसी कार्य सीमेंट, कोर्स सैंड एवं 20 मिमी पत्थर की ग्रिट 1:1.5:3 के अनुपात मे
छत का आवरण	• छत के आवरण के रूप प्रेस्ड थैच पैनल्स के साथ जी.आई. कोरुगेटेड शीट।	आरसीसी कार्य सीमेंट, कोर्स सैंड एवं 20 मिमी पत्थर की ग्रिट 1:1.5:3 के अनुपात मे

ज़ोन-ई में डेमो आवास (विकास खंड खुटहन जनपद जौनपुर)

जोन-ई के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद जौनपुर (विकास खंड- खुटहन) में निर्मित डेमो आवास

जोन ई क्षेत्र, बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है और इसमें भूकंपीय क्षेत्र II एवं III भी आते हैं।

अवयव	**'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ**	**डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)**
नींव	प्लिंथ स्तर तक सीमेंट मोर्टार के साथ ईंट की स्ट्रिप फुटिंग।	फर्श के नीचे नींव में 8:4:1 के अनुपात में कंक्रीट के साथ 40 मिमी गेज ब्रिक बैलास्ट, फाइन सैंड 1.25 एफएम और सीमेंट
दीवार	• • फ्लाई ऐश ईंटों और सीमेंट मोर्टार से बने कोने, जो मुख्य संरचनात्मक ढांचे का कार्य करते हैं और छत का भार सहन करते हैं। • टेराकोटा टाइल फेस वाले मिट्टी के ब्लॉक, जिसमें बाइंडिंग सामग्री के रूप में मिट्टी मोर्टार और बाहरी सतह की प्वाइंटिंग के लिए सीमेंट मोर्टार का उपयोग।	एम-150 ब्रिकवर्क सीमेंट और फाइन सैंड 1.25 एफएम मोर्टार के साथ 1:4 के अनुपात में
दीवार की फिनिश	दीवार फिनिश की आवश्यकता नहीं।	1:4 अनुपात में 1.25 एफ.एम. मोर्टार सीमेंट और फाइन सैंड से, 12 मिमी मोटाई मे प्लास्टर
छत की संरचना	छत के भार को सहारा देने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड आर.सी.सी. बीम। एम.सी.आर. टाइल की छत के लिए बांस का फ्रेमवर्क।	कार्य की मद में उल्लेख नहीं था। तथापि, एम.सी.आर. टाइल की छत के लिए बांस के फ्रेमवर्क को प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया था।
छत का आवरण	ऊपर मड फुस्का के साथ ब्रिक टाइल का आर्च पैनल।	कार्य की मद में उल्लेख नहीं था। तथापि, ब्रिक टाइल आर्च पैनल प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

ज़ोन-एफ में डेमो आवास (विकास खंड बेहटा जनपद सीतापुर)

जोन-एफ के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद सीतापुर (विकास खंड-बेहटा) में निर्मित डेमो आवास

जोन एफ भूकंपीय क्षेत्र III एवं II में निहित है, साथ ही कुछ क्षेत्र बाढ़ के खतरों से ग्रस्त हैं। सुझाए गए डिजाइन में, ईंट के उपयोग करने तथा अवध एवं निचले दोआब के समतल मैदानों की मिट्टी की स्थिति से लाभ उठाने पर ध्यान दिया गया है।

अवयव	**'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ**	**डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री**
नींव	रिइनफोर्स्ड ईंट की स्ट्रिप फुटिंग सुझाई गयी । 0.60 मीटर के प्लिंथ स्तर तक दीवार पर गैर-क्षरणशील प्लास्टर फिनिश का सुझाव दिया गया था ।	1:5:10 अनुपात में सीमेंट, फाइन सैंड और 40 मिमी बी/ ब्लास्ट के साथ पी.सी.सी. नींव और प्लिंथ मे 1:6 अनुपात में ब्रिक सीमेंट और फाइन सैंड मोर्टार से प्रथम श्रेणी की ईंट का काम।
प्लिंथ	प्लिंथ, सिल और लिंटल स्तर पर बांस की रिइनफोर्समेंट के साथ सीमेंट कंक्रीट के भूकंपीय बैंड्स का सुझाव दिया गया था ।	
दीवार	अवध क्षेत्र के भूकंपीय क्षेत्र III के लिए कोनों में रिइनफोर्समेंट के साथ रैट ट्रैप बॉन्डेड ईंट की दीवार सुझाई गई थी।	सुपरस्ट्रक्चर में 1:6 के सीमेंट मोर्टार में प्रथम श्रेणी की ईंट का कार्य।
दीवार की फिनिश	दीवार फिनिश की आवश्यकता नहीं।	1:4 के सीमेंट और फाइन सैंड के मोर्टार से दीवारों पर 12 मिमी मोटाई का प्लास्टर।
छत की संरचना	फिलर स्लैब निर्माण प्रणाली सुझाई गई थी, जिसमें आर.सी.सी. स्लैब के कुछ हिस्सों को फिलर सामग्री जैसे मिट्टी के पॉट्स से बदला जाता है, जिससे सामग्री की लागत सीमेंट की तुलना में कम होती है।	1:2:4 में सीमेंट, कोर्स सैंड और 20 मिमी स्टोन ग्रिट के साथ आर.सी.सी. कार्य।

उपरोक्त डिजाइनों एवं घटकों से यह स्पष्ट है कि संग्रह में सुझाए गए आवास प्रोटोटाइप, गहन अध्ययन के पश्चात तथा जलवायु स्थितियों, आपदा जोखिम कारकों, स्थानीय सामग्रियों एवं पारंपरिक कौशल के आधार पर विकसित किए गए थे। तथापि, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए एवं उ.प्र. सरकार के द्वारा अनुमोदित और प्रसारित विशिष्टियों के अनुसार डेमो आवासों का निर्माण नहीं किया गया था। अनुमोदित डिजाइन का पालन किए बिना डेमो आवास के निर्माण ने स्थायी आधार पर गुणवत्ता वाले आवासों के क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकता के साथ निर्माण को सुनिश्चित करने के डेमो आवास के उद्देश्य को विफल कर दिया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि राज्य के सभी जनपदों में आवास डिजाइन टायोपोलॉजी 'पहल' की एक प्रति प्रसारित की गई थी। यह भी कहा गया कि चूंकि डिजाइन सुझावात्मक थे और अनिवार्य नहीं थे, इसलिए डेमो आवास, स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों द्वारा प्रचलित एवं पसंद किए गए मॉडल के अनुसार बनाए गए थे। यह भी सूचित किया गया कि ज़ोन-4 में, छत का डिजाइन त्रिकोणीय है और ज़ोन-5 में फ्लाई ऐश ईंट तथा पत्थर के उपयोग का सुझाव दिया गया था, जबकि लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए सपाट छत और मिट्टी से बनी ईंट पसंद थीं। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संग्रह 'पहल' में दिए गए आवास डिजाइनों को प्रत्येक जिले में प्रसारित किया गया था एवं राज्य द्वारा आवास का कोई डिजाइन विकसित या प्रदान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्षेत्र विशिष्ट डिजाइनों के अनुसार डेमो आवासों का निर्माण किया जाना चाहिए था ताकि पीएमएवाई जी लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, स्थायी एवं आपदा रोधी आवासों के ज्ञान के साथ उनको सशक्त बनाया जा सके।

4.5.3 आवास निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता

4.5.3.1 ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण में विलम्ब

जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.3.1 में परिकल्पित था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित आवास अच्छी गुणवत्ता के हों, ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता अनिवार्य थी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश (सितंबर 2017) निर्गत किए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए वर्ष 2016-17 में 17,093, 2017-18 में 11,785 एवं वर्ष 2018-19 में 20,000 राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लक्ष्य (सितंबर 2017) आवंटित किया गया था । इस प्रकार, वर्ष 2017-23 की अवधि में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए कुल 48,878 प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन के लिए ग्राम्य

विकास विभाग द्वारा आयोजित बैठक (अगस्त 2018) के कार्यवृत्त से ज्ञात हुआ कि दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया था। उ.प्र. सरकार द्वारा आगे दोहराया गया (नवंबर 2018) कि ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार इसे पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की सूची एवं निधियाँ मार्च 2019 में, अर्थात सितंबर 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लक्ष्यों के संसूचना से लगभग डेढ़ वर्ष के अंतराल के पश्चात् राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को प्रेषित की गयी। अग्रेतर, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, मार्च 2019 में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2016-17 से फरवरी 2019 की अवधि में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की अवधि में जिन 53,300 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित[52] किया गया था उनमें से 52,385 प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया गया एवं मूल्यांकन के पश्चात् मात्र 45,063 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने में विलम्ब के कारण, वर्ष 2016-19 की अवधि में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। चूंकि 2016-19 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12.75 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों को स्वीकृति दी गई थी, इन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के लाभार्थियों को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का लाभ नहीं मिल सका, जिसने योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रशासनिक कारणों से, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019-20 से प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ को दी गई थी। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के मूल्यांकन में

[52] राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की दिनांक 25 मार्च 2025 के प्रतिवेदन के अनुसार

उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की सूची प्रशिक्षण प्रदाता एवं एसआईआरडी द्वारा विकास खण्डों तथा जनपदों को उपलब्ध करायी जा रही थी।

उत्तर से स्पष्ट है कि ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में विलम्ब के कारण मार्च 2019 तक स्वीकृत 12.75 लाख आवासों के लाभार्थियों को प्रशिक्षित राजमिस्त्री का लाभ नहीं मिल सका।

4.5.3.2 लाभार्थी के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री को मैप किया जाना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.3.1 में प्रावधान है कि लाभार्थी को स्वीकृति आदेश निर्गत करने के दौरान, एक क्षेत्रीय कर्मी एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्री के विवरण के साथ मैप किया जाना था। इसके अतिरिक्त, आवास को समय पर निर्मित/पूर्ण करने एवं अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी को क्षेत्रीय स्तर के शासकीय पदाधिकारी एवं ग्रामीण राजमिस्त्री के साथ टैग करने की परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से किसी में भी प्रशिक्षित राजमिस्त्री को लाभार्थी के साथ मैप नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मैपिंग सुनिश्चित नहीं की गई थी जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित किया गया था, जिससे अच्छी गुणवत्ता के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सहायता का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवाससॉफ्ट में मैपिंग के विकल्प की अनुपलब्धता के कारण, प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री को स्वीकृत आवासों के साथ मैप नहीं किया जा सका । खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव, प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षित राजमिस्त्री की सूची के माध्यम से आवास के निर्माण में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क और ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से लाभार्थी के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मैपिंग के लिए प्रावधान था एवं आवाससॉफ्ट में ऐसे विकल्प की अनुपलब्धता की समस्या, यदि कोई हो, को भारत सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए था।

4.6 लाभार्थी सहायता सेवाएँ

4.6.1 वृद्ध एवं अशक्त लाभार्थियों को सहायता

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.5.1 में प्रावधान था कि ऐसे प्रकरण जहाँ लाभार्थी वृद्ध या अशक्त या दिव्यांग व्यक्ति था एवं इसलिए वह स्वयं आवास का निर्माण कराने की स्थिति में नहीं था, ऐसे आवासों के निर्माण को राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लिया जाएगा। राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहायता राशि का भुगतान उन लाभार्थियों को एक किश्त में किया जाना था जिनके आवासों का चयन ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी कच्चा माल पहले ही खरीद सके और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आवासों के निर्माण में कोई विलम्ब न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में, दिव्यांगजनो को 221 आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिनका निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित सहायता प्रदान करने के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया जा सकता था। जबकि, इन जनपदों में किसी भी आवास को राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण के लिए नहीं लिया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में वृद्ध एवं अशक्त लाभार्थियों के निर्मित आवासों की एक सूची (सितंबर 2024) प्रदान की। इस सूची की जाँच से पता चला कि राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, वृद्ध, अशक्त, दिव्यांग एवं विधवाओं से संबंधित 1,797 आवासों का निर्माण किया गया था। इनमें से 234 वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों के आवास नमूना जाँच किए गए 29 विकास खण्डों में थे। तथापि, इन नमूना जाँच किए गए 29 विकास खण्डों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों के आवासों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए, उत्तर नमूना जाँच किए गए जनपदों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुरूप नहीं था, जिन्होंने सूचित किया था कि राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के आवासों के निर्माण के प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित थी तथा संबंधित जनपद या विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। इस प्रकार, राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वृद्ध, अशक्त या दिव्यांग व्यक्ति के आवासों के निर्माण का आश्वासन नहीं दिया जा सकता था।

समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान यह स्वीकार किया गया कि ऐसे आवासों का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना था। यह भी सूचित किया गया कि ऐसे मामलों में एक या दो किश्तों में पूर्ण सहायता राशि निर्गत करने का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

4.6.2 आवासों के निर्माण के लिए ऋण की सुविधा

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.6.1 में प्रावधान था कि यदि किसी लाभार्थी को अपनी आकांक्षाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार आवास का निर्माण करने की इच्छा होगी, तो उसे विभाग द्वारा ₹ 70,000 तक के संस्थागत वित्त का लाभ उठाने की सुविधा दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में विभाग को बैंकरों के साथ बैठक करनी चाहिए। विभाग एवं बैंकों को लाभार्थी के संवेदीकरण सहित ऋण उत्पादों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के लिए प्राक्कलनों को स्वीकृति देते समय, उ.प्र. सरकार के आदेश (दिसंबर 2016) में परिकल्पना की गई थी कि आवासों के निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता के अतिरिक्त आवश्यक राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी क्योंकि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में ऋण का प्रावधान उल्लिखित था। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थियों के लिए ऋण की सुविधा, योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तथापि, नमूना जाँच किए गए जनपदों में, बैंकरों एवं अन्य ऋण संस्थानों के साथ बैठक करके बैंक ऋण सुविधा प्रदान करने के प्रयास जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के अभिलेखों में परिलक्षित नहीं थे। संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों ने बताया कि किसी भी लाभार्थी ने बैंकिंग या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए आवेदन नहीं किया था। आगे जाँच में पता चला कि राज्य स्तर पर, बैंकों के सहयोग से रियायती ब्याज की दर पर ऋण योजना (डीआरआई) के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं ऋण उत्पादों की उपलब्धता के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थियों के संवेदीकरण के लिए कोई विज्ञापन निर्गत नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा डीआरआई ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की भूमिका तय करने के लिए कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि इस संबंध में भारत सरकार के निर्देश एवं दिशानिर्देश राज्य के सभी जनपदों को प्रसारित किए गए थे। अग्रेतर,

यह भी बताया गया कि आम तौर पर लाभार्थी बहुत गरीब होते है एवं ऋण के लिए इच्छुक नहीं होते है।

तथापि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण दिशानिर्देशों में परिकल्पित राज्य एवं जनपद स्तरों पर डीआरआई ऋण योजना के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

4.7 अधिरोहित बेमेल प्रकरणों का सत्यापन नहीं होना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अधिरोहित प्रकरणों के सत्यापन के लिए निर्देश (दिसंबर 2021) निर्गत किए। ये प्रकरण संबंधित लाभार्थी के नाम पर निधि अंतरण आदेश निर्गत करते समय एसईसीसी अभिलेख एवं बैंक विवरण के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी के नाम एवं अन्य विवरणों में बेमेल होने से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 13.4.2 (ई) में प्रावधान था कि एक बार लाभार्थी के फ्रीज़ किये गए बैंक खाते को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सत्यापित करने के पश्चात, इसे संबंधित विवरणों के लिए विकास खंड अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सत्यापित एवं बाद में विकास खंड अधिकारियों द्वारा सत्यापित खाते भुगतान के लिए आदेश पत्रक में प्रदर्शित होंगे।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि आयुक्त ग्राम्य विकास ने राज्य के सभी जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जनपदों में लंबित 6,40,992 बेमेल अधिरोहित प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश (नवंबर 2021) दिया। अग्रेतर, सत्यापन के दौरान किसी भी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी 2024 तक 1,44,108 बेमेल प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए लंबित बताया गया था। जिससे, यह स्पष्ट था कि इन लंबित बेमेल प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे।

लेखापरीक्षा में प्रकरण को इंगित किए जाने के पश्चात, आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा 19 मार्च 2024 तक अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराये, जिसमें 17,291 बेमेल प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए लंबित बताया गया तथा सत्यापन के पश्चात अस्वीकृत प्रकरणों की कुल संख्या 1,488 थी। इन 1,488 अस्वीकृत लाभार्थियों के अस्वीकृति के कारण तथा इनको भुगतान की गई

धनराशि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई। आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह भी बताया कि बेमेल अस्वीकृत' मामलों में किए गए भुगतान की जानकारी जनपद/विकास खंड स्तर से एकत्र की जा सकती थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए जनपदों में, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अस्वीकृत प्रकरणों एवं निर्गत की गई धनराशि का विवरण प्रदान नहीं कर सके। अस्वीकृत प्रकरणों के विवरण के अभाव में ऐसे प्रकरणों के पुन: सत्यापन के दौरान पायी गई अनियमितताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में, 782 बेमेल मामले सत्यापन के लिए लंबित थे तथा बेमेल अस्वीकृति मामलों की संख्या 762 थी। आगे यह भी सूचित किया गया कि बेमेल मामले का सत्यापन एक निरंतर प्रक्रिया है जो जनपदों एवं विकास खण्डों द्वारा नियमित रूप से की जाती है। तथापि, अस्वीकृत लाभार्थियों के विवरण, अस्वीकृति के कारणों एवं 762 अस्वीकृत प्रकरणों में सम्मिलित धनराशि तथा इसके लिए की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

4.8 आँकड़ों में विसंगतियों का सुधार किये बिना आवास स्वीकृत किया जाना

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 11 जनपदों में पाया कि 2017-23 की अवधि में जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए थे, उनकी सिस्टम द्वारा सृजित सूची में, 572 लाभार्थियों के प्रकरण में नाम की फ़ील्ड या तो रिक्त थी या उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह या अन्य चिन्ह अंकित थे । यह भी देखा गया कि इन प्रकरणों में या तो पिता के नाम या माता के नाम या दोनों की फ़ील्ड रिक्त थी या उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह या अपठनीय चिन्ह अंकित थे। ऐसे लाभार्थियों की संख्या का जनपदवार विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** *में दिया गया है।* अग्रेतर, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आज़मगढ़, बदायूं, जौनपुर एवं महोबा ने बताया (फरवरी 2024) कि इन प्रकरणों में, वेबसाइट पर प्रदर्शित परिवार के विवरण से सूची में उल्लिखित लाभार्थी आईडी के सत्यापन के पश्चात परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास आवंटित किए गए थे। इन लाभार्थियों के सत्यापन से संबंधित अभिलेख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरदोई के प्रकरण को छोड़कर, जिसके द्वारा ऐसे लाभार्थियों के नाम की सूची उपलब्ध कराई गयी थी।

सत्यापन के लिए मुख्य मापदंड लाभार्थियों के नाम थे, जो उपलब्ध नहीं थे क्योंकि लाभार्थी के नाम के क्षेत्र को रिक्त रखा गया था या प्रश्नवाचक चिह्न या अन्य चिन्हों से भरा गया था। इसलिए, किसी भी विशिष्ट पहचानकारक की

अनुपस्थिति में, जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किये गए थे, उनकी प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट था कि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन के दौरान भी दोषपूर्ण डेटा में सुधार नहीं किया गया था एवं दोषपूर्ण डेटा के आधार पर आवासों को स्वीकृति दी गई थी। इन 572 लाभार्थियों, जिन्हें आवास स्वीकृत किए गए थे, को सहायता के रूप में रुपये 6.82 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 'रिक्त', 'प्रश्नवाचक चिह्न' या 'अपठनीय संकेत' के सापेक्ष आवासों की स्वीकृति का कारण मूल सूची से डेटा अंतरित न होना या नाम हिंदी में लिखा जाना था । ऐसे लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया पर, यह सूचित किया गया कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार द्वारा आवास साफ्ट पर सिस्टम सृजित सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसे ग्राम सभा से सत्यापित कराया गया था एवं लाभार्थियों की श्रेणीवार स्थायी प्रतीक्षा-सूची बनायी गयी थी। उन लाभार्थियों के प्रकरणों में जहाँ लाभार्थी या पिता/माता का नाम या दोनों को 'रिक्त' या 'प्रश्नवाचक चिह्न' या 'अपठनीय संकेत' के रूप में प्रदर्शित किया गया था, उन्हें सिस्टम सृजित मदर लिस्ट जिसे लाभार्थियों की पात्रता की पहचान के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा गया था, में उल्लिखित आईडी से सत्यापित किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत परिवार के विवरण से भी पहचान की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि इन विसंगतियों को ठीक नहीं किया जा सका क्योंकि फील्ड सुधार का विकल्प भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए आवासों की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं साक्ष्य की व्याख्या की गई।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आवासों की स्वीकृति से पहले विसंगतियों को सुधारना एवं सत्यापित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी थी एवं फील्ड सुधार के लिए विकल्प की अनुपलब्धता का प्रकरण भारत सरकार के समक्ष उठाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, जब लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण उठाया गया था, तब ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत पारिवारिक विवरण से ऐसे लाभार्थियों के सत्यापन के अभिलेख सम्बंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे। इसलिए, राज्य सरकार ऐसे प्रकरणों में प्रमाणिकता के पर्याप्त आश्वासन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी समीक्षा कर सकती है।

4.9 जियोटैग नहीं होने के कारण लाभार्थियों को आवासों के आवंटन में विलम्ब

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.2.1 में प्रावधान है कि स्वीकृति आदेश निर्गत करने से पहले, खंड विकास अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी विकास खंड स्तर का अधिकारी मोबाइल एप्लिकेशन 'आवासएप' के माध्यम से लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान के सामने का लाभार्थी का भू-संदर्भित चित्र लेगा, उसके पश्चात उस भूमि जिस पर लाभार्थी आवास बनाने का प्रस्ताव रखता है, का एक जियोटैग किया गया चित्र लेगा एवं इसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए जनपद हरदोई के 19 विकास खण्डों में आवासप्लस एप्लीकेशन के माध्यम से कुल 1,31,695 लाभार्थियों की पहचान की गई थी। इनमें से 79,538 लाभार्थियों की जियोटैग नहीं किये जाने के कारण आवासप्लस एप्लीकेशन में उनका डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप लगातार दो वर्षों 2020-21 एवं 2021-22 में उन्हें आवास का आवंटन नहीं किया जा सका। लाभार्थियों की जियोटैग का दायित्व विकास खंड स्तर के अधिकारियों पर था एवं जियोटैग के अभाव में आवाससॉफ्ट पर डाटा प्रदर्शित न होना विकास खंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनपद के छः विकास खण्डों में, 39,255 लाभार्थियों जिनका डेटा आवासऐप पर अपलोड किया गया था, में से 25,197 लाभार्थियों (64 प्रतिशत) को रिमांड किया गया था एवं मात्र 13,788 लाभार्थियों (35 प्रतिशत) को वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में आवास आवंटित किए गए थे। दिलचस्प बात यह थी कि इन छः विकास खण्डों में से एक विकास खंड में, 95 प्रतिशत लाभार्थी या तो अपात्र पाए गए या उन्हें रिमांड कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन छः विकास खण्डों में कुल 270 लाभार्थी अभी भी आवास के आवंटन की प्रतीक्षा में थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि जियोटैग न होने के कारण छूटे हुए जनपद हरदोई के लाभार्थियों को भारत सरकार से वर्ष 2024-25 का लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात् आवास स्वीकृत किए जाएंगे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया गया।

4.10 आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

लेखापरीक्षा कार्य के दौरान नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया

गया । निर्मित आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए, प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में, व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर आठ लाभार्थियों का चयन (उपलब्धता होने पर) किया गया तथा लाभार्थी एवं विभाग के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रकार, नमूना जाँच के 19 जनपदों में 2,178 लाभार्थियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। इन 2,178 आवासों में से 2,079 आवासों को आवाससॉफ्ट में पूर्ण तथा 99 आवासों को अपूर्ण सूचित किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है। संयुक्त भौतिक सत्यापन का जनपदवार विवरण ***परिशिष्ट 4.3.*** में दिया गया है।

4.10.1 'पूर्ण' सूचित आवास का संयुक्त भौतिक सत्यापन में 'अपूर्ण' पाया जाना

आवाससॉफ्ट में पूर्ण सूचित किये गए 2,079 आवासों में से, संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल 2,002 (96 *प्रतिशत)* आवास ही वास्तव में पूर्ण (छत पड़ी होना) पाए गए। इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन में 77 आवासों के प्रकरणों में विभाग का दावा सही नहीं पाया गया। यह भी पाया गया कि इन 77 आवासों के लिए आवासीय इकाई की सहायता की सभी तीन किश्तें निर्गत की जा चुकी थीं। ऐसे दो अपूर्ण आवासों के दृष्टान्तदर्शक प्रकरणों पर चर्चा **केस स्टडी** में की गई है।

केस स्टडी

विकास खंड बेहटा की ग्राम पंचायत तेजवापुर के एक प्रकरण में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि लाभार्थी (आईडी UP144091039) का आवास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत हुआ था। आवाससॉफ्ट के अनुसार, आवास को 21 मई 2023 को पूर्ण सूचित किया गया था एवं लाभार्थी को तीनों किश्तें निर्गत कर दी गई थीं। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (21 सितंबर 2023) के दौरान आवास अपूर्ण **(चित्र 4.2)** पाया गया एवं आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया चित्र भी वास्तव में निर्मित आवास से भिन्न पाया गया**।** इसी प्रकार, जनपद सुल्तानपुर में विकास खंड**-** करौंदीकला, ग्राम पंचायत मरौता तुलसीपट्टी के एक अन्य लाभार्थी (आईडी UP134488642) को वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवास जिसे 16 फरवरी 2022 को आवाससॉफ्ट में पूर्ण दिखाया गया था को 16 नवंबर 2023 को किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तव में अपूर्ण **(चित्र 4.3)** पाया गया। आवाससॉफ्ट में अपलोड किये गए अपूर्ण चित्र के आधार पर तीनों किश्तें निर्गत कर दी गईं थीं।

चित्र 4.2

लाभार्थी आईडी-UP144091039 के आवाससॉफ्ट पर पूर्ण सूचित आवास आवास का चित्र (विभागीय निरीक्षण तिथि 21 मई 2023)	संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 21 सितम्बर 2023 के दौरान लिए गए लाभार्थी आईडी-UP144091039 के आवास का चित्र

चित्र 4.3

	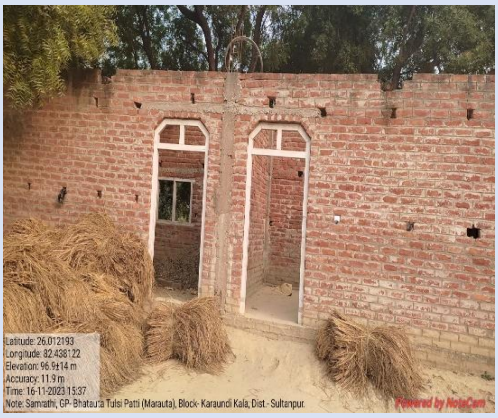
लाभार्थी आईडी-यूपी 134488642 के आवाससॉफ्ट पर पूर्ण सूचित आवास का चित्र (विभागीय निरीक्षण दिनांक 16 फरवरी 2022)	संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 16 नवंबर 2023 के दौरान को लिए गए आवास का चित्र

यह उदाहरण, आवाससॉफ्ट पर चित्र अपलोड करने में उचित सावधानी न बरते जाने तथा उक्त सीमा तक भौतिक प्रगति को अधिक सूचित किये जाने की ओर संकेत करते थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.2 आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी विवरण अंकित नहीं होना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्देश दिया (जुलाई 2017) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के माध्यम से निर्मित पूर्ण आवास की पहचान के लिए, प्रत्येक निर्मित आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह, लाभार्थी का नाम, पिता / पति का नाम, श्रेणी, स्वीकृति का वर्ष, ग्राम/ विकास खंड/ जनपद का नाम एवं व्यय की गई धनराशि - (i) प्राप्त सहायता, (ii) स्व-संसाधन (iii)योग को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे सम्बंधित व्यय को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक व्यय घटक से पूरा किया जाना था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन में, 2,079 पूर्ण आवासों में से, 1,713 आवासों (82 प्रतिशत) में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी के अन्य प्रासंगिक विवरण अंकित नहीं पाए गए। इस प्रकार, इन आवासों को जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों में था, आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था । ऐसे दो आवासों को **चित्र 4.4** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.4: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक चिन्ह तथा प्रासंगिक विवरण के बिना आवास

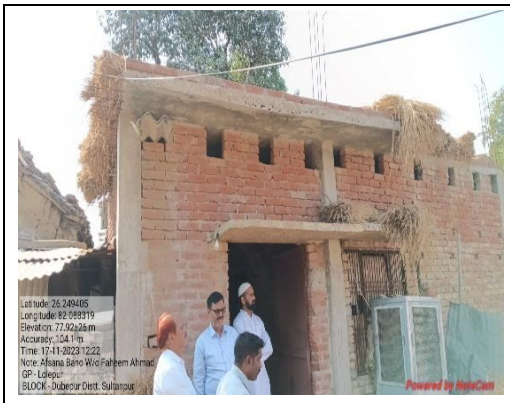

लाभार्थी आईडी-यूपी 135010390, ग्राम पंचायत- लोलेपुर, विकास खंड- दुबेपुर जनपद- सुल्तानपुर (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 17 नवंबर 2023)	लाभार्थी आईडी-यूपी 4052643, ग्राम पंचायत- रसूलपुर आइमा, विकास खंड - सांडी, जनपद- हरदोई (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 24 नवंबर 2023)

इस प्रकार, योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करने के ग्रामीण विकास मंत्रालय निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण, कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने तथा उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.3 आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस/पत्थर से निर्मित होना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.1 में प्रावधान था कि छत एवं दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लाभार्थी जिस स्थान पर रहता है, उसकी जलवायु स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सके। इसके अतिरिक्त, संग्रह 'पहल' में आवासों के किसी भी डिजाइन में टिन/एस्बेस्टस शीट के साथ छत का सुझाव नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि 42 आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस शीट आदि से बनी थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए ऐसे दो उदाहरणात्मक आवासों को **चित्र 4.5** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.5: आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस शीट से बना होना

लाभार्थी आईडी-यूपी 117609240 , ग्राम पंचायत-गौरी बाराह, विकास खंड-भियांव जनपद- अम्बेडकर नगर संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 30 अक्टूबर 2023	लाभार्थी आईडी-यूपी 134896960 , ग्राम पंचायत -मरौता तुलसीपट्टी, विकास खंड- करौंदीकला , जनपद-सुल्तानपुर संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 16 नवंबर 2023

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मात्र पक्की छत का प्रावधान था तथा उत्तरदायित्व तय करने एवं उस पर कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह

सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.4 छत की ढलाई एवं आवास पूर्ण होने की स्थिति के लिए एक समान चित्र का उपयोग

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (नवंबर 2017) के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता की तीसरी किश्त आवास के पूर्ण होने के उपरांत अर्थात छत की ढलाई तथा प्लास्टर के पश्चात् निर्गत की जानी थी। तीसरी किश्त की धनराशि का उपयोग दरवाजे एवं खिड़कियाँ स्थापित करने तथा आवास की पेंटिंग के लिए किया जाना था।

सत्यापन के लिए चुने गए नमूनाकृत 2,079 पूर्ण आवासों में से 1,275 मामलों (61 प्रतिशत) में आवाससॉफ्ट पर पूर्ण आवास की खिड़की/छत के ढलाई का स्तर एवं पूर्ण आवास के स्तर की एक समान चित्र अपलोड किये गए थे, जैसा कि **चित्र 4.6** में दर्शाया गया है। चित्र 4.6 से यह भी स्पष्ट था कि तीसरी किश्त आवास का प्लास्टर सुनिश्चित किए बिना निर्गत की गई थी।

चित्र 4.6: पूर्ण आवास एवं आवास के विंडोसिल स्तर की स्थिति के लिए अपलोड किये गए चित्र (लाभार्थी आईडी UP134617539)

विंडो सिल स्तर प्रदर्शित करने के लिए आवाससॉफ्ट पर चित्र (विभागीय निरीक्षण तिथि 14 अप्रैल 2023)	पूर्ण आवास की स्थिति प्रदर्शित करने लिए आवाससॉफ्ट पर चित्र (विभागीय निरीक्षण तिथि 14 अप्रैल 2023)

संयुक्त भौतिक सत्यापन में, 2,079 नमूना आवासों में से 1,548 आवास (74 प्रतिशत), दीवारों पर बिना प्लास्टर के पाए गए। इस प्रकार, यद्यपि इन आवासों को पूर्ण दिखाया गया था, लेकिन उन्हें ऊपर उल्लिखित उ.प्र. सरकार के आदेश के संदर्भ में पूर्ण नहीं माना जा सकता था। ऐसे दो आवासों को **चित्र 4.7** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.7: प्लास्टर के बिना पूर्ण सूचित किए गए आवास

लाभार्थी आईडी-UP2606649, ग्राम पंचायत-बारागांव, विकास खंड-महोली जनपद- सीतापुर संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 20.09.2023	लाभार्थी आईडी-UP 132846917, ग्राम पंचायत-रक्सी, विकास खंड-नरैनी, जनपद- बांदा संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 08.12.2023

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवासों के प्लास्टर के लिए निर्देश निर्गत किए गए है। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.5 आवासों का उपयोग नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि 25 आवास जो यद्यपि पूर्ण थे परन्तु वह निवास के लिए उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। ऐसे दो आवासों को **चित्र 4.8** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.8: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास जो कि निवास के लिए उपयोग में नहीं है

लाभार्थी आईडी-UP 4504785 ग्राम पंचायत-गुरपुरी चंदन, विकास खंड-जगत, जनपद-बदायूं संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 28-02-2023 *(लाभार्थी ने बताया कि घर का उपयोग मुर्गी पालन के लिए किया जा रहा है)*	लाभार्थी आईडी-UP 132531620, ग्राम पंचायत - सरौली बुजुर्ग, विकास खंड-सुमेरपुर, जनपद-हमीरपुर संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 19-12-2023 *(लाभार्थी द्वारा निवास के लिए उपयोग न किये जाने का कारण नहीं दिया गया)*

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.6 भोजन पकाने एवं स्नान के लिए स्थान सुनिश्चित किये बिना आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.1 में प्रावधान था कि मुख्य आवास के डिजाइन में स्वच्छ भोजन पकाने तथा स्नान के लिए एक स्थान भी सम्मिलित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि 2,079 पूर्ण आवासों में से 1,129 आवासों (54 प्रतिशत) का निर्माण स्वच्छ भोजन पकाने एवं 1,205 आवासों (58 प्रतिशत) का निर्माण स्नान के लिए स्थान सुनिश्चित किये बिना किया गया था जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं।

4.11 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 8.1 में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु विद्यमान योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या किसी अन्य विशेष वित्तपोषण स्रोत के अंतर्गत शौचालय[53] के निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या किसी अन्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, स्वच्छ एवं अधिक कुशल भोजन पकाने के ईंधन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के साथ अभिसरण की परिकल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण

[53] क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के संदर्भ में शौचालय का निर्माण महत्वपूर्ण था जिसके अनुसार शौचालय के निर्माण के पश्चात् ही आवास को पूर्ण माना जाएगा।

सुनिश्चित करने एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में पाई गई कमियों पर चर्चा नीचे की गयी है:

4.11.1 अभिसरण की स्थिति

राज्य में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2024 की अवधि में शौचालय के निर्माण, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत् संयोजन एवं जल आपूर्ति संयोजन से संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धताकी स्थिति ***तालिका 4.2*** में प्रदर्शित है।

तालिका 4.2: राज्य स्तर पर अभिसरण की स्थिति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पूर्ण आवास	शौचालय का निर्माण *(प्रतिशत में)*	रसोई गैस कनेक्शन *(प्रतिशत में)*	विद्युत् संयोजन *(प्रतिशत में)*	जल आपूर्ति संयोजन *(प्रतिशत में)*
34,49,441	32,96,379 (96)	32,50,414 (94)	31,95,484 (93)	25,83,388 (75)

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 14,97,260 आवासों में से 95 *प्रतिशत* आवासों में शौचालयों का निर्माण किया गया था, 93 *प्रतिशत* आवासों में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध थे, 92 *प्रतिशत* आवासों में विद्युत् संयोजन प्रदान किए गए थे तथा 71 *प्रतिशत* आवासों को जलापूर्ति संयोजन प्रदान किए गए थे। विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है। तथापि 2,079 नमूना आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन, जो नमूना जाँच वाले 19 जनपदों में विभाग द्वारा पूर्ण सूचित किये गए थे, में पायी गयी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** मे प्रदर्शित है तथा ***तालिका 4.3*** एवं ***चार्ट 4.2*** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया।

तालिका 4.3: आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति

जाँच किए गए जनपदों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन में जांचे गए पूर्ण आवासों की संख्या	शौचालय वाले आवासों की संख्या *(प्रतिशत में)*	रसोई गैस कनेक्शन के साथ आवासों की संख्या *(प्रतिशत में)*	विद्युत् संयोजन वाले आवासों की संख्या *(प्रतिशत में)*	पाइप से पेयजल आपूर्ति संयोजन वाले आवासों की संख्या *(प्रतिशत में)*
19	2079	1483 (71)	1271 (61)	1456 (70)	233 (11)

चार्ट 4.2 संयुक्त भौतिक सत्यापन में पायी गई मूलभूत सुविधाओं में कमी (*प्रतिशत में*)

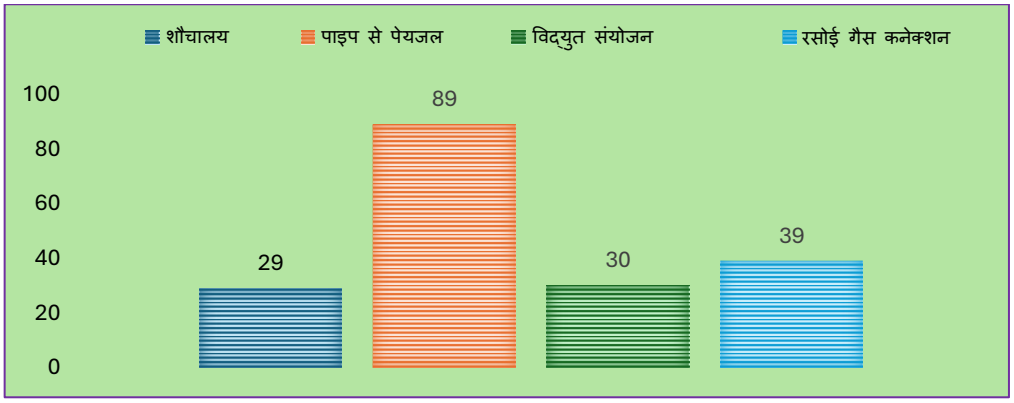

जैसा कि **चार्ट 4.2** से प्रदर्शित है, पाइप से पेयजल आपूर्ति संयोजन की उपलब्धता में 89 *प्रतिशत* की सबसे अधिक कमी देखी गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में शौचालय, विद्युत् संयोजन एवं रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता में कमी क्रमशः 29, 30 एवं 39 *प्रतिशत* थी। इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने में कमी का प्रतिशत राज्य स्तर पर सूचित अभिसरण के माध्यम से सूचित की गई कमी की तुलना में अधिक था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवाससॉफ्ट में भरे गए डेटा के सत्यापन तथा डेटा में भिन्नता के प्रकरणों में उत्तरदायित्व तय करने एवं कार्यवाही करने के लिए निर्देश (अगस्त 2024) निर्गत किए गए हैं । समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.11.2 अकुशल मजदूरी प्रदान करने के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 8.1 (बी) के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी को, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण कर उसके आवास के निर्माण के लिए वर्तमान दर पर 90 मानव दिवस (दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जनपदों में 95 मानव दिवस) कार्य की अकुशल मजदूरी का सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य था।

वर्ष 2017-23 की अवधि में स्वीकृत आवासों की स्थिति, कार्य सृजन के लिए किये गए अनुरोध तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सृजित किये जाने की स्थिति **तालिका 4.4** में प्रदर्शित है।

तालिका 4.4: महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सृजन की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या	कार्य सृजन के लिए अनुरोध	सृजित कार्य
2017-18	394382	391950	386101
2018-19	309589	307731	297376
2019-20	171554	170693	169864
2020-21	732502	732022	729544
2021-22	433250	433013	431327
2022-23	858481	856365	855406
कुल योग	**2899758**	**2891774**	**2869618**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

जैसा कि **तालिका 4.4** से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-23 की अवधि में स्वीकृत कुल 28.99 लाख आवासों में से 28.92 लाख लाभार्थियों के संबंध में मनरेगा के अंतर्गत कार्य सृजन का अनुरोध भेजा गया था जबकि मात्र 28.70 लाख लाभार्थियों के लिए कार्य सृजित किया गया था। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के अंतर्गत परिकल्पित सभी स्वीकृत आवासों के लिए कार्य सृजन नहीं किया जा सका था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि स्वीकृत आवासों की संख्या, कार्य सृजन अनुरोध एवं वास्तविक कार्य सृजन में मिसमैच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों की स्वीकृति के पश्चात पाए गए अपात्र लाभार्थियों के प्रकरणों के कारण था। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़ों (वर्ष 2016 से वर्ष 2019-20) से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास की स्वीकृति पर, कार्य सृजन के लिए आईडी को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वेबसाइट पर स्वतः पोर्ट किया गया था। तथापि, आवासप्लस डेटा (वर्ष 2020-21 से आगे) के पश्चात लाभार्थी को पहली किश्त के हस्तांतरण के दौरान कार्य सृजन के लिए आईडी ऑटो पोर्ट की जाती है। आगे यह भी बताया गया कि वर्तमान में 22,676 आवासों के मामले में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सृजन लंबित था एवं कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.11.3जल निकास की सुविधा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रस्तर 8.1 (एफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवारों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, परिवारों

द्वारा उत्पन्न ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उपचार करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित कर सकती थी।

नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों के 2,079 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि मात्र 1,169 आवास (56 प्रतिशत), क्षेत्र में उपलब्ध नालियों से जुड़े थे तथा शेष 910 आवासों (44 प्रतिशत) में उनके क्षेत्र में उचित जल निकासी प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप जल भराव तथा रहने के लिए अस्वच्छ स्थिति थी। उचित जल निकास प्रणाली के अभाव वाले ऐसे दो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों को **चित्र 4.9** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.9: उचित जल निकास प्रणाली के बिना आवासों के चित्र

उचित जल निकास प्रणाली के बिना जनपद बहराइच के विकास खंड बलहा में एक लाभार्थी का आवास (आईडी-UP139365164)। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 06.10.2023

उचित जल निकास प्रणाली के बिना जनपद उन्नाव में विकास खंड मियागंज के एक लाभार्थी का आवास (आईडी -UP5818652) जिसके परिणामस्वरूप जलभराव तथा रहने के लिए अस्वच्छ स्थिति थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 12.01.2024

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से लाभान्वित परिवारों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए जल निकास का पर्याप्त एवं उचित प्रबंधन

महत्वपूर्ण था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आच्छादित किए गए परिवारों के लिए जल निकास सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अपर्याप्त अभिसरण की ओर संकेत करता था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि जनपदों को इस संबंध में निर्देश निर्गत किये गए है। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए है।

4.12 अभिसरण के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 8.3 में प्रावधान है कि धरातल स्तर पर अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य एवं जनपद स्तर की समितियों को अपनी बैठकों में आवधिक निगरानी एवं समीक्षा के साथ एक एजेंडा बिंदु के रूप में अभिसरण को सम्मिलित करना चाहिए। तथापि, जैसा कि प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है, इन समितियों की बैठकों के आयोजन में कमी पायी गयी। इस प्रकार वर्ष 2017-23 की अवधि में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की निगरानी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पना के अनुसार सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

सारांश में, वर्ष 2016-23 की अवधि में स्वीकृत 20,215 आवास स्वीकृति की तिथि से पूर्ण होने की 12 माह की निर्धारित समय सीमा से अधिक होने के बावजूद मार्च 2025 तक अपूर्ण थे। योजना में परिकल्पित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना में जनपदवार योजना सम्मिलित नहीं थी। लाभार्थियों की वार्षिक चयन-सूची को तैयार कर प्रसारित नहीं किया गया था। योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक आवास के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मैपिंग न होने, प्रत्येक विकास खंड में डेमो आवास का निर्माण न होने कारण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सुझाए गए डिजाइनों के अनुसार डेमो आवास का निर्माण नहीं कराया गया था। अग्रेतर, अधिरोहित/मिसमैच प्रकरण सत्यापन के लिए लंबित थे एवं साथ ही आवाससॉफ्ट मे लाभार्थी के नाम, पिता के नाम एवं माता के नाम से संबंधित क्षेत्रों में बिना किसी प्रविष्टि या प्रश्नवाचक चिह्न के साथ आवास स्वीकृत किए गए थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम से पता चला कि 2,079 नमूना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में से 77 आवास वास्तव में अपूर्ण थे एवं इस प्रकार, पूर्णता की प्रगति उस सीमा तक अधिक सूचित की गई थी। इसके

अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन में, 82 प्रतिशत आवास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक चिन्हों के बिना पाए गए, 74 प्रतिशत बिना प्लास्टर के दीवारों, 54 प्रतिशत स्वच्छ भोजन पकाने के लिए बिना विशेष स्थान तथा 58 प्रतिशत बिना विशेष स्नान क्षेत्र के थे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत् संयोजन एवं पाइप से पेयजल संयोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में भी कमियां पायी गयीं। इस प्रकार, यद्यपि राज्य ने, आवासों के पूर्ण करने के लक्ष्य में 98 प्रतिशत की उपलब्धि सूचित की गयी थी, परन्तु योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ थीं जिसकी चर्चा ऊपर की गई है तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणामों ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित एक पूर्ण आवास की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए एवं अधिक कार्यवाही की आवश्यकता थी।

अनुशंसाएं:

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

(7) 20,215 अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए सक्रिय अनुश्रवण किया जाए।

(8) राज्य में भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान कर ऐसे सभी पहचाने गए लाभार्थियों को योजना में उल्लिखित प्राथमिकता के आधार पर आवास प्रदान किए जायें।

(9) डेमो आवासों का निर्माण संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुशंसित डिजाइनों और विशिष्टियों के अनुसार किया जाये ताकि लाभार्थियों को उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त आवास के डिजाइनों से अवगत कराया जा सके।

(10) किसी भी कदाचार की सम्भावना को समाप्त करने के लिए सभी अधिरोहित/मिसमैच प्रकरणों एवं लाभार्थी के नाम, पिता के नाम एवं माता के नाम के स्थान पर 'रिक्त' और 'प्रश्नवाचक चिह्न' की प्रविष्टियों के साथ स्वीकृत आवासों का गहन सत्यापन किया जाये।

(11) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ पर्याप्त और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि आवासों में शौचालय, रसोई गैस संयोजन, विद्युत संयोजन, पाइप द्वारा पेयजल संयोजन जैसी सभी मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराई जा सके।

अध्याय V

योजना की निगरानी

अध्याय V

योजना की निगरानी

यह अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में निगरानी तंत्र की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: योजना की निगरानी एवं मूल्याँकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन मे था।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- राज्य के 75 जनपदों में से मात्र पाँच जनपदों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन एवं निगरानी नहीं की जा रही थी।
- बैठकों के कार्यवृत्त के अभाव में, योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियों का गठन एवं कार्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2017-23 की अवधि में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखापरीक्षा में उल्लिखित अधिकांश आपत्तियां (53 प्रतिशत), एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अनिस्तारित थी।

5.1 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

यद्यपि आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा किया जाना था, तथापि, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था कि लाभार्थी को प्रक्रिया में अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान करे और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर निगरानी करे कि आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.3 में गुणवत्ता निर्माण के क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के कार्यों को करने के लिए एक समर्पित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के स्थापना की परिकल्पना की गयी थी।

5.1.1 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.3 में प्रावधानित था कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का नेतृत्व राज्य नोडल अधिकारी करेंगे जिनकी सहायता प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिक करेंगे। जनपद एवं विकास खंड स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन करना था। राज्य, जनपद तथा विकास खंड स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की संरचना एवं उत्तरदायित्व ***परिशिष्ट 5.1*** में वर्णित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन एवं कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति (सितंबर 2017) दी थी। तथापि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन को यह कहते हुए समाप्त कर दिया (अप्रैल 2018) कि इससे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात्, राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर तथा पाँच जनपदों[54] के साथ-साथ जनपदों के विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन को स्वीकृति (अक्टूबर 2018) प्रदान की थी। तथापि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधानित होने के उपरांत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोनों अनुमोदनों में (सितंबर 2017 एवं अक्टूबर 2018) जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु 'निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ' के पद की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से, तीन जनपदों[55] में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन की अनुमति दी गई थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए मात्र एक जनपद अंबेडकर नगर में ही कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था। तथापि, अंबेडकर नगर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'तकनीकी विशेषज्ञ (आईटी)' और 'लेखाकार सहायक' के स्वीकृत पद रिक्त थे। इस प्रकार जनपद अंबेडकर नगर में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का संचालन वांछित स्तर के कर्मचारियों के बिना ही किया गया था।

लेखापरीक्षा मे आगे पाया गया कि भारत सरकार को प्रस्तुत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना में

[54] लखनऊ, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, गोरखपुर और मुरादाबाद

[55] अम्बेडकर नगर, बदायूँ, और मुरादाबाद

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन का उल्लेख 64 से 65 जनपदों[56] एवं 730 से 765 विकास खंडो[57] में किया गया था, जो कि राज्य में त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को समाप्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (अप्रैल 2018) के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन न होने से भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन की सुविधा, स्थाई प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची तैयार करना, राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने एवं आयोजित करना, प्रत्येक लाभार्थी को एक प्रशिक्षित राजमिस्त्री के साथ जोड़ना, आवाससॉफ्ट[58] पर रिपोर्टिंग की निगरानी करना एवं समय पर किश्तों के निर्गत करने के संदर्भ में योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए आउटसोर्सिंग/ संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पाँच जनपदों को अनुमति प्रदान की गई थी। आगे बताया गया कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अन्य जनपदों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए थे, तथापि, अनुमति प्रदान नहीं की गई। वार्षिक कार्य योजना में दी गयी सूचना के संदर्भ में, राज्य सरकार ने बताया कि वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की जानकारी, शासकीय अधिकारियों एवं अन्य योजनाओं के लिए कार्य में लगे संविदा कर्मियों की थी, जिन्हें जनपद एवं विकास खंड स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के पदों/ जिम्मेदारियों के सापेक्ष भी तैनात किया गया था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट किया गया।

उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन नहीं किया, यद्यपि योजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक स्तर की भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारियाँ तय की गई थी। इसके अतिरिक्त,

---

[56] वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 में 64 जनपद तथा वर्ष 2021-22 में 65 जनपद । वर्ष 2018-19 में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन का विवरण नहीं दिया गया।

[57] वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 में 730 विकास खंड तथा 2021-22 में 765 विकास खंड।

[58] आवाससॉफ्ट एक वेब आधारित लेन-देन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में ई-जी-गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करता है।

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधानित होने के उपरांत भी जनपद स्तर पर 'निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ' का पद स्वीकृत नहीं किया गया था।

5.1.2 जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा आवासों का निरीक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 9.3.2 के अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता पर्यवेक्षण की निगरानी भी करेगा। यह सुझाव दिया गया था कि (अ) विकास खंड स्तर पर अधिकारियों को यथासंभव निर्माण के दौरान 10 प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना चाहिए एवं (ब) जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्माण के दौरान दो प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों एवं 56 विकास खंडों में से 18 जनपदों एवं 54 विकास खंडों में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन नहीं किया गया था। अग्रेतर, जैसा की प्रस्तर 5.1.1 में चर्चा की गयी है, नमूना जाँच किए गए एक जनपद[59] जहाँ कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था उसमें 'निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ' का पद सृजित नहीं किया गया था, यद्यपि यह विशेषज्ञ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक था। नमूना जाँच किए गए 56 विकास खंडों ने सूचित किया कि निर्माण के दौरान आवासों का निरीक्षण किया गया था, किन्तु निरीक्षण किए गए आवासों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना का रख-रखाव नहीं किया गया था और सत्यापन हेतु निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। इस प्रकार आवासों के निर्माण के दौरान वांछित स्तर तक निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

भारत सरकार के एरिया ऑफिसर ऐप की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों से लेखापरीक्षा के संज्ञान मे आया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में 2017-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा शून्य से 0.12 प्रतिशत तक ही कार्यस्थल का दौरा किया गया था जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित वांछित दो प्रतिशत से कम था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण में ऐसे प्रकरण, जहाँ दीवारों पर प्लास्टर न होना, खाना पकाने और स्नान के लिए विशेष स्थान न होना, शौचालय न होना, उचित जल निकासी

[59] अम्बेडकर नगर

प्रणाली न होना एवं छत के रूप में टिन/एस्बेस्टस शीट का उपयोग किया जाना पाये गये एवं जिसकी चर्चा पिछले अध्याय IV में भी की गई है जो क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित अधिकारियों के निरीक्षण मे कमी को इंगित करता था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विकास खंड स्तर पर 10 प्रतिशत निरीक्षण और जनपद स्तर पर दो प्रतिशत निरीक्षण के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर निरीक्षण का वांछित स्तर सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.2 राज्य एवं जनपद स्तर पर समितियों का गठन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.4 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था। राज्य स्तरीय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। इसी प्रकार, जनपद स्तरीय समितियों की अध्यक्षता संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए जिनकी बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में होनी चाहिए। राज्य स्तर एवं जनपद स्तर की समितियों की संयोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य[60] और जनपद दोनों स्तरों पर समितियों के गठन के आदेश निर्गत (जून 2017) किए गए थे। तथापि, वर्ष 2017-23 की अवधि में इन समितियों की कार्यप्रणाली के संबंध मे पूछे जाने पर, आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय ने सूचित किया कि समितियों का गठन किया गया था एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं जिसे राज्य में लागू किया जा रहा है, की समीक्षा के लिए आयोजित

[60] अध्यक्ष: मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग, सचिव: आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश, सदस्य: प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, आयुक्त ग्रामीण आवास, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास बोर्ड, निदेशक पंचायती राज, क्षेत्रीय प्रबंधक हुडको, अपर आयुक्त (पीएमएवाई-जी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश और अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त प्रदान किया गया था। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जुलाई 2017) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए गठित समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए राज्य स्तरीय समिति के कार्य को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गए 19 में से 11 जनपदों में, जनपद स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था। आठ जनपदों[61] मे, जहाँ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने गठन की पुष्टि की, उनके सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को इसके गठन एवं बैठकों के आयोजन से सम्बंधित कोई भी अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना की नियमित समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा की गई थी। साथ ही यह भी बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक सितंबर 2024 में होना प्रस्तावित थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की गयी थी।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किए गए जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित करने से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही करा सके। अतः इन समितियों के गठन और कार्यप्रणाली की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किए जाने पर अक्टूबर 2024 में राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

5.3 सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 9.6.1 में प्रावधानित है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित की जानी चाहिए, जिसमें अनिवार्यतः सभी पहलुओं की समीक्षा शामिल हो। सामाजिक लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।

[61] आजमगढ़, बाराबंकी, बदायूं, जौनपुर, झांसी, महोबा, मुरादाबाद और शाहजहांपुर

वर्ष 2017-23 की अवधि में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन की स्थिति **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित की गई	कमी (प्रतिशत में)	रिपोर्ट किए गए प्रकरणों की कुल संख्या	अक्टूबर 2024 तक बंद किए गए प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों का प्रतिशत	
						बंद	लंबित
2017-18	59073	1967	97	13506	4007	30	70
2018-19	59073	15931	73	89746	54276	60	40
2019-20	59073	31445	47	143106	63538	44	56
2020-21	58189	0[62]	0	0	0	0	0
2021-22	58189	30927	47	169033	91118	54	46
2022-23	57702	42436	26	177480	66114	37	63
कुल				**592871**	**279053**	**47**	**53**

(स्रोत: सामाजिक लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित एक नज़र में)

जैसा कि ***तालिका 5.1*** से स्पष्ट है कि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित सामाजिक लेखापरीक्षा आवधिकता के अनुसार संचालित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-23 की अवधि में सूचित किए गए 5.93 लाख प्रकरणों में से, केवल 2.79 लाख (47 प्रतिशत) प्रकरण ही निस्तारित हुये थे एवं अक्टूबर 2024 तक 3.14 लाख (53 प्रतिशत) प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2017-23 के दौरान सूचित किए गए प्रकरणों में से लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 40 से 70 तक था। नमूना जाँच किये गए 19 जनपदों में, यद्यपि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने सामाजिक लेखापरीक्षा होने के संबंध में सूचना दी थी, परन्तु सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुवर्ती कार्यवाही की प्रतियां लेखापरीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि सामाजिक लेखापरीक्षा में सूचित किये गए प्रकरणों, एक बार निदेशालय सामाजिक लेखापरीक्षा से प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही कर उसका निस्तारण करने के लिए जनपदों को उपलब्ध कराया गया था।

[62] वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा में सूचित किए गए अधिकांश प्रकरण सूचित किये जाने के छः वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अनिस्तारित थे।

5.4 आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण के प्रगति की निगरानी

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.7.2 के अनुसार राज्य को स्वीकृति के समय प्रथम किश्त का भुगतान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्रथम किश्त के अतिरिक्त, राज्यों को आवाससॉफ्ट में छः[63] स्तरों में से उनकी पसंद के निर्माण चरणों/स्तरों को अवशेष किश्तों को मैप करना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लिंथ स्तर तक के निर्माण के साथ दूसरी किश्त एवं तीसरी किश्त आवास के पूरा होने पर यानी छत ढलाई एवं प्लास्टर के पश्चात अवमुक्त करने के आदेश (नवंबर 2017) निर्गत किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि, सत्यापन के लिए चयनित 2,178 लाभार्थियों में से 42 प्रकरणों में, आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए गए पूर्ण आवासों के चित्र, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए चित्र से मेल नहीं खाते थे। आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये गए चित्र के आधार पर किश्तों को निर्गत किया गया था। ऐसे दो प्रकरणों के संबंध में आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये गए चित्र एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गये चित्र को ***चित्र 5.1*** में दर्शाया गया है।

[63] नींव, प्लिंथ, खिड़की, लिंटेल, छत की ढलाई एवं पूर्ण निर्माण

चित्र 5.1: अवास साफ्ट एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए चित्रों में भिन्नता

<table>
<tr><td colspan="2">लाभार्थी पहचान संख्या - यूपी 119685401, ग्राम पंचायत-गौरी सलोनीपुर, विकास खंड नवाबगंज, जनपद-उन्नाव</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया चित्र (निरीक्षण तिथि 06.07.2021)</td><td>संयुक्त भौतिक सत्यापन में लिया गया चित्र (तिथि 11.01.2024)</td></tr>
<tr><td colspan="2">लाभार्थी पहचान संख्या - यूपी 141721446, ग्राम पंचायत- पूरे बस्ती गड़ेरिया, विकास खंड महसी, जनपद बहराइच</td></tr>
<tr><td>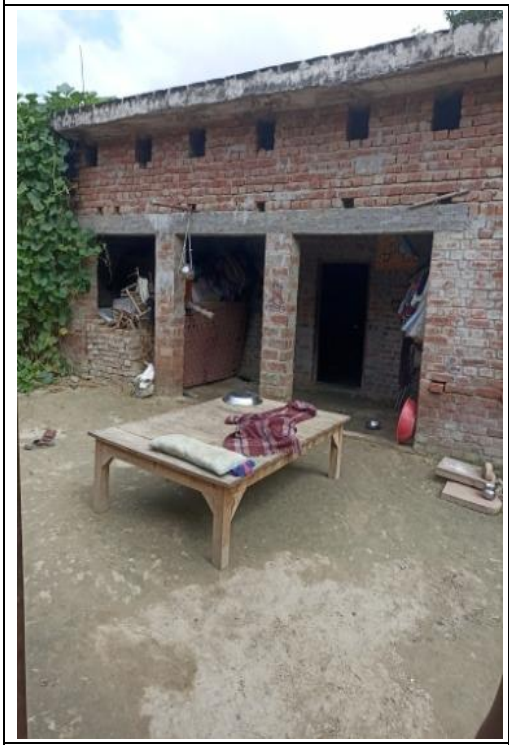</td><td>
</td></tr>
<tr><td>आवाससॉफ्ट के अनुसार (निरीक्षण तिथि 25.09.2023)</td><td>संयुक्त भौतिक सत्यापन. (तिथि 09.10.2023) में लिया गया चित्र - संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल एक तरफ नींव का कार्य देखा गया</td></tr>
</table>

इस प्रकार, उपरोक्त चित्रों से यह स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में निर्धारित निर्माण के चरणों से जोड़कर किश्तों को निर्गत करने की निगरानी में शिथिलता बरती गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक किश्त निर्गत करने एवं निर्धारित मानक के अनुसार आवास के पूर्ण होने के उपरान्त जियो टैगिंग कर चित्र अपलोड करने का प्रावधान था। निर्मित या निर्माणाधीन आवास के वास्तविक चित्र को अपलोड किया जाना था। इन प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए सुधारात्मक उपाय करने एवं भविष्य में आवाससॉफ्ट में अपलोड किये गए एवं वास्तविक चित्र में भिन्नता की पुनरावृत्ति दोहराये न जाने हेतु निर्देश निर्गत (अगस्त 2024) किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान यह भी सूचित किया गया कि आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण की कठोर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

सारांश में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुसार योजना की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई थी। वर्ष 2017-23 के दौरान अधिकांश जनपदों एवं विकास खंडो में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन नहीं किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के क्रियान्वयन, निगरानी तथा पर्यवेक्षण को प्रभावित किया। अपेक्षित साक्ष्य के अभाव में राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियों की कार्यप्रणाली को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों के द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण के निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित आवधिकता के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए अधिकांश प्रकरणों का समाधान किया जाना लंबित था। इसके अतिरिक्त, आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण की निगरानी में कमी पाई गई।

अनुशंसायें:

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

(12) योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की शीघ्र स्थापना की जाए।

(13) योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण में सुधार हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण के दौरान निरीक्षण किया जाए।

(14) दिशानिर्देशों में निर्धारित आवधिकता के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की जाए तथा सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

(राज कुमार)

प्रयागराज — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)

दिनांक: **19 नवम्बर 2025** — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 24 NOV 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.5)

चयनित जनपदों, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम
1.	अंबेडकर नगर	1. भियांव	1.गोविंदपुर 2. भियांव 3. गौरी बराह 4. रामगढ़ 5. किशुनदासपुर
		2. अकबरपुर	1.ताराखुर्द 2. अमरताल 3. बासगांव 4. अहेथा 5. मंजीशा
		3. जलालपुर	1.अरई 2. कटघर मूसा3. कबूलपुर 4. कजपुरा 5. मछली गावं
2.	आजमगढ़	1. अज़मतगढ़	1. कठैचा 2. सोखना खालसा 3 . चंगेजीपुर 4 . महुला 5.सुरैना
		2. बिलरियागंज	1. जयराजपुर 2. हिरने गुल्लीगढ़, 3. कपसा, 4. अकबरपुर, 5. भावारायपुर
		3. लालगंज	1. कोटा बुजुर्ग , 2. गडौली , 3. फैजुल्लाहपुर , 4. फकरुद्दीनपुर, 5. रामपुर कठेरवा
3.	बाँदा	1. नारायणी	1. रक्सी , 2. दुवरिया , 3. घोरेमऊ काला, 4. महुई , 5. गुहाकाला
		2. तिंदवारी	1. सिंहपुर, 2. लौमर, 3. अमलीकोर, 4. तरही माफी, 5. परसौंडा
		3. बिसांडा	1. तेंदुरा, 2. उत्तरवा, 3. सिंहपुर, 4. बिसंडा ग्रमीण, 5. कोरही
4.	बहराइच	1. बलहा	1. नुसेर गुमटिहा 2. चंदनपुर 3. मझावा भुलौरा 4. नानपारा देहात 5. बधैया कला
		2. महसी	1. पूरेदिलदार सिंह 2. पुरेबस्ती गडेरिया 3. सिकंदरपुर 4. पुरेहिंदू सिंह 5. नौतला
		3. फकरपुर	1. भिलोराकाजी 2. डिकौलिया 3. बहलिया 4. खालिदपुर 5. खपुरवा
5.	बाराबंकी	1. हरख	1. अजपुरा, 2. भानमऊ, 3. टेसुवा सलेमचक, 4. जैनाबाद, 5. इसरौली सेठ
		2. पुरेदलाई	1. असवा 2. पंसारा 3. टिकरी 4. बादशाहनगर 5. खेता सराय
		3. मसौली	1. उधौली, 2. सादमऊ, 3 . चंदवारा, 4. मसौली, 5. रसौली
6.	बदायूं	1. उझहनी	1. अल्लाहपुर भोगी, 2. गुराई , 3. जजपुरा, 4. कठौली , 5. दहेमू
		2. जगत	1. कुंडेली, 2. बसिया खेड़ा, 3. जखेली, 4. मोह नगर सुलारा, 5. गुरपुरी चंदन
		3. अम्बियापुर	1. रसौली 2. सिरसौल सीताराम 3. जरसेनी 4. खेरी 5. दुधौनी
7.	हमीरपुर	1. मौदहा	1.प्रच्छा , 2. मुतनी , 3. पडोरी , 4. पारा , 5. बैसठा
		2. गोहांड	1.रहंक , 2. अमोद, 3. औटा, 4. सरसेरामाफ , 5. कछवाकलां
		3. सुमेरपुर	1.इंगोहटा, 2. देवगांव, 3 बंडा, 4. सरौली बुजुर्ग, 5. दरियापुर
8.	हरदोई	1. सैंडी	1. मानीमऊ, 2. ककैडी, 3. रसूलपुरआइमा, 4. सांडी देहात, 5. महितापुर
		2. अहरोरी	1. रावहादुर, 2. महमूदपुर बहादुर, 3. कसमांडी, 4. अकबरपुर 5. बडौली

क्र. सं.	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम
		3. मल्लावां	1. शाहपुर पवार, 2. अकबरपुर, 3. खांगेरिया, 4. भिखारीपुर कटिया, 5. भागतूपुर संतूपुर
9.	जौनपुर	1.खुटहन	1. पट्टी नरेंद्रपुर, 2. छरौरा, 3. मुजक्खीपुर, 4. कशीयापुर, 5. बनहारा
		2.मुफ्तीगंज	1.पसरा, 2. पौनी, 3. अकौनी, 4. बगथारी, 5. उमरी
		3.बदलापुर	1.बहोर, 2. चाँदपुर , 3. मल्लूपुर, 4. बदलापुर खुर्द 5. रतासी
10.	झाँसी	1. बबीना	1.मनकुआं, 2. सरवन, 3. पृथ्वीपुर-नयाखेडा, 4. हीरापुर, 5. बडोरा
		2. मऊरानीपुर	1. पठा, 2. कोटरा, 3.रोरा, 4. बडागांव, 5. घाट लहचुरा
		3. बमौर	1. खल्लार, 2. मडोरी , 3. पथरेडी , 4. गोहना , 5. गेंदा कबूला
11.	लखीमपुर खीरी	1. बिजुआ	1. रूरा सुल्तानपुर, 2. एटकुटी, 3. बगिया खेड़ा, 4. गोविंदपुर, 5. अंबरा
		2. फूलबेहार	1. गौरा, 2. बड़ा गांव, 3. सिंगरपुर, 4. देवरिया, 5. तन्दुवा
		3. लखीमपुर	1. बरेहा तारापुर, 2. बैरागढ, 3. टसौरा, 4. सेमराई, 5. मूसेपुर खुर्द
12.	महाराजगंज	1. मिठौरा	1. मुजहना बुजुर्ग, 2. हरदी, 3. पनेवा पनेई, 4. धरमपुर, 5. पिपरा कल्यान
		2. निचलौल	1. खम्हौरा, 2. बलहीखोर , 3. मिसरौलिया, 4. परागपुर, 5. करमहिया
		3. नौतनवा	1. अमहवा, 2. हरदी डाली, 3. मनिकापुर, 4. महदेइया, 5. विशुनपुरा
13.	महोबा	1. चरखारी	1. लुहारी , 2. गौरहारी, 3. पाठा, 4. खरेला देहात , 5. कमलखेड़ा
		2. पनवाड़ी	1. लिधौरा खुर्द, 2. पनवाड़ी , 3. चौका , 4. भरवारा, 5. महुआ इटौरा
14.	मुरादाबाद	1. मुंडा पांडे	1. खाईखेडा, 2. देवापुर, 3. सरकड़ा खास, 4. दौलतपुर अजमतपुर, 5. डोलरा
		2. डिंगरपुर	1. उंचकनी, 2. जटपुरा, 3. अमनपुर कुंदरकी, 4. पांडिया. 5. गुरेर
		3. बिलारी	1. थानवाला, 2. सिसौना तारापुर, 3. जमालपुर 4. चांदपुर गणेश, 5. ढकैया नारू
15.	संभल	1. असमौली	सेवापुर, 2. नेहरौली , 3. ओवरी, 4. दवोई कला, 5. अखबंदपुर कफूरपुर
		2. संभल	1. पनसुखा मिलक, 2. मथोली, 3. फूलसिंह, 4. महमूदपुर आईमा, 5. वटोआ
		3. बनिया खेड़ा	1. रहोली, 2. गुमथल, 3. मोपुरकाशी, 4. अलहेदादपुर चंपू, 5. धनुपुरा
16.	शाहजहांपुर	1.तिलहर	1. उस्मानपुर टिसुई, 2. हरभानपुर, 3. समहना, 4. बीरसिंहपुर, 5. मिल्कीपुर
		2. कांठ	1. कुरैया कलां, 2. मथेपुर, 3. मल्हपुर, 4. निकरा, 5. मुरैया आस

क्र. सं.	जिले का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम
		3.निगोही	1. उदरा, 2. सतनुआ, 3. पतराजपुर, 4. कटैया उस्मानपुर, 5. भरतपुर
17.	सीतापुर	1. बेहटा	पलौली 2. तेजवापुर 3. चंडीभानपुर 4. कुरतहिया 5. मिदनिया
		2. महोली	1. कठिधरा, 2. कुसैला , 3. परागपुर ग्रांट, 4. बड़ागांव, 5. पैलाकिसा
		3. गोंडलामऊ	1. महमदपुर झबरा, 2. गंगोई , 3. पारा, 4. अशरफनगर, 5. करुवामऊ
18.	सुल्तानपुर	1.करौदी कलां	1. बांगर खुर्द, 2. गौरा टिकारी, 3. मरौता तुलसी पट्टी, 4. गोडरा 5. बहाउद्दीनपुर
		2. दुबेपुर	1. पीताम्बरपुर कलां 2. गोदवा 3. देवराहर 4. लोलेपुर 5. दूल्हापुर
		3. कुडेभार	1. महमूदपुर 2. नटौली कला 3. सैफुल्लागंज 4. गड़ौली 5. परसा
19.	उन्नाव	1. बिछिया	1. सिंधुपुर, 2. तारगांव , 3. रुपऊ, 4. सोनिक, 5. मुलुक (गद्दार)
		2. मियांगंज	1. सरमवा, 2. वीरमपुर, 3. कोटरा, 4. कोरारी खुर्द, 5. तेजपुर
		3. नवाबगंज	1. कोटवा, 2. बरुआ, 3. दरियापुर, 4. गौरी सलोनपुर 5. वीरसिंहपुर
	19	56	280

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2)

नमूना जाँच किए गए जनपदों में 'जॉब कार्ड पूर्व से उपलब्ध' होने के कारण आवाससॉफ्ट से बाहर रखे गये लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	जॉब कार्ड पहले से मौजूद होने के कारण 2017-23 की अवधि में बाहर रखे गए पात्र लाभार्थियों की संख्या
1	अंबेडकर नगर	667
2	आजमगढ़	80
3	बहराइच	3854
4	बाराबंकी	261
5	बाँदा	1672
6	बदायूं	0
7	हरदोई	157
8	हमीरपुर	215
9	जौनपुर	934
10	झांसी	228
11	लखीमपुर खीरी	2254
12	महाराजगंज	687
13	महोबा	177
14	मुरादाबाद	143
15	शाहजहांपुर	957
16	संभल	108
17	सीतापुर	4159
18	सुल्तानपुर	1524
19	उन्नाव	706
योग		**18783**

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में दिव्यांगजनों को स्वीकृत आवास का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दिव्यांगजनों को स्वीकृत आवासों की संख्या (2017-23)	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या (2017-23)
1	अंबेडकर नगर	6	53119
2	आजमगढ़	9	90490
3	बहराइच	17	143323
4	बांदा	10	82223
5	बाराबंकी	5	54455
6	बदायूं	9	26503
7	हरदोई	19	66440
8	हमीरपुर	3	22732
9	जौनपुर	21	83626
10	झांसी	5	29240
11	लखीमपुर खीरी	19	128882
12	महाराजगंज	3	47368
13	महोबा	1	17533
14	मुरादाबाद	14	13678
15	संभल	14	9962
16	शाहजहाँपुर	27	56365
17	सीतापुर	32	193987
18	सुल्तानपुर	27	109539
19	उन्नाव	12	45983
योग		**253**	**1275448**

(स्रोत: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं आवाससॉफ्ट से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2)

राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश निर्गत करने में विलम्ब

(₹ लाख में)

आबंटन वर्ष	आबंटन की तिथि	केन्द्रांश	वीएलसी में क्रेडिट होने का माह	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश निर्गत करने की तिथि	एसएनए में केन्द्रांश जमा करने की तिथि	अवमुक्त किये जाने में विलम्ब (दिनों में)	देय दंडात्मक ब्याज 12% की दर से
2016-17	27.04.2017	22998.57	अप्रैल 2017	29.06.2017	29.07.2017	74	559.53
2016-17	27.04.2017	30480.95	अप्रैल 2017	08.08.2017	29.08.2017	105	1052.22
2016-17	27.04.2017	880.74	अप्रैल 2017	08.08.2017	29.08.2017	105	30.44
2019-20	20.03.2020	495.4	मार्च 2020	30.06.2020	07.07.2020	82	13.36
योग							**1655.51**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3)

लाभार्थियों को प्रथम किश्त निर्गत करने में विलंब

क्र.सं.	जनपद	कुल लाभार्थियों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ लाभार्थियों को प्रथम किश्त 7 से 15 दिनों में निर्गत की गई	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ लाभार्थियों को प्रथम किश्त 15 दिनों के बाद निर्गत की गई	विलंबित भुगतान के प्रकरणों का योग
1	अंबेडकर नगर	116	19	47	66
2	आजमगढ़	120	24	80	104
3	बहराइच	116	21	69	90
4	बाँदा	110	19	68	87
5	बाराबंकी	120	19	64	83
6	बदायूं	106	22	45	67
7	हमीरपुर	115	16	72	88
8	हरदोई	120	35	58	93
9	जौनपुर	120	20	83	103
10	झांसी	120	22	75	97
11	लखीमपुर खीरी	120	28	71	99
12	महाराजगंज	112	13	62	75
13	महोबा	80	11	45	56
14	मुरादाबाद	115	28	62	90
15	संभल	119	33	78	111
16	शाहजहांपुर	116	20	55	75
17	सीतापुर	119	36	59	95
18	सुल्तानपुर	117	19	70	89
19	उन्नाव	117	21	79	100
योग		**2178**	**426**	**1242**	**1668**

(स्रोत: आवाससॉफ्ट के अनुसार)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधि के कम उपभोग के कारण केन्द्रांश कम अवमुक्त किया जाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अवमुक्त कार्यक्रम निधि (केन्द्रांश)	कार्यक्रम निधि के निर्धारित प्रतिशत के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली प्रशासनिक निधि	भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक निधि	कम अवमुक्त की गयी प्रशासनिक निधि
2017-18	4927.16	197.09	20.91	176.18
2018-19	2655.37	106.21	0	106.21
2019-20	1261.18	21.44	0	21.44
2020-21	4835.85	82.21	0	82.21
2021-22	3685.17	62.65	41.83	20.82
2022-23	4648.43	79.02	128.59	-49.57
योग	**22013.16**	**548.62**	**191.33**	**357.29**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः प्रस्तर 3.5)

वर्ष 2017-23 की अवधि में उपलब्ध प्रशासनिक निधि के सापेक्ष जनपदवार व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जनपदों का नाम	2017-23 के दौरान		जनपदवार व्यय प्रतिशत में
		उपलब्ध निधि	व्यय	
1	अंबेडकर नगर	400.84	287.87	72
2	सुल्तानपुर	562.66	289.14	51
3	हरदोई	531.32	391.07	74
4	बांदा	394.06	105.51	27
5	हमीरपुर	61.97	61.97	100
6	संभल	34.70	8.68	25
7	उन्नाव	270.94	132.13	49
8	महाराजगंज	293.45	96.42	33
9	आजमगढ़	319.30	263.22	82
10	बाराबंकी	433.36	214.63	50
11	शाहजहाँपुर	351.46	186.33	53
12	बदायूं	250.96	119.01	47
13	महोबा	116.90	86.97	74
14	मुरादाबाद	306.16	263.09	86
15	झांसी	207.85	42.21	20
16	लखीमपुर खीरी	765.75	247.56	32

(स्रोतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

गतिविधियाँ जिनपर नमूना जाँच किए गए जनपदों द्वारा वर्ष 2017-23 की अवधि में व्यय किया गया

क्र.सं.	प्रशासनिक निधि के अंतर्गत व्यय का मद	वर्ष 2017-23 की अवधि में व्यय करने वाले जनपदों की संख्या
(i)	लाभार्थियों को आवास और आवास साक्षरता को संवेदनशील बनाने और प्रदान करने के लिए गतिविधियां	6
(ii)	प्रदर्शन के लिए हाउस टाइपोलॉजी के प्रोटोटाइप का निर्माण	1
(iii)	योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण से संबंधित लागत, जिसमें गतिशीलता, आईटी उपकरण (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर), संचार प्रणाली, कार्यालय व्यय, प्रोत्साहन आदि सम्मिलित हैं।	15
(iv)	पीएमयू की स्थापना और संचालन की लागत, जिसमें अनुबंध पर कर्मियों की भर्ती शामिल है	7
(v)	राजमिस्त्री के प्रशिक्षण और प्रमाणन की लागत	5
(vi)	सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) अर्थात एनआरएलएम अनुरूप एसएचजी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों का प्रशिक्षण	2
(vii)	सामाजिक लेखापरीक्षा और आईईसी गतिविधियां	11
(viii)	सीआरपी को मानदेय का भुगतान और गैर सरकारी संगठनों को सेवा शुल्क	3
(ix)	प्रदर्शन दौरों सहित पंचायतों के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	0
(x)	मूल्यांकन अध्ययन सहित मूल्यांकन और अध्ययन का संचालन	2
(xi)	आवास से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकियों और कार्यों के प्रदर्शन की लागत	1
(xii)	आईआईटी/एनआईटी या राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी (एसटीएसए) के रूप में प्रतिष्ठित अन्य संस्थानों को सम्मिलित करने की लागत	1
(xiii)	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए लागत	6

(स्रोत: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः प्रस्तर 3.9)

लाभार्थियों की किश्तों का विवरण जो अन्य व्यक्तियों के खातों में हस्तांतरित हो गयी थीं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जनपदों का नाम	प्रकरणों की संख्या	संदिग्ध साइबर अपराध के कारण अन्य बैंक खाते में हस्तांतरित राशि	वसूली की गई राशि	वसूली योग्य राशि
1	कुशीनगर	1	0.40	0.00	0.40
2	लखनऊ	2	0.80	0.00	0.80
3	अम्बेडकर नगर	6	2.40	0.00	2.40
4	बहराइच	105	66.40	0.00	66.40
5	सीतापुर	7	2.80	0.00	2.80
6	बलरामपुर	8	4.40	0.00	4.40
7	हरदोई	1	0.70	0.00	0.70
8	जौनपुर	4	3.00	0.00	3.00
9	झांसी	2	0.80	0.00	0.80
10	संभल	25	10.00	0.00	10.00
11	वाराणसी	11	4.40	0.00	4.40
12	फतेहपुर	1	0.40	0.00	0.40
13	ललितपुर	16	6.40	1.60	4.80
योग		**189**	**102.90**	**1.60**	**101.30**

(स्रोतः आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 4.5.1)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों में निर्मित डेमो आवासों का विवरण

क्र.सं.	जनपदों का नाम	जनपद में विकास खंडो की संख्या	डेमो हाउस निर्मित विकास खंडो की संख्या	उन विकास खंडो की संख्या जिनमें डेमो हाउस का निर्माण नहीं हुआ है
1	अम्बेडकर नगर	9	9	0
2	आजमगढ़	22	3	19
3	बहराइच	14	7	7
4	बांदा	8	7	1
5	बाराबंकी	15	11	4
6	बदायूं	15	0	15
7	हमीरपुर	7	0	7
8	हरदोई	19	15	4
9	जौनपुर	21	17	4
10	झांसी	8	0	8
11	लखीमपुर खीरी	15	14	1
12	महाराजगंज	12	0	12
13	महोबा	4	4	0
14	मुरादाबाद	8	0	8
15	शाहजहाँपुर	15	7	8
16	सीतापुर	19	17	2
17	संभल	8	8	0
18	सुल्तानपुर	14	2	12
19	उन्नाव	16	4	12
योग		**249**	**125** *(50 प्रतिशत)*	**124** *(50 प्रतिशत)*

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 4.8)

आंकड़ो में विसंगति वाले स्वीकृत आवासों से संबंधित लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	जनपदों का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	आजमगढ़	284
2	बहराइच	27
3	बाराबंकी	3
4	बदायूं	4
5	हरदोई	47
6	जौनपुर	86
7	लखीमपुर खीरी	14
8	महाराजगंज	5
9	महोबा	3
10	सीतापुर	90
11	उन्नाव	9
योग		**572**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: प्रस्तर 4.10)

संयुक्त भौतिक सत्यापन का परिणाम

क्र.सं.	जनपद	सर्वेक्षण किये गए लाभार्थियों की कुल संख्या	पूर्ण आवासों की कुल संख्या (आवाससॉफ्ट के अनुसार)	अपूर्ण आवासों की संख्या जिन्हें पूर्ण सूचित किया गया था	बिना प्रतीक चिन्ह वाले घरों की संख्या	टिन/एस्बेस्टस की छत वाले घरों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या जिनमें कोई निवास नहीं कर रहा था	बिना प्लास्टर के आवासों की संख्या	आवासों की संख्या जिनमें खाना पकाने का स्थान नहीं था	आवासों की संख्या जिनमें स्नान क्षेत्र नहीं था
1	अम्बेडकर नगर	116	97	2	82	1	2	75	74	84
2	आजमगढ़	120	119	23	96	19	0	107	38	54
3	बहराइच	116	104	2	101	3	0	88	94	98
4	बांदा	110	95	7	88	0	5	72	68	76
5	बाराबंकी	120	119	0	71	0	0	60	10	64
6	बदायूं	106	105	5	88	0	2	80	35	30
7	हमीरपुर	115	107	3	105	0	4	86	81	84
8	हरदोई	120	117	1	50	1	0	91	110	109
9	जौनपुर	120	109	8	92	6	1	83	21	25
10	झांसी	120	120	3	82	0	1	49	26	44
11	लखीमपुर खीरी	120	117	9	101	0	0	87	66	61
12	महाराजगंज	112	111	1	75	6	0	84	33	37
13	महोबा	80	78	0	76	0	0	51	2	3
14	मुरादाबाद	115	115	0	96	0	0	79	47	39
15	संभल	119	118	0	108	0	0	80	84	74

क्र.सं.	जनपद	सर्वेक्षण किये गए लाभार्थियों की कुल संख्या	पूर्ण आवासों की कुल संख्या (आवाससॉफ्ट के अनुसार)	अपूर्ण आवासों की संख्या जिन्हें पूर्ण सूचित किया गया था	बिना प्रतीक चिन्ह वाले घरों की संख्या	टिन/एस्बेस्टस की छत वाले घरों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या जिनमें कोई निवास नहीं कर रहा था	बिना प्लास्टर के आवासों की संख्या	आवासों की संख्या जिनमें खाना पकाने का स्थान नहीं था	आवासों की संख्या जिनमें स्नान क्षेत्र नहीं था
16	शाहजहाँपुर	116	114	5	94	1	3	89	57	45
17	सीतापुर	119	110	5	102	0	2	94	94	91
18	सुल्तानपुर	117	108	3	98	5	2	92	97	96
19	उन्नाव	117	116	0	108	0	3	101	92	91
	कुल	**2178**	**2079**	**77**	**1713**	**42**	**25**	**1548**	**1129**	**1205**

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: प्रस्तर 4.11.1)

नमूना जाँच किए गए जनपदों[64] में सूचित की गयी अभिसरण की स्थिति

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत आवास	पूर्ण हुए आवास	शौचालय का निर्माण	एलपीजी संयोजन	विद्युत संयोजन	जल-कल संयोजन
1	अम्बेडकर नगर	62958	58510	55580	55593	55018	52088
2	आजमगढ़	109185	104088	99182	95617	94042	75789
3	बहराइच	184494	161398	154895	150320	148803	91272
4	बांदा	106271	81919	78439	77579	78794	59454
5	बाराबंकी	69894	69068	67382	67370	66022	62811
6	बदायूं	43091	35501	34370	32300	29559	29142
7	हमीरपुर	27672	24944	25773	25364	25147	19492
8	हरदोई	93727	83996	80166	77979	75499	40259
9	जौनपुर	97404	95465	86222	87419	85242	59141
10	झांसी	33891	33509	31506	31904	31451	29856
11	लखीमपुर खीरी	160283	158309	151220	142535	139495	140315
12	महाराजगंज	63454	62358	53126	58210	56302	46511
13	महोबा	20870	20674	20315	19721	19915	12229
14	मुरादाबाद	19298	19002	18888	18681	18705	17628
15	संभल	12888	12401	12110	11901	11771	11256
16	शाहजहाँपुर	70884	69015	60722	59253	55163	44101
17	सीतापुर	240387	226347	213618	217067	212070	209864
18	सुल्तानपुर	128174	118328	116219	109890	111850	30757
19	उन्नाव	62935	62428	59172	58348	56781	26460
कुल		**1607760**	**1497260**	**1418905**	**1397051**	**1371629**	**1058425**
पूर्ण हुए आवासों का प्रतिशत				**94.76**	**93.31**	**91.61**	**70.69**

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

[64] लेखापरीक्षा कार्य के दौरान उपलब्ध करायी गयी अभिसरण की सूचना (सितम्बर 2023 से मार्च 2024)

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: प्रस्तर 4.11.1)

नमूना जाँच किए गए जनपदों में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के संबंध में संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण

क्र. सं.	जनपद	सर्वेक्षण किये गए लाभार्थियों की कुल संख्या	पूर्ण आवासों की कुल संख्या (आवाससॉफ्ट के अनुसार)	शौचालय सहित आवासों की संख्या	शौचालय रहित आवासों की संख्या	विद्युत संयोजन सहित आवासों की संख्या	विद्युत संयोजन रहित आवासों की संख्या)	एलपीजी संयोजन सहित आवासों की संख्या	एलपीजी संयोजन रहित आवासों की संख्या	जलनिकासीकी सुविधा सहित आवासों की संख्या	जलनिकासीकी सुविधा रहित आवासों की संख्या	पाईप जल सहित आवासों की संख्या	पाईप जल रहित आवासों की संख्या
1	अम्बेडकर नगर	116	97	66	31	74	23	41	56	22	75	2	95
2	आजमगढ़	120	119	70	49	94	25	82	37	86	33	3	116
3	बहराइच	116	104	39	65	64	40	63	41	27	77	8	96
4	बांदा	110	95	58	37	59	36	48	47	26	69	20	75
5	बाराबंकी	120	119	81	38	66	53	62	57	90	29	0	119
6	बदायूं	106	105	74	31	63	42	62	43	86	19	6	99
7	हमीरपुर	115	107	87	20	75	32	73	34	53	54	22	85
8	हरदोई	120	117	90	27	59	58	71	46	30	87	4	113
9	जौनपुर	120	109	87	22	90	19	68	41	74	35	2	107
10	झांसी	120	120	98	22	100	20	82	38	103	17	69	51
11	लखीमपुर खीरी	120	117	68	49	79	38	69	48	42	75	19	98
12	महाराजगंज	112	111	71	40	99	12	87	24	77	34	1	110
13	महोबा	80	78	72	6	76	2	57	21	58	20	16	62
14	मुरादाबाद	115	115	105	10	92	23	72	43	109	6	14	101
15	संभल	119	118	111	7	89	29	78	40	67	51	17	101
16	शाहजहाँपुर	116	114	99	15	83	31	73	41	84	30	1	113

क्र. सं.	जनपद	सर्वेक्षण किये गए लाभार्थियों की कुल संख्या	पूर्ण आवासों की कुल संख्या (आवाससॉफ्ट के अनुसार)	शौचालय सहित आवासों की संख्या	शौचालय रहित आवासों की संख्या	विद्युत संयोजन सहित आवासों की संख्या	विद्युत संयोजन रहित आवासों की संख्या)	एलपीजी संयोजन सहित आवासों की संख्या	एलपीजी संयोजन रहित आवासों की संख्या	जलनिकासीकी सुविधा सहित आवासों की संख्या	जलनिकासीकी सुविधा रहित आवासों की संख्या	पाईप जल सहित आवासों की संख्या	पाईप जल रहित आवासों की संख्या
17	सीतापुर	119	110	57	53	45	65	63	47	53	57	13	97
18	सुल्तानपुर	117	108	70	38	80	28	66	42	24	84	6	102
19	उन्नाव	117	116	80	36	69	47	54	62	58	58	10	106
योग		2178	2079	1483	596	1456	623	1271	808	1169	910	233	1846

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 5.1.1)

विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के कार्य एवं उत्तरदायित्व

स्तर	संघटन	कार्य एवं उत्तरदायित्व
राज्य स्तर	▪ राज्य नोडल अधिकारी-प्रमुख पीएमयू ▪ वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों सहित आवास निर्माण क्षेत्र का तकनीकि विशेषज्ञ ▪ आईटी/एमआईएस/पीएफएमएस का विशेषज्ञ ▪ वित्तीय मामले का विशेषज्ञ ▪ सामाजिक संग्रहण का विशेषज्ञ ▪ प्रशिक्षण समन्वयक ▪ आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारी	▪ जनपदों एवं विकास खंडों को लक्ष्यों का आवंटन; ▪ किश्तों की संख्या और राशि का निर्धारण; ▪ स्थायी प्रतीक्षा-सूची तैयार किये जाने तथा स्थायी प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची तैयार करने की निगरानी करना; ▪ आवाससॉफ्ट में नई प्रशासनिक इकाइयों का मानचित्रण; ▪ राज्य के भीतर क्षेत्र विशेष के लिए आवास टाइपोलॉजी का विकास; ▪ राज्य के भीतर 'दुर्गम क्षेत्र' का वर्गीकरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना; ▪ विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण योजना तैयार करना और उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना; ▪ एसएलबीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी को ऋण वितरण की निगरानी करना; ▪ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से राज्य में राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना और उसका आयोजन करना; ▪ राज्य में लाभार्थियों के संवेदीकरण के लिए योजना बनाना, आयोजन करना और सुविधा प्रदान करना। ▪ निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण की प्रगति की निगरानी करना; ▪ राज्य नोडल खाते की निगरानी और प्रबंधन; ▪ आवाससॉफ्ट से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना; ▪ धनराशि जारी करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
जनपद स्तर	▪ पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी या जनपद स्तर पर पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में ▪ निर्माण क्षेत्र का तकनीकि विशेषज्ञ ▪ आईटी पेशेवर	▪ विकास खंडवार पीडब्लूएल को अंतिम रूप देना और पीडब्लूएल से वार्षिक चयन-सूची तैयार करना ; ▪ भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान करना; ▪ जनपद में लाभार्थियों के संवेदीकरण की योजना बनाना और उसका आयोजन करना;

स्तर	संघटन	कार्य एवं उत्तरदायित्व
	▪ प्रशिक्षण समन्वयक ▪ सहायक कर्मचारी	▪ स्क्रीनिंग के बाद प्रशिक्षुओं के चयन सहित पहचाने गए प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना और उसका आयोजन करना ; ▪ जहाँ आवश्यक हो, लाभार्थियों के लिए निर्माण सामग्री की सामूहिक आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना; ▪ डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एमजीएनआरईजीएस और एसएचजी के माध्यम से निर्माण सामग्री के उत्पादन की योजना बनाना; ▪ इच्छुक लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए बैंक के साथ समन्वय करना और डीएलबीसी के माध्यम से प्रगति की निगरानी करना; ▪ विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार करना और उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना; ▪ निर्धारित समयसीमा के अनुसार निर्माण की प्रगति की निगरानी करना; ▪ आवाससॉफ्ट पर रिपोर्टिंग की निगरानी करें ;
विकास खंड स्तर	▪ पूर्णकालिक खंडीय स्तर के अधिकारी/समन्वयक के नेतृत्व में ▪ एमआईएस डेटा एंट्री ऑपरेटर ▪ तकनीकी सहायता कर्मचारी	▪ लाभार्थियों का पंजीकरण; ▪ लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश जारी करना; ▪ लाभार्थियों का अभिमुखीकरण; ▪ गांव के पदाधिकारी को लाभार्थी से जोड़ना; ▪ प्रशिक्षित राजमिस्त्री को लाभार्थी से जोड़ना; ▪ आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी करना तथा लाभार्थी को समय पर किश्तें निर्गत करना; ▪ आवास ऐप /आवाससॉफ्ट के माध्यम से निर्माण की प्रगति की रिपोर्टिंग ।

(स्रोत: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh/hi